राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

खण्ड १] द्वितीय विधान सभा के प्रथम सत्र, १९५७ का २४वां दिवस [संख्या १५

बृहस्पतिवार, १६ मई, १९५७

———

विधान सभा की बैठक म. पू. ११.६ बजे विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई।

———

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री लालसिंह शक्तावत द्वारा शपथ-ग्रहण

श्री अध्यक्ष : श्री लालसिंहजी शक्तावत शपथ ग्रहण करेंगे।

(श्री लालसिंह शक्तावत ने शपथ ग्रहण की)

तारांकित प्रश्नोत्तर

ग्राम रसीलपुर (त० रूपवास) के समीप गम्भीर नदी के ऊपर पुल (कल्वर्ट) निर्माण की योजना

५७. श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : Will the Minister for Irrigation be pleased to state:—

Does the Government contemplate to construct a culvert over the Gambheer River near the village Rasilpur in Rupbas Tehsil of Bharatpur District to facilitate communication and commerce among the neighbouring villages?

उप सिंचाई मंत्री (श्री भीखाभाई) : No. There is no such proposal under consideration of the Irrigation department.

श्री मूलचन्द डागा : क्या सरकार के पास ऐसी कोई सूची है जिसके आधार पर कहा जा सके कि इतने कलवर्ट्स बनाने हैं।

श्री भीखाभाई : इसका सम्बन्ध ट्रान्सपोर्ट विभाग से है, न कि इर्रिगेशन विभाग से।

श्री श्रीभानसिंह : Who constructs these irrigation culverts?

श्री भीखाभाई : Pardon.

(कुछ विराम के अनन्तर)

नदियों पर जो पुल बांधे जाते हैं उनका सम्बंध इर्रिगेशन विभाग से नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेशचन।

न्यू कोलोनी, जयपुर की सड़क का निर्माण कार्य

१५८. रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) न्यू कोलोनी, जयपुर में सड़कें किस वर्ष में निर्मित हुई थीं ?

(ख) इस समय इन सड़कों की कैसी

(श्री सरदारसिंह)

हालत है और इन सड़कों की मरम्मत कब कब हुई थी ?

(ग) क्या यह सही है कि इस कोलोनी के निवासियों ने इनकी मरम्मत के लिये सरकार से प्रार्थना की है ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) सन् १६४६ में।

(ख) सड़कों की हालत ज्यादा अच्छी नहीं है। विशेष मरम्मत की आवश्यकता है।

(ग) बनने के पश्चात् अभी तक नहीं हुई।

(घ) जी हां। नगर विकास मंडल की ओर से इन सड़कों की मरम्मत करने हेतु तखमीने बना लिए गए हैं तथा सड़कों की जल्द ही मरम्मत करा दी जावेगी।

रावराजा श्री सरदारसिंह : माननीय मंत्रीजी ने फरमाया कि सड़कों की हालत खराब है। सन् ४६ में बनी थीं और अब तक उनकी मरम्मत नहीं हुई, यह बड़े ताज्जुब की बात है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अब मरम्मत की कार्यवाही हो रही है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : सन् ६५ तक कार्यवाही चलती रहेगी या जल्दी ही हो जायगी ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

गत भूस्वामी आन्दोलन में कारावास में लिये गये व्यक्ति

१५६. श्री तनसिंह (बाड़मेर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) गत भूस्वामी आन्दोलन में कुल कितने व्यक्ति किस किस स्थान से गिरफ्तार किए गए ?

(२) उन लोगों की संख्या क्या है जिनको तितर-बितर करने के नाम पर मोटरों में चढ़ा कर बाहर छोड़ा गया ?

(३) क्या यह सही है कि जिन लोगो को बाहर छोड़ा गया उन्हें ६०-६० मील तक दूर ले जाया गया ?

(४) कितने व्यक्तियों की जेलों में मृत्यु हुई ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) कुल ७३६० व्यक्ति भूस्वामी आन्दोलन के संबंध में गिरफ्तार किये गये। भीलवाडा जिले से ३७४, चित्तौड़ जिले से १०६, नागोर से ५६४, पाली से १७६, उदयपुर से ११६, सिरोही से १३७, जालोर से २६३, जोधपुर से ४?५, सीकर से ३६०, जयपुर से ३६६१, बाड़मेर से २६, जेसलमेर से ६६, बूंदी से १६ और अलवर से ११०.

(२) उनकी संख्या प्राप्त नहीं है।

(३) उन्हें यथा-संभव उनके निवास स्थान के पास छोड़ने का इन्तजाम किया गया।

(४) ८.

श्री मूलचन्द डागा : क्या भूस्वामियों में से कुछ माफी मांग कर छूटे थे ? यदि हां, तो उनकी संख्या क्या थी ?

श्री रामकिशोर व्यास : माफी मांग कर बहुत सारे छूटे थे, लेकिन उनकी संख्या बताई नहीं जा सकती।

श्री तनसिंह : जिनको ६०-६० मील दूर छोड़ा गया, आपने उनके बारे में कहा कि

(श्री तनसिंह)

उनको घर पहुँचाने के लिये छोड़ा गया, तो क्या उनके घर की दिशा एक ही ओर थी जो उनको एक ही मोटर में ले जाकर छोड़ा गया ?

श्री रामकिशोर व्यास : हां, उनको घर के नजदीक छोड़ने की कोशिश की गई।

श्री तनसिंह : आपने बताया कि जेल में ८ भूस्वामियों की मृत्यु हुई; वैसे तो १३ आदमियों की जेल में मृत्यु हुई, लेकिन थोड़ी देर के लिये में मान लेता हूं कि १३ आदमियों की नहीं हुई, लेकिन जिन व्यक्तियों की मृत्यु हुई क्या उनकी मृत्यु जेल अधिकारियों की लापरवाही के कारण हुई ?

श्री रामकिशोर व्यास : जी नहीं।

श्री तनसिंह : क्या यह सही है कि अलवर में तम्बू गिरने से एक आदमी की मृत्यु हुई।

श्री रामकिशोर व्यास : जी नहीं।

श्री तनसिंह : क्या अलवर जेल में तंबू गिरा था।

श्री रामकिशोर व्यास : इस बारे में अलग प्रश्न पूछेंगे तो बताऊंगा। लेकिन जेल अधिकारियों की वजह से किसी की मृत्यु नहीं हुई, अलवर होस्पिटल में मृत्यु हुई है।

श्री तनसिंह : क्या किसी भूस्वामी बंधु की अलवर जेल में तंबू गिरने से, उसके सर पर तंबू के लट्ठे की लगने से मृत्यु हुई।

श्री रामकिशोर व्यास : यदि अलग प्रश्न पूछेंगे कि कॉज़ ऑफ डथ क्या था तो सब का कॉज़ ऑफ डथ अलग अलग बताऊंगा।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या इन व्यक्तियों को मोटरों में बिठाकर ६०-६० मील दूर ले जाना सरकार न्याय संगत समझती है।

श्री रामकिशोर व्यास : न्याय संगत समझ कर ही तो किया है।

प्रश्न संख्या १६०

श्री अध्यक्ष : श्री गजा पटेल।

(अनुपस्थित, प्रश्न बाद में लिया गया)

राजस्थान में घोषित वन-क्षेत्र

१६१. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) : क्या वन मंत्री निम्न प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान सरकार ने फोरेस्ट एरिया कहां कहां घोषित किया है

(ख) क्या टोंक डिस्ट्रिक्ट में भी कोई फोरेस्ट एरिया है ? अगर हां तो कहां कहां ?

(ग) क्या राजस्थान में एक ही फोरेस्ट एक्ट लागू है या भिन्न भिन्न ?

(घ) क्या यह सही है कि जंगलात एरिया में पत्थर की खानें हैं ? यदि हां, तो तो वे फारेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकार में हैं या माइनिंग डिपार्टमेंट के ?

वन मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) जी हां, सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ग) एक ही फोरेस्ट एक्ट लागू है।

(घ) जी हां, खानें वन विभाग के अधिकार में हैं लेकिन उनको खुदवाने का

(श्री नाथूराम मिर्धा)

ठेका माइनिंग डिपार्टमेंट वाले देते हैं।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

रावराजा श्री सरदारसिंह : सूची मुझे मिली नहीं, यदि मिलती तो सप्लीमेंट्री प्रश्न करता, लेकिन अर्ज करता हूं कि मेरे सवाल में यह बात है कि फोरेस्ट कहां कहां डिक्लेअर किया है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वही तो सूची मेज पर रखवा दी गई है। मैंने कोपी कल भिजवा दी थी, पता नहीं आपको क्यों नहीं मिली ?

श्री अध्यक्ष : आपको पाँच कॉपीज़ भेजनी चाहिये उसकी जगह दो कोपीज़ आई हैं। माननीय सदस्य के पास छठी कोपी भेजनी चाहिये थी।

श्री नाथूराम मिर्धा : कोपियें बराबर जितने के लिए कहा है उतनी भेजते हैं।

श्री अध्यक्ष : अब आयन्दा ध्यान रखिये।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या राजस्थान में फोरेस्ट सैटलमेंट का दफ्तर है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : फोरेस्ट सैटलमेंट ऑफिसर अलग अलग हर हिस्से में हैं। कहीं कहीं असिस्टेन्ट सैटलमेन्ट ऑफिसर भी हैं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : कहां कहां फोरेस्ट सैटलमेन्ट होकर फोरेस्ट डिक्लेअर किया गया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : सारे राजस्थान की सूची मैंने मेज पर रखवा दी है; आपको नहीं मिली है तो और दे दूंगा, मेरे पास है, आप देख लीजिये।

रावराजा श्री सरदारसिंह : यह तो बताइये कि टोंक डिस्ट्रिक्ट में कहाँ कहाँ डिक्लेयर हुआ।

श्री अध्यक्ष : टोंक की लिस्ट लंबी नहीं हो तो बता दीजिये।

श्री नाथूराम मिर्धा : टोंक डिस्ट्रिक्ट के ४३ नाम हैं। कुछ एरियाज़ का सर्वे हुआ है, कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं, कुछ रिज़र्व में रखे गए हैं, उनके लिए कार्यवाही चल रही है कि उनमें से किसको प्रोटेक्टेड में रखा जाय और किसको डिक्लेअर किया जाय; कुल ४३ नाम हैं। आप कहें तो पढ़कर सुना दूं।

श्री मूलचन्द डागा : क्या कहीं जागीर जोड़ों को भी वन विभाग में लेते हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : जागीर रेवेन्यू डिपार्टमेंट में है लेकिन ग्रास फार्म्स फोरेस्ट में हैं।

रावराज श्री सरदारसिंह : क्या यह सही है कि स्टेटिस्टिक्स की एक किताब निकली है, उसमें टोंक के बारे में लिखा है कि देअर इज़ नो फोरेस्ट ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वह किताब मुझे आप दिखायेंगे तो कह सकता हूँ बाकी हमारे रेकॉर्ड में टोंक में फोरेस्ट है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : मेरा निवेदन यह है कि आपने यह बताया कि यहां की खानें माइनिंग के अन्दर में हैं........

श्री नाथूराम मिर्धा : नहीं, हमारे ही अन्डर में हैं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : आपके अन्डर में कैसे हुई ?

श्री नाथूराम मिर्धा : माइन्स जंगलात में हैं लेकिन उनको खुदवाने का ठेका देने का काम माइनिंग डिपार्टमेन्ट करता है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या यह सही है कि कई स्थानों पर फोरेस्ट एरिया डिक्लेअर किया है, वहां चारागाह की भूमि को भी फॉरेस्ठ एरिया डिक्लेअर कर दिया है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आपने यह जनरल सवाल पूछा है। मैंने दो-तीन सवालों के जवाब में बताया था कि आम तौर पर चारागाह भूमि होती है, उसे फॉरेस्ट सेटलमेंट करते समय रिज़र्व रखते हैं।

श्री लक्ष्मीचन्द (८३) : क्या यह सही है कि फॉरेस्ट एरिया तय किया जाता है, उसको नोटिफाई किया जाता है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : कानून के तहत सब को नोटिफाइ किया जाता है, गजट में शाया करते हैं।

बाडमेर म्युनिसिपल बोर्ड को १९५० से सहायतार्थ दी गई धन-राशि

१६२. श्री तनसिंह (बाडमेर) : क्या स्वायत शासन मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) बाडमेर म्युनिसिपल बोर्ड को १९५० से अब तक कितना रुपया बतौर सहायता के सरकार की ओर से दिया गया ?

(ख) सहायता के अतिरिक्त ऋण कितना दिया गया ?

(ग) यह सहायता और ऋण किस किस कार्य के लिये दिये गये तथा उनमें से क्या क्या कार्य हो गये ?

स्वायत शासन मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) बाडमेर नगरपालिका को सन् १९५० से सन् १९५६-५७ तक कुल ३३,८१८ रु० सरकार द्वारा बतौर सहायता के दिया गया है।

(ख) सहायता के अलावा बिजली योजना हेतु बाडमेर नगरपालिका को ४,५०,००० रु० ऋण स्वीकृत किया गया था तथा उसमें से २,७५,००० रु० ३१-१२-५६ तक दे दिया गया है।

(ग) सहायतार्थ रकम पानी व सड़क की व्यवस्था के लिए दी गई थी और कार्य हो चुके हैं। ऋण बिजली योजना हेतु दिया गया था जिसके अन्तर्गत एंजिन, तार, बल्लियां व बिजली का दीगर सामान खरीदा गया है।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या स्थिति के आधार पर नगरपालिका को ऋण दिया जाता है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आवश्यकता को देखते हुए और माली हालत को देखते हुए।

श्री मूलचन्द : पाली नगरपालिका को ऋण देने के लिए आयोजन किया है ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न बाडमेर के बारे में है।

श्री तनसिंह : क्या बाडमेर नगरपालिका को साढ़े चार लाख रुपये के अलावा बिजली के लिए और ऋण मिलने वाला है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : साढ़े चार लाख रुपया तो मंजूर हुआ है। सब मिला नहीं, केवल २, ७५,००० रु० मिले हैं।

श्री तनसिंह : क्या साढ़े चार लाख रुपये के अलावा और कुछ देने का विचार है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता: अभी वही रुपया खत्म नहीं हुआ। यदि आगे आवश्यकता होगी तो विचार किया जायगा।

श्री तनसिंह : कल माननीय विद्युत मंत्री ने बताया था कि साढ़े आठ लाख दे दिया है। वह मेरे ख्याल से पंचायत विभाग से नहीं होगा, उनके विभाग से होगा ?

श्री रामकिशोर व्यास : साढ़े छः लाख।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : साढ़े चार लाख रुपया मंजूर हो गया है। आगे आवश्यकता होगी तो और दे देंगे।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री रामनारायण वर्मा।

तहसील बड़ौदा मंडावरे की खाड़ी के पुल निर्माण का ठेका

१६३. **श्री रामनारायण वर्मा** (पीपलदा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या तहसील बड़ौदा मंडावरे की खाड़ी का पुल पूरा करने हेतु ठेका दिया जा चुका है ?

(ख) यह ठेका किसे दिया गया है और काम कब तक पूरा किया जावेगा ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री रामनारायण वर्मा : क्या यह सही है। कि वहां की जनता ने इस पुल को पूरा करने हेतु मांग पेश की थी।

श्री अध्यक्ष : (मंत्री महोदय की ओर संकेत कर) क्या कोई मांग की गई थी ?

श्री रामनारायण वर्मा : क्या मंडावरे की जनता ने मांग की थी कि मंडावरे का जो अधूरा पुल है, उस पर से वर्षा में जाने में बड़ी कठिनाई होती है, इसलिए इस पुल को बनाने की आवश्यकता है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मांग तो करते रहते हैं कि पुल टूटा हुआ है। बात यह है कि सन् १९३९ में यह सड़क बनी थी, उस सड़क को पूरा कोस्ट ऑफ कन्स्ट्रक्शन के कारण पूरा नहीं किया गया, कोस्ट ऑफ कन्स्ट्रक्शन करीब ४-५ लाख होती थी। और यह जो आप कह रहे हैं कि पुल काफी टूटा हुआ है, उसकी मरम्मत करवायें, उसके लिए करीब ५० हजार रुपया चाहिए। रुपये की कमी होने के कारण तथा दूसरे कई महत्व पूर्ण कार्य सामने होने के कारण इसकी बारी नहीं आई है, इसलिए जो जनता ने मांग की है वह पूरी नहीं हो सकी।

श्री दयाकृष्ण : क्या यह सही है कि पुलिया को पूरा करने के लिए मंडावरे की जनता ने सहयोग करने का आश्वासन दिया था ?

Page No.7

श्री नाथूराम मिर्धा : सहयोग करने के लिए आश्वासन दिया, लेकिन कितना सहयोग करेंगे; एक हजार, दो हजार रुपये का सहयोग दे देंगे, लेकिन इसके लिए ५० हजार रुपया चाहिए, फिर दूसरे कामों को प्रायोरिटी देनी पड़ती है।

श्री भैरोंसिंह : इस काम को करवाने के लिए जो आंकड़े आपने बताये, वे किस जांच के आधार पर बताये ?

श्री नाथूराम मिर्धा : महकमे की जांच के आधार पर आंकड़े बताये जाते हैं।

श्री भैरोंसिंह : जनता का आवेदन-पत्र प्रस्तुत हुआ, उस पर जो आपने आँकड़े बताये क्या आपने विभाग द्वारा उस कार्य के लिए एस्टीमेट्स तैयार करवाये हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जो टूटी-फूटी सड़कें आदि हैं उनकी जनता मांग करे या न करे, हम एस्टीमेट्स बनवाते रहते हैं। हमारी नजर में आया हुआ है कि पुलिया कितनी टूटी हुई है, ये सब चीजें ध्यान में रहती हैं।

श्री रामेश्वरदयाल : क्या ये सड़कें प्रथम पंच वर्षीय योजना में शामिल की गई थीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : द्वितीय पंच वर्षीय योजना में ली गई हैं।

श्री भंवरलाल : यदि ५० हजार की रकम नहीं होगी तो अधूरी पड़ी रहेगी।

श्री नाथूराम मिर्धा : ऐसा नहीं होगा।

श्री भंवरलाल : यह कब तक पूरी हो जायगी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं आपको बताऊं कि इसमें ३६ सड़कें हैं। जितना रुपया ग्रान्ट होता है, उससे रिपेयर का काम ३००-४०० सड़कों पर कर रहे हैं। इस पुल के लिए ५० हजार रुपये की जरूरत है, हमारे पास इतना रुपया नहीं है।

श्री भंवरलाल : आपके इलाके में तो सड़कों की मरम्मत हो चुकी है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मेरे इलाके में भी बहुत सड़कें टूटी हुई हैं।

उम्मेदवाद (त० जालोर) के सरपंच को पृथक करना

१६४. **श्री तनसिंह** (बाड़मेर) : क्या मंत्री, पंचायत विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) तहसील जालोर के उम्मेदवाद गांव के सरपंच को कब और क्यों हटाया गया ?

(२) क्या यह सही है कि उसके खिलाफ ७६० रु० के पंचायत धन के गबन का आरोप था ? यदि हां, तो उससे अब तक यह रुपया वसूल हुआ अथवा नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(३) क्या उसके खिलाफ कोई फौजदारी मुकदमा भी चलाया जा रहा है ?

(४) उपरोक्त सरपंच के रिक्त स्थान के चुनाव अब तक नहीं कराने के क्या कारण हैं ?

मंत्री, पंचायत विभाग (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) उम्मेदवाद गांव के सरपंच को पंचायत की रकम का दुरुपयोग करने का कारण दिनांक ११-१-५६ को हटाया गया।

(२) ७३६ रु० १२ आने ६ पा० का

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

दुरुपयोग जांच से पाया गया। रुपया वसूली की कार्यवाही चल रही है।

(३) जी नहीं।

(४) सरपंच के चुनाव के लिए कलेक्टर द्वारा माह मई, १९५६ में निर्वाचन निश्चित किया गया, परन्तु निर्वाचन नहीं हो सका। दिनांक २४-१२-५० (का दिन) निर्वाचन पुनः करने का निश्चित किया गया पर समय पर निर्वाचन-पत्र नहीं पहुंचने से निर्वाचन नहीं हो सके। इसके पश्चात् आम चुनावों के कारण निर्वाचन न हो सका। अभी इसी माह की आखिरी तारीख से निर्वाचन की तिथि निश्चित कर दी गई है।

श्री तनसिंह : यह अपने प्रश्न ३ के उत्तर में बताया कि फौजदारी मुकदमा चलाने का सरकार का इरादा नहीं है। क्या सरकार इसका कारण बतायेगी कि जब उसने तहसील पंचायत के धन का दुरुपयोग किया है तो उस पर फौजदारी मुकदमा न चलाने के क्या कारण हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने यह अर्ज किया कि कोई फौजदारी का मुकदमा नहीं चलाया जा रहा है।

श्री मदनसिंह : मिनिस्टर साहब के रिश्तेदार तो नहीं हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मेरी जानकरी में ऐसा नहीं है।

श्री तनसिंह : पंचायत विभाग ने उनके ऊपर फौजदारी मुकदमा चलाने के लिये क्या किसी पुलिस के अधिकारी को लिखा है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ऐसा मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री तनसिंह : सूचना न करने के क्या कारण हैं ? पुलिस को न लिखने का क्या कारण हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : क्योंकि यह मुकदमा ५६ का है, और केस १९५३ का पुराना है।

श्री तनसिंह : यदि केस पुराना हो और बाद में पकड़ा जाय और बाद में मालूम हो कि धन का दुरुपयोग किया है, तो उस पर मुकदमा क्यों नहीं चलाया जाय ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : पुराने केस में शहादत मिलना मुश्किल हो जाता है।

श्री भैरोंसिंह : यह धन के दुरुपयोग का मामला क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मामला बनता है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उन्होंने अपनी तनख्वाह के साथ किसी दूसरे की तनख्वाह ड्रॉ कर ली थी।

श्री भैरोंसिंह : मेरा प्रश्न यह है कि धन के दुरुपयोग का मामला क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मामला बनता है या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह कानूनी बात है, यदि ऐसा ऑफेन्स बनता है तो जरूर बनता होगा।

श्री भैरोंसिंह : यह क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मामला बनता है या नहीं ? जब धन का दुरुपयोग हुआ तो यह गबन हुआ, फिर यह पुलिस को मुकदमा क्यों नहीं दिया गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ऐसे मामले क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और सिविल मामले भी होते हैं।

श्री भैरोंसिंह : यह किस तरह का मामला है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह सिविल मामला मालूम होता है।

श्री तनसिंह : जो उसने तनख्वाह उठाई वह अपने आप स्वीकार की, अपने आप मंजूर कर ली। उस तनख्वाह की स्वीकृति हुई होगी, किसी के दस्तखत हुए होंगे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : किसी आदमी की तनख्वाह दूसरे आदमी को मिल जाय तो दूसरी बात है, लेकिन उसने खुद रुपया लिया। लेकिन उसकी कोई शहादत नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : क्या तहसील पंचायत का ऐसा प्रस्ताव था कि उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाय ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है।

श्री मदनसिंह : तो आपको कैसे मालूम हुआ ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने अर्ज किया न कि मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : तो क्या यह माना जाय कि इस प्रकार का दुरुपयोग पंचायतों द्वारा होता है उसे सिविल नेचर का क्राइम माना जाय और इसी तरह के और द्वारा हो तो उसे क्रिमिनल नेचर का क्राइम माना जाय।

श्री अध्यक्ष : That is a question of legal interpretation.

श्री भैरोंसिंह : आज एक नई बात निकली है अध्यक्ष महोदय, कि पंचायतों द्वारा इस प्रकार का क्राइम हो वह सिविल नेचर का माना जाय, इसलिये यह प्रश्न पूछा है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : It is a question of opinion.

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

भीलवाड़ा में माइका माइन लेबर वेलफेयर फण्ड की स्थापना

१६५. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या श्रम मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे : (क) क्या यह सही है कि भीलवाड़ा में एक माइका माइन लेबर वेलफेयर फन्ड की स्थापना की गई है ? यदि हां, तो इसमें अब तक किस किस तरह कितना फन्ड इकट्ठा हुआ है ?

(ख) इस फन्ड की एडवाइजरी कमेटी के सदस्य कौन कौन हैं ?

(ग) क्या यह सही है कि इस फन्ड की कई कीमती दवाइयां बाजार में बिकती हुई पकड़ी गई तथा उनकी शिकायत भी की गई ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

(घ) क्या यह सही है कि इस फन्ड के द्वारा कई पेट्रोल आदि के बिलों का भुगतान दुबारा किया गया है ? यदि हां, तो कितने बिलों का और क्यों ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता): This organization, known as

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

the Mica Labour Welfare Fund, is a Central Organization and it is worked directly under the Ministry of Labour, Government of India. No information is, therefore, available with this Department.

श्री भैरोंसिंह : क्या इस फन्ड में राजस्थान सरकार की ओर से सहायता दी गई है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ऐसी मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्या इस फन्ड की एडवाइजरी कमेटी के मेम्बर बनाने के संबन्ध में भारत सरकार ने राजस्थान सरकार की राय ली थी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह हैड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन उन्हीं का है।

श्री भैरोंसिंह : कोई स्पेसिफिक बात कहिये।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री मदनसिंह : माननीय अध्यक्ष, तब यह जानकारी किसको होगी? जब जब पूछा जाता है तो कहा जाता है कि जानकारी नहीं है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह हमारे अन्डर में नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट डाइरेक्टली डील विथ करती है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि कि इस वेलफेयर बोर्ड की दवाइयों को बाजार में बेचने की शिकायत आई है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मेरी जानकारी में ऐसी कोई शिकायत नहीं।

श्री भैरोंसिंह : शिकायत पहले यहीं आती है। क्या यह सही है कि पेट्रोल के बिलों का भुगतान दुबारा हुआ है और इसकी शिकायत जरिये रजिस्टर्ड लेटर मन्त्री राजस्थान श्रम विभाग को की गई है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आपने बताया है तो दुबारा जांच की जायगी।

श्री भैरोंसिंह : यह क्वेश्चन है, उत्तर चाहिये।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूं कि यह हमारा सब्जेक्ट नहीं है, इसलिये इस तरह के क्वेश्चन्स पूछने की आवश्यकता ही नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : (क) और (ख) में जो पूछा गया है वह भले ही आपके सब्जेक्ट का न हो पर (ग) में मैंने स्पेसिफिकली पूछा है कि पेट्रोल के बिलों का दुबारा भुगतान हुआ है, सरकार के पास इस प्रकार की शिकायत आई है क्या ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मेरे पास इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं आई।

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण वर्मा।

मानस (त० लाडपुरा) में स्थित चन्द्लोई नदी के पुल का जीर्णोद्धार

१६६. **श्री रामनारायण वर्मा** (पीपलदा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) तहसील लाडपुरा, ग्राम मानस में

(श्री रामनारायण वर्मा)

स्थित चन्दलोई नदी का पुल जो वर्षों से टूटा पड़ा हुआ है क्या सरकार इसे पूरा करने हेतु कोई सक्रिय कदम उठा रही है ।

(ख) यदि हां, तो यह पुल कब तक तैयार हो जावेगा ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) इसको ठीक रखने के लिये तखमीना बनाया जा रहा है ।

(ख) धन का प्रबन्ध होने पर ।

श्री रामनारायण वर्मा : यह तखमीना कब तक बन जायगा ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह तखमीना तो करीब करीब तैयार है ।

श्री रामनारायण वर्मा : तो फिर इसे क्रियान्वित करने में देर क्यों हो रही है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : देर यों हो रही है कि पैसे की कमी है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह तखमीना सरकार की ओर से एप्रूव हो चुका है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : सरकार की ओर से एप्रूव नहीं हुआ, पैसे की कमी है, कोशिश कर रहे हैं कि इसके लिये पैसा निकाला जाय।

श्री भैरोंसिंह : जिस समय एस्टीमेट बनाने के सरकार ने आदेश दिये थे उस समय क्या सरकार को जानकारी थी कि सरकार के पास पैसा नहीं है और एस्टीमेट फालतू बनाया जा रहा है।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने माननीय सदस्य को बताया कि एस्टीमेट्स सरकार के हुक्म से नहीं बनते, कोई काम टूटा पड़ा हुआ होता है तो जिस विभाग के तहत वह काम होता है वह उसे ठीक कराने के लिए एस्टीमेट बनाता है। पैसे की गुंजाइश देखेंगे तो इसके लिये पैसा निकाल कर इसे बनवाने की कोशिश करेंगे, और इसी वर्षा से पहले ।

श्री भैरोंसिंह : यह एस्टीमेट कब से तैयार किया हुआ है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : एस्टीमेट तो करीब ७-८ वर्ष से तैयार है ।

श्री भैरोंसिंह : चीजों के भावों में जो परिवर्तन हुआ है उस परिवर्तन को देखते हुए सात-आठ साल पहले जो एस्टीमेट तैयार हुआ है उस एस्टीमेट को सरकार ने सही मान लिया है क्या ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं माननीय सदस्य को बता दूं कि सात-आठ साल पहले २० हजार रुपयों का एस्टीमेट था और अब ५०-६० हजार का एस्टीमेट है ।

श्री भैरोंसिंह : एस्टीमेट तो ७-८ वर्ष पहले तैयार किया था, फिर पचास-साठ हजार का एस्टीमेट कैसे लगाया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जो एस्टीमेट तैयार किया जाता है उसमें सब मेटीरियल लिखा रहता है, सब चीजें रहती हैं, रेट्स रहती हैं, उस मेटीरियल के रेट्स बढ़ गये हैं इससे यह एस्टीमेट निकाला है, यह बिलकुल सीधा सा मामला है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि कोटा डिवीजन में इसके समानान्तर जो काम

Page No.12

(श्री भैरोंसिंह)

हुये हैं और होने वाले हैं उनकी लिस्ट में इसको भी रखा गया था और इसे प्रायोरिटी में कन्सीडर किया गया था ?

श्री नाथूराम मिर्धा : प्रायोरिटी में कन्सीडर करते करते ही तो यह हो रहा है, अब उसकी नजदीक ट्रायल आ रही है ।

श्री भैरोंसिंह : जिस काम के बारे में प्रश्न चल रहा है क्या उसका नाम कोटा डिवीजन में जितने काम हुये हैं इसके समानान्तर या होने वाले हैं उनमें सबसे नीचे रहा है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : नीचे नहीं रहा है, फिट प्रायोरिटी है वहीं रहा है ।

श्री भैरोंसिंह : उस आॅर्डर में कौन सा काम इसके ऊपर रहा है और कौन सा काम इसके नीचे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : कोटा डिवीजन के कामों की न तो आपको जानकारी है और न पता है ।

श्री भैरोंसिंह : मुझे आपसे ज्यादा जानकारी है । मुझे आपसे कोटा डिवीजन के बारे में ज्यादा पता है, आपके अनुभव से मुझे ज्यादा अनुभव है, आपकी जानकारी से ज्यादा जानकारी है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : आपकी लिस्ट क्या है, वह आप ही बता दीजिये ।

श्री भैरोंसिंह : आप ओहदे पर बैठे हैं इसलिये मैं आपसे पूछ रहा हूं और आपका उत्तरदायित्व है कि उत्तर दें, वरना मैं आपसे पूछता ही नहीं, जैसे कि दूसरों से नहीं पूछता ।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने अपने उत्तरदायित्व को निभा[illegible] है। जिनको जितना जानना था उतना उनको [illegible] दिया ।

श्री अध्यक्ष : सारे जिले की लिस्ट के बारे में सप्लीमेंटरी मे पूछने की आवश्यकता नहीं है ।

(विराम)

श्री सोहनलाल भटनागर ।

गत वर्ष लघु व मध्यम सिंचाई योजना हेतु धन राशि

१६७. **श्री सोहनलाल भटनागर** (सलूम्बर) : क्या सिंचाई मन्त्री निम्न प्रकार का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) गत वर्ष ५६-५७ में लघु व मध्यम सिंचाई योजनाओं के निमित्त कितनी रकम रखी गई थी ?

(ख) इसमें से कितनी रकम नये कामों पर व कितनी रकम पुराने कार्यों पर खर्च की गई ?

(ग) क्या यह सही है कि सन् ५५-५६ की अपेक्षा ५६-५७ के वर्ष में लघु व मध्यम सिंचाई योजनाओं पर काफी कम खर्चा हुआ है ?

उप-सिंचाई मन्त्री (श्री भीखा भाई) : (क) सन् १९५६-५७ में २०८.५६ लाख रुपया रखा गया था ।

(ख) उपरोक्त राशि में से करीब १९४ लाख नये सिंचाई कार्यों पर व १४ लाख पुराने सिंचाई कार्यों पर खर्च हुए ।

(ग) हां ।

श्री सोहनलाल भटनागर : इतना कम होने का क्या कारण है ?

श्री भीखाभाई : प्रथम पंचवर्षीय योजना में २३० लाख रुपया खर्च हुआ, पर गये साल जो प्रोवाइड किया था वह बजट में कम था। इसके अलावा और भी कारण थे जिनसे कार्य में प्राप्ति नहीं हुई। पहला कारण गत वर्ष वर्षा जल्दी जून में ही जल्दी प्रारम्भ हो गई थी और अक्टूबर तक चली और पुराने कार्य बन्द करने पड़े और नये कार्य जल्दी शुरू नहीं कर सके। दूसरा कारण यह था कि हमारे पास स्टाफ का शोर्टेज था। एक कारण और था, जो था आम चुनावों का कारण।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

राजस्थान में १०००० जन-संख्या वाली नगरपालिकाएं

१६८. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या स्वायत शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देंगे :

(क) राजस्थान में १०,००० से कम जन-संख्या वाली कितनी नगरपालिकाएं हैं ?

(ख) पिछले दो वर्षों में किस किस नगरपालिका के चुनाव हुए ?

(ग) इनमें से किस किस नगरपालिका के सिंगल कोन्स्टीट्यूएन्सी के आधार पर और किन किन में अलग अलग वार्ड बना कर चुनाव कराये गये हैं ?

(घ) चुनाव-पद्धति में यह अन्तर क्यों रखा गया है ?

स्वायत शासन मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता): (क) ऐसी ८६ नगरपालिकाएं हैं जिनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) पिछले दो वर्षों में ८३ नगरपालिकाओं के चुनाव सम्पन्न कराये गये जिनकी एक सूची सदन की मेज रख दी गई है।

(ग) इनमें से २६ नगरपालिकाओं के चुनाव एकल निर्वाचन क्षेत्र के आधार पर कराये गये हैं और ५७ नगरपालिकाओं के चुनाव वार्डवाइज कराये गये हैं जिनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(घ) सरकार ने दिनांक ४. ११. ५५ को तमाम जिलाधीशों को आदेश प्रसारित किये कि १०,००० से कम जन-संख्या वाली नगरपालिकाओं के चुनाव एकल निर्वाचन क्षेत्र के आधार पर ही कराये जावें किन्तु इस आदेश के जारी होने से पहिले ही कुछ नगरपालिकाओं के चुनाव कार्यक्रम तथा वार्ड निश्चित हो चुके थे, इसलिये उनके चुनाव वार्ड वाइज़ ही सम्पन्न कराये गये।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री मुरलीधर व्यास : क्या सरकार वार्ड के फोर्मेशन में अपनी डिसक्रीशन काम में लाती है या इसके लिये कोई नियम बने हुए हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने कहा कि इस सम्बन्ध में हिदायत की गई थी क्योंकि वार्ड बनने में समय लगता था, इसलिये यह किया गया।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या इस तरह के कोई रूल्स हैं कि वार्ड में एक मेम्बर या दो मेम्बर या तीन मेम्बर लिये जावें ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सुविधा के मफिक कल्पना से किये जाते हैं।

श्री गोकुलचन्द : क्या माननीय मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि वे कौनसी नगरपालिकाएं हैं जिनके चुनावों का प्रचार किया गया और नोमीनेशन पेपर भी फाइल हो गये और उनके सदस्यों को निशान देने के बाद भी उनका चुनाव स्थगित कर दिया गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह अलग प्रश्न है।

श्री जनार्दनराय नागर : १०,००० से कम जनसंख्या वाली नगरपालिकाओं के चुनाव सिंगल कोन्सीट्युयेन्सी बेसिस पर क्यों कराये गये ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इलेक्शन जल्दी कराना था और वार्ड बनने में काफी समय लगता, करीब ६ महीने लग जाते।

श्री जनार्दनराय नागर : आपने खाली कलेक्टरों को हिदायत ही दी की सुविधा के अनुसार वार्ड बनाए........

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सुविधा के अनुसार बनाने की हिदायत थी।

श्री जनार्दनराय नागर : आपका सुविधा से क्या तात्पर्य था ? आपने कलेक्टर को कोई बात तो बताई होगी कि इस प्रकार होना चाहिए। कुछ तो इन्स्ट्रक्शन्स दिये होंगे।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : हमने कोई नई बात नहीं की, पहले जिस तरह से सब लोग मिल कर डिमार्केशन करते हैं उसी प्रकार डिमार्केशन करते और ओब्जेक्शन इन्वाइट करते हैं उसी तरह किया। कोई नई बात नहीं की।

श्री तनसिंह : अब यह समझा जावे कि भविष्य में वे Multi Member Constituency बनायी जावेंगी।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने कहा कि दुबारा नये एक्ट के अनुसार होगा।

श्री तनसिंह : Multi Member Constituency के विचार करने का मतलब यह है कि इस पर दुबारा विचार होगा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अभी जैसी सूरत है, चलती रहेगी।

श्री भैरोंसिंह : क्या १०,००० से कम जनसंख्या वाली नगरपालिकाओं के चुनाव सन् ५७ के एकल निर्वाचन क्षेत्र के आधार पर वार्ड वाइज़ कराये गये ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मुझे यह ज़ुबानी याद नहीं।

श्री भैरोंसिंह : मेरा प्रश्न अब तक का है। अब तक किन किन नगरपालिकाओं में चुनाव एकल निर्वाचन क्षेत्र के आधार पर कराये गये हैं और किन किन में अलग अलग वार्ड बना कर चुनाव कराये हैं। आपने बताया कि ४. ११. ५५ के बाद तमाम जिलाधीशों को आदेश प्रसारित किये हैं कि १०,००० से कम जन-संख्या वाली नगरपालिकाओं के चुनाव एकल निर्वाचन क्षेत्र के आधार पर ही कराये जावें। अब मेरा प्रश्न है कि ५७ में जो चुनाव हुए उसमें १० हज़ार से कम की आबादी वाली नगरपालिकाओं में एकल निर्वाचन क्षेत्र के आधार पर चुनाव कराये गये या वार्डवाइज़ कराये गये ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आपका दो वर्ष का ही प्रश्न था। पिछले दो वर्षों का

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

उत्तर दे दिया है, इसमें सन् ५७ का कोई जवाब नहीं है। यह जवाब १. १. ५५. से ५६ तक का दिया है।

श्री भैरोंसिंह : क्या इससे यह समझा जावे कि जिनके चुनाव एकल निर्वाचन क्षेत्र के आधार पर सन् ५७ में हुए हैं वे १०,००० से कम आबादी के हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यहां पर भिज़-म्पशन और एज़म्शन का कोई सवाल नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार ने इस संबंध में डेफिनिट ऑर्डर जारी कर दिये थे, फिर भी उनके ऑर्डरों की तामील नहीं हुई, इसका क्या कारण है ?

श्री गोकुलचन्द : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक प्रश्न में पूछा है कि पिछले दो वर्षों में कौन कौन सी नगरपालिकाओं के चुनाव हुए और उनमें से कौन कौन सी नगरपालिकाएं थीं जिनकी चुनावों की तारीखें निश्चय कर दी गई थीं, निशान भी दे दिये गये थे मगर चुनाव नहीं हुए ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यहां तो यही पूछा गया है कि किन किन के चुनाव हुए ; किन किन के नहीं हुए, उसके लिये आप अलग प्रश्न पूछ लें।

श्री भैरोंसिंह : ऐसी नगरपालिकाएं अलवर में आपको मिलेंगी।

श्री गोकुलचन्द : इसीलिये मैंने यह प्रश्न किया है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह जानकारी मेरे पास नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। यह जानकारी इनके पास अभी नहीं है। अगर आप चाहें तो अलग प्रश्न पूछ सकते हैं।

बीकानेर डिवीजन में मलेरिया की रोक थाम हेतु शासकीय कार्य

१६६. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर) : क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

क्या बीकानेर डिवीजन में मलेरिया और चेचक निरन्तर बढ़ रहे हैं ?

यदि हां, तो सरकार उनकी रोकथाम के लिए क्या कर रही है ?

उप स्वास्थ्य मन्त्री (श्री भीखाभाई) : बीकानेर डिवीजन में मलेरिया के निरन्तर बढ़ने की कोई सूचना सरकार को अभी तक नहीं मिली है यद्यपि अप्रेल के अन्त तक ३४ चेचक के केस व ७ मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई थी। बीमारी को रोकने के लिए क्षेत्रों में स्टाफ भेज कर चेचक के टीके लगाने का कार्य आरम्भ कर दिया है और रोग को काबू में कर लिया है।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या सरकार ने मेरे प्रश्न के पूछे जाने के बाद इस बात का पता लगाने की कोशिश की कि कितने व्यक्ति मरे हैं। आपने जो जवाब दिया है वह इस तरह का जवाब है कि कोई सूचना नहीं मिली। सूचना का प्रश्न नहीं है, मैंने प्रश्न किया उसका जवाब देते। मैं आशा करता हूँ कि प्रश्न का उत्तर देंगे।

श्री भीखाभाई : माननीय सदस्य के पास अगर कोई सूचना हो तो वे आंकड़े दे सकते हैं। उसके आधार पर इन्क्वायरी करवा कर जानकारी दी जावेगी।

श्री मुरलीधर व्यास : जहां तक मैं समझता हूं, इस प्रकार का उत्तर आपकी तरफ से मिलना उचित नहीं है। चाहिए तो यह था कि आपकी तरफ से आंकड़े मिलते।

श्री भीखाभाई : सरकार की तरफ से जो जो जानकारी थी वह आपको दी गई है।

श्री भैरोंसिंह : आपने चेचक के ३४ केसों का उल्लेख किया है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि आपको आंकड़े कहां से उपलब्ध हुये ?

श्री भीखाभाई : ये आंकड़े डेथ और बर्थ रजिस्टर के आधार पर मिले हैं।

श्री भैरोंसिंह : ये रजिस्टर किन किन स्थानों पर रखे जाते हैं।

श्री भीखाभाई : आम तौर से ये रजिस्टर म्युनिसिपेल्टी के स्थानों और पंचायतों पर रखे जाते हैं।

श्री जनार्दनराय : चेचक कौन से मच्छरों से पैदा होता है।

श्री भीखाभाई : मच्छरों से मलेरिया होता है, चेचक नहीं।

श्री भैरोंसिंह : क्या जो ३४ केस बताये उनमें मलेरिया और चेचक के सभी शामिल हैं ?

श्री भीखाभाई : ये सब शामिल हैं, पंचायतों एवं कई म्युनिसिपल कमेटी के। मलेरिया का कोई नहीं।

श्री मुरलीधर व्यास : गत वर्ष कितने व्यक्ति मलेरिया के कारण अपनी अपनी ढाणियों में मरे हुए मिले और उनको देखने वाला कोई डाक्टर नहीं था ? क्या इसके बारे में भी सरकार को कुछ मालूम है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आपने यह सूचना अब दी है। अब इस पर विचार किया जावेगा। हमारे पास इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है।

श्री संपतराज : क्या इस संबंध में हनुमानगढ़ तहसील से कोई रिपोर्ट सरकार के पास आई है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह अलग से प्रश्न है। अलग से पूछेंगे तो जवाब दिया जायगा।

श्री मुरलीधर व्यास : यह बीकानेर डिवीजन का प्रश्न है। इसमें तो हनुमानगढ़ भी आ जाता है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : राजस्थान में पानी नहीं है।

श्री संपतराज: राजस्थान में पानी नहीं है मगर वहां पर घग्घर नदी आती है और १०० प्रतिशत लोगों में मलेरिया फैलता है।

श्री भैरोंसिंह : बीकानेर डिवीजन में गंगानगर भी है।

श्री मुरलीधर व्यास : पानी का प्रश्न जहां तक है उसके संबंध में मैं यह कहना चाहूंगा कि राजस्थान में जब कहीं भी थोड़ीसी वर्षा हो जाती है और पानी के गड्ढे भर जाते हैं तो उन स्थानों के पास बहुत जबर्दस्त मलेरिया हो जाता है और काफी लोग उसके शिकार हो जाते हैं। इसलिए मैं कहूंगा कि मलेरिया की वजह से काफी लोग मरते हैं और इसका रेकर्ड होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट,

प्रश्न-संख्या १७०

सन् १६५२-५३ में ट्रैक्टरों हेतु दिया गया ऋण

१७०. श्री तनसिंह (बाड़मेर) : क्या कृषि मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) १६५२—५३ से अब तक राजस्थान में ट्रैक्टरों के लिये कितना कितना ऋण प्रति वर्ष दिया गया ?

(ख) बाड़मेर जिले में यह ऋण कितना और किस किस को दिया गया ?

कृषि मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) :

(क)

	साल	रकम
(१)	१६५२—५३	४,२८,१३३
(२)	१६५३—५४	४,४१,५४६
(३)	१६५४—५५	१,६०,६०५
(४)	१६५५—५६	२,५०,४६३
(५)	१६५६—५७	बिल्कुल बन्द कर दी गई।
	योग	१३,२१,५५०

(ख)

	नाम	रकम
(१)	श्री सांवतसिंह, खेजरीयाली, तहसील सिवाना	५,०००
(२)	श्री परवतसिंह, गांव सिवाना	८,६४०
	योग	१३,६४० दिया गया।

श्री दयाकृष्ण : सरकार किस आधार को मान कर ट्रैक्टरों का ऋण देती है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : अगर अगला आदमी ५० प्रतिशत देने को तैयार हो तो ५० प्रतिशत सरकार देती है।

श्री दयाकृष्ण : मैं यह पूछना चाहता हूं कि किस चीज को आधार मान कर सरकार यह ऋण देती है। आपने कहा कि ५० प्रतिशत सरकार देती है, यह तो ठीक है मगर कितनी जमीन उसके पास होनी चाहिये या उसका स्टेटस कैसा है, यह देख कर देते हैं और इसके लिये क्या कोई नियम बने हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह तो सब नियम लिखे हुए हैं और वे काफी लम्बे-चौड़े है और मुझे जबानी याद नहीं हैं।

श्री तनसिंह : यह तो आपने बताया कि योजना बन्द कर दी गई है तो यह योजना बन्द करने के क्या कारण है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : पिछले साल से यह पैसा बजट में नहीं रखा गया, इसलिए यह योजना बंद कर दी गई।

श्री तनसिंह : बजट में पैसा नहीं रखा गया, इस कारण से योजना बन्द कर दी गई या इसको बन्द करने के कोई और दूसरे ही कारण हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : बजट में पैसा नहीं था इसलिए ही यह योजना बन्द कर दी गई।

एक माननीय सदस्य : यह जो रकम ट्रैक्टर खरीदने के लिए दी गई इसमें से कितने हरिजन थे ?

श्री नाथूराम मिर्धा: कुल १७५ किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए रकम दी गई, अब इसमें कितने हरिजन हैं यह सूची मेरे पास नहीं है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : क्या माननीय महोदय यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

जो लोगों को रुपया दिया गया उससे उन्होंने निश्चित अवधि में ट्रैक्टर खरीद लिए या नहीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह अलग प्रश्न है और यह एक बार पहले भी सदन में आ चुका है कि इनमें से कितने आदमियों ने ट्रैक्टर खरीद लिया है और कितनों ने नहीं। आप दुबारा जानकारी के लिए सवाल पूछें तो बता दूंगा।

श्री जयसिंह राणावत : क्या यह बात सही है कि ऋण लेने वालों में से....

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या १७१.

११ मार्च, १९५६ को सुनेल नगर मण्डल में हुए निर्वाचन

१७१. **श्री हरिश्चन्द्र** (डग) : Will the Minister for Local Self Government be pleased to state:—

1, Is the Government aware that the elections of the Municipal Board, Sunel, took place on the 11th March, 1956 and the results thereof were published in the Madhya Bharat Gazette dated the 19th April, 1956 ?

2. Is it also a fact that the elected Board has not been permitted to take charge as yet ? If so, why ?

3. When and what steps does the Government intend to take to enable the elected members to perform their legal and public duties ?

स्वायत शासन मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) :

1. Yes.

2. Yes. The election of Chairman, Municipal Board, Sunel was conducted by the Collector, Mandsore, on 15.9.56 and Shri Mohan Lal, Kanungo was elected as Chairman of the Board. Shri Puri Lal, a member, challenged the validity of election of Chairman under Section 20 (1) of the Madhya Bharat Municipalities Act. There is a provision that Municipalities shall have a President and Vice-President, who shall be elected within one month from the date of publication, after the General Election, of the names of the Councillors. The petition was accepted by the Ratlam Sessions Judge on 31.10.56.

3. The matter is under consideration of the Government.

पाली नगरपालिका की गतवर्ष आय-व्यय की हुई जांच

१७२ **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या स्वायत शासन मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या पाली नगरपालिका के गत वर्ष के आय-व्यय की जांच हुई है ?

(ख) यदि हां, तो जांच में क्या क्या कमियें पाई गईं ?

स्वायत शासन मन्त्री : (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) गत वित्तीय वर्ष १६५६-५७ के आय व्यय की जांच अभी तक नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उटता।

श्री मूलचन्द डागा : आय-व्यय की जांच कराने की अवधि क्या है, यह किस समय तक हो जाना चाहिए ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इसके लिए एक डिपार्टमेन्ट लोकल ऑडिट फण्ड अलग कायम है और उसके अलग कानून बने हुए हैं। उनके यहां जिस तरह के नियम हैं उनके अनुसार कराते रहते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : यह जांच कौन करता है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने अभी अर्ज किया कि लोकल फण्ड ऑडिट डिपार्टमेन्ट अलग बना हुआ है, डी० एल० बी० कार्यालय अलग बना हुआ हैं और वह यह काम करता है।

सिकन्दराबाद से गीजगढ़ की सड़क का ठेका

१७३ **श्री गज्जा पटेल** (मीनापट्टी, दौसा): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) जयपुर से भरतपुर रोड पर स्थित सिकन्दरा घाट से जो सड़क कस्बा गीजगढ़ को निकाली जा रही है क्या उसका ठेका दिया जा चुका है ? यदि हां, तो उसे दिये कितना समय हो चुका है ?

(ख) अब तक वह सड़क क्यों नहीं बनी है तथा भविष्य में इसके कब तक बन जाने की संभावना है?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) जी नहीं।

(ख) योजनानुसार ५६-६० के अन्त तक बनने की संभावना है।

द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत इस वर्ष बनाई जाने वाली सड़कें

१७४. **श्री भवानी शंकर नन्दवाना** (कपासिन) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) चित्तौड़ जिले में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ली गई कौन कौन सी सड़कें इस साल बनाई जायेंगी और उन पर कितनी रकम खर्च होगी व सड़कें कितनी मील लम्बी बनेंगी ?

(२) जिले के हैडक्वार्टर को तहसीलों से सड़क द्वारा जोड़ने की सरकार की जो योजना है वह कब तक पूरी हो जायेगी ?

(३) इस वक्त कौन कौन सी सड़क बन रही हैं ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) संलग्न सूची में प्रदर्शित है।

(२) कुछ द्वितीय पंचवर्षीय योजना में और कुछ तृतीय योजना में।

(३) निम्न लिखीत सड़कें बन रही हैं:—

१. परतापगढ़ अरनोद ग्रेवल रोड
२. छोटी सादड़ी बड़ी सादड़ी मेटल्ड रोड़
३. उदयपुर चित्तौड़ मैटल्ड रोड

Page No.20

(श्री नाथूराम मिर्धा)

८. चित्तौड़ कपासन मैटल्ड रोड

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : यह कब तक पूरी हो जायेंगी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने बताया है कि कुछ इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना में और कुछ तृतीय पंच वर्षीय योजना में होंगी ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या १६०, श्री गज्जा पटेल ।

सन् १९५५–५६ में जिला बोर्ड जयपुर में निमाण किये गये पंचायत व औषधालय भवन

१६० **श्री गज्जा पटेल** (मीनापट्टी, दौसा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने का कष्ट करेंगे:—

(क) जिला बोर्ड, जयपुर द्वारा सन् १९५५–५६ के बजट में कितने २ पंचायत व औषधालय भवन बनाने के लिए निर्णय लिया गया था ?

(ख) क्या उपरोक्त सभी भवन बन चुके हैं ? यदि हां, तो जिला बोर्ड, जयपुर द्वारा निर्माण कराए जाने वाला पंचायत भवन सिकराय अब तक भी क्यों नहीं बनाया गया है ?

(ग) उपरोक्त अधूरे पंचायत व औषधालय भवन को जिला बोर्ड अब बनावेगी या नहीं ? यदि हां, तो वह कार्य कब तक पूर्ण हो जावेगा ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) सन् १९५५–५६ के बजट में कोई औषधालय या पंचायत भवन बनाने का निर्णय नहीं हुआ था । सन् १९५४–५५ के बजट में २० औषधालय भवन तथा ६० पंचायत भवन बनाने का निर्णय हुआ था ।

(ख) निर्णीत भवन अभी तक पूरे नहीं बने हैं । सिकराय के पंचायत भवन का ठेकेदार ने थोड़ा काम करके बन्द कर दिया, उस पर जुर्माना भी कर दिया गया है ।

(ग) पंचायत व औषधालय भवन बनाने का कार्य जिला बोर्ड का नहीं है । पिछले अधूरे कार्य सम्पूर्ण करने के लिए कुछ रकम सन् १९५५–५६ में स्वीकृत की गई थी । यदि ये भवन अब भी पूर्ण नहीं हुए तो पंचायत अपने व्यय से इन्हें पूर्ण करायेगी ।

श्री अध्यक्ष : एक कल का प्रश्न बाकी रह गया था । श्री तनसिंह ।

श्री तनसिंह : मुझे तो उसका अभी तक कोई उत्तर नहीं मिला है । क्या मैं सप्लीमेंट्री पूछूं ।

श्री अध्यक्ष : वह उत्तर नोटिस ऑफिस में कल ही भेज दिया गया था । आपको वहां से कल ले लेना चाहिए था ।

श्री तनसिंह : मैं वहां गया था, लेकिन मुझे तो ऐसी कोई चीज वहां नहीं मिली । कल मैं जिस समय गया उस समय तक तो जवाब नोटिस आफिस में नहीं आया था । उस समय तक आ गया होता तो मुझे जरूर मिल जाता । वैसे मैंने इसके बारे में विशेष रूप से वहां पूछा भी नहीं कि प्रश्न का उत्तर आया है या नहीं । जब इसका उत्तर सदन की मेज पर रखा गया तो वह मेरे पास आएगा,

(श्री तनसिंह)

ऐसी मुझे आशा थी। अगर ऐसी बात होती तो मैं स्वयं ही जा कर पता लगा लेता।

श्री अध्यक्ष : अब आप उसका उत्तर देख लें।

११. ४८. म. पू.

राजस्थान सेल्स टैक्स (अमेंडिंग एण्ड एक्सटेंडिंग) विधेयक, १६५७

(पुरःस्थापन)

श्री अध्यक्ष : विधायी कार्य। श्री हरिभाऊ उपाध्याय।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सेल्स टैक्स (अमेंडिंग एण्ड एक्सटेन्डिंग) बिल, १६५७ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि इस विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

बिल को पुरःस्थापित करने की आज्ञा दी गई।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

राजस्थान जनरल क्लॉजेज़ (संशोधन) विधेयक, १६५७ (पुरःस्थापन)

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशोर व्यास

श्री रामकिशोर व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान जनरल क्लॉजेज़ (अमेन्डमेंट) बिल, १६५७ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष ; प्रश्न यह है कि इस विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा दी गई।

श्री रामकिशोर व्यास : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

मांग संख्या २४—नागरिक निर्माण कार्य

श्री अध्यक्ष : मांग संख्या २४।

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, अनुदान की मांग संख्या २४, मुख्य शीर्षक ५०-नागरिक निर्माण कार्य के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १६५८ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त आवश्यक राशि को पूरा करने हेतु राज्यपाल महोदय को १,७१,७८,००० रु० तक की राशि प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरवलाल कालाबादल।

श्री भैरवलाल कालाबादल : माननीय अध्यक्ष, मांग संख्या २४, मुख्य शीर्षक ५० निर्माण कार्य भवन और सड़क (संयुक्त) में १ रुपये की कटौती का मैं प्रस्ताव करता हूं (समय पर काम का न होना—धन के दुरुपयोग के सम्बन्ध में)"।

श्री श्रीमानसिंह (बयाना): On a point of order, Sir, as read by the Hon'ble Member, I move that he may not be permitted to move this cut-motion on this Demand. Under

(श्री श्रीमानसिंह)

the rules, "that the amount of the demand be reduced by Rs. 1/-", this is for ventilating a specific grievance and since this cut motion is of a general nature, I request that he may not be permitted to move it.

श्री तनसिंह : Sir, when the Speaker has given permission or when the cut motion is on the order paper, the objection of the Hon'ble Member is too late and, therefore, it (the point of order) should be rejected.

श्री श्रीमानसिंह : I cannot go and tender the objection in the Speaker's Chamber. The Hon'ble Member is an experienced legislator.

श्री अध्यक्ष : I think there is no bar to the cut motion being taken for consideration.

श्री भैरवलाल काला बादल : अध्यक्ष महोदय, मेरा कटौती प्रस्ताव है, "मांग संख्या २४, मुख्य शीर्षक ५० निर्माण कार्य भवन और सड़क (संयुक्त) में रु० १ की कटौती की जाय (समय पर काम का न होना धन के दुरूपयोग के सम्बन्ध में)" ।

श्री श्रीमानसिंह : I have not followed, Sir.

श्री अध्यक्ष : There is no bar to the cut motion being taken into consideration.

श्री श्रीमानसिंह : You will excuse me. I have with me this 'Decisions of the Chair' and if you permit me to read out certain extracts as to the dropping of this cut motion, I may read them out.

श्री अध्यक्ष : The Chair has given its ruling so far as this cut motion is concerned and no discussion can be allowed.

श्री भैरवलाल कालाबादल (अकलेरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उसकी मन्शा यह है कि सरकार द्वारा जितने भी निर्माण के काम होते हैं और जितना भी धन खर्च करते हैं उसका दुरुपयोग होता है और समय पर काम नहीं होता। वैसे निर्माण कार्यों से ही प्रान्त की उन्नति होती है। जितनी धन-राशि निर्माण कार्यों पर खर्च की जायगी उतना ही हमारा प्रान्त उन्नतिशील होगा। मगर आज हम देखते हैं कि जितनी धन राशि निर्माण कार्यों पर खर्च की जाती है उसका एक प्रकार से दुरुपयोग होता है। जो सड़कें प्रथम पंच वर्षीय योजना में पूरी हो जानी चाहिये थीं वे पूरी नहीं हुईं, उन सड़कों पर कई जगह गिट्टी पड़ी है, कई जगह पत्थर पड़े हैं, कई जगह पुल बनाये गये हैं तो मोखे कम बनाये हैं; जहां मोखे ठीक बनाये गये हैं तो पुल पूरी नहीं बनायी गई है, इस तरह से धन बेकार जाता है। देखा यह गया है कि एक बरसात में दोनों किनारों पर जो मिट्टी डाली जाती है वह मिट्टी बह जाती है और पुलिया तक टूट जाती है।

दूसरी चीज यह है कि जिन ठेकेदारों को ठेका दिया जाता है वे बीच ही में काम छोड़

(श्री भैरवलाल कालाबादल)

कर चले जाते हैं और उन पर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं होती। कई ठेकेदार तो रकम खाकर भाग जाते है। इन्जीनियर लोग सड़कों की देख-भाल नहीं करते। कई जगह ऐसा देखा गया है कि नीचे पत्थर जमा दिये जाते हैं, जहाँ खड़े जमाने होते हैं वहाँ फर्श की तरह आड़े बिछा दिये जाते हैं और उन पर जल्दी से मिट्टी डालकर ढक दिया जाता है ताकि इन्जीनियर वगैरह गल्ती को देख नहीं सकें कि सड़कों का काम ठीक हुआ या नहीं।

बारां से भालावाड़ रोड पहली पंच वर्षीय योजना में ही पूरी हो गई होती लेकिन अभी तक पूरी नहीं हो पायी है। एक भालावाड़ से खानपुरा रोड है जो ६ मील ४ फर्लांग थी जिसको पूरा करने हेतु तीन साल का आश्वासन था उसके लिये पूरे पांच वर्ष बीत गये पर इस सड़क का काम पूरा नहीं हुआ। इसी तरह की हालत पाटन से बकाणी रोड की है। बरसात के दिनों में इस रोड़ से बसों का निकलना बड़ा खतरनाक हो जाता है। मनोहर थाना रोड की हालत यह है कि जिस ठेकेदार को यह रोड बनाने का ठेका दिया था उसने पुलियों का काम पूरा नहीं किया इसलिये जो सड़क बनी है वह न बनने के समान ही है। मुझे ऐसा लगता है कि इस सड़क को दूसरी पंच वर्षीय योजना में भी पूरी नहीं कर पायेंगे। कनवास खानपुर रोड के लिये १ लाख १० हजार रुपये की मन्जूरी थी उसमें से सिर्फ २८ हजार रुपया खर्च हुआ है और वहां के पुलियों की हालत भी खराब है। मेरा यह निवेदन है कि जब तक पुलियों को पूरा नहीं बना पायेंगे तो जो सड़कें बनी हैं वे बेकार हो जायंगी।

इसी प्रकार भवनों के बारे में भी यही हालत है। जितने भी भवन बनाये जाते हैं वे सब शहरों में बनाये जाते हैं। कॉलेज या हाई स्कूल के जितने भी भवन है वे सब शहरों में ही बनते हैं। अगर गांवों में किसी स्कूल के भवन बनाने होते हैं तो गांव वालों से आधा रुपया मांगा जाता है और शहर वालों से एक पाई भी नहीं मांगी जाती। आज हम गांवों की तरक्की करना चाहते हैं, मगर गांवों के अन्दर शिक्षा की कमी है, शिक्षा के लिये स्कूल बनाकर आप देना नहीं चाहते तो गांवों की तरक्की किस प्रकार होगी? गांव वालों के लिये शिक्षा का ठीक प्रबन्ध नहीं, भवन नहीं इसी तरह से जितने भी भवन बनाये जाते हैं शहरों में बनाये जाते हैं और शहर वालों से एक पाई भी नहीं ली जाती है और गांव वालों से आधी रकम मांगी जाती है।

श्री अध्यक्ष : आधी रकम का प्रश्न नहीं है, काम में देरी क्यों हो रही है, इसी के बारे में बोलें।

श्री भैरवलाल कालाबादल : हाई स्कूल भवन के बारे में मैं जिक्र कर रहा था। खानपुर हाई स्कूल के लिये १५ हजार रुपया खर्च करने का आश्वासन दिया था और उसकी मन्जूरी भी दी गई थी लेकिन पहले वर्ष में ही १५ हजार रुपये लेप्स हो गये। दूसरी पंच वर्षीय योजना में भी मेरी समझ में यह काम पूरा होने का नहीं है।

अकलेरा हाई स्कूल भवन की भी यही हालत है। वहां के लिये भी जो रकम रखी गई थी वह लेप्स हो गई। उसी रकम को दूसरी पंच वर्षीय योजना में रखा गया है। जो रकम लेप्स हो जाती है उसको दूसरे साल

(श्री भैरवलाल कालाबादल)

में रख कर बता दिया जाता है कि हमने आपके लिये बहुत रकम रखी है।

काली सिन्ध नदी से जो गिरट निकलती है उसको इन्जीनियर विभाग द्वारा देखा नहीं गया है। उस नदी से जो कंकर निकलता है, जिसको काम में लेते है तो ३ रुपया सौ फुट पर खर्च आता है। वहां इन्जीनियर झालावाड़ ने उसी कंकड़ को ८ रुपया, ६ रुपया १०० फुट पर दिया है। उस तरह मंहगी मिट्टी को डलाया गया है।

श्री श्रीमानसिंह : On a point of order, such disapproval of Government policy which the Hon'ble Member is ventilating or you see, just a specific grievance; if it is disapprovel of Government policy, in that case- the Hon'ble Member belonging to the Treasury Benches, what will be his position in case of a division? That is what I want to know.

श्री अध्यक्ष : It is disapproval, in a way, of Government policy for not finishing the buildings in time and dragging on the construction work.

श्री श्रीमानसिंह : I want to draw your attention to the Rules that only disapproval of Government policy can be... when there are specific words used that "reduced by Re. 1/-" this is under Rule 164-Cut; Motions; then only he can disapprove policy of the Government and if it is just a token cut, then tho Hon'ble Member should be specific as to which grievance he wants to put before the House. If it is disapproval of policy, then this cut motion has not been properly drafted, Sir. This is what I wish to put before your honour, humbly, Sir.

श्री अध्यक्ष : It is true that this is not correctly drafted, but what the Member is trying to make out is what I have stated; namely, the policy of the Government, for constructing the buildings but not completing them in one or two years.

श्री श्रीमानसिंह : Then the cut-motion itself is not in a proper form. The cut-motion should be specific regarding this as he is dis-approving the policy of the Government.

श्री अध्यक्ष : The drafting could have been improved, but as it is we might continue the discussion.

श्री भैरवलाल कालाबादल : तो माननीय अध्यक्ष, मैं कह रहा था कि इस तरह पचपहाड़ से गंगाधार तक की रोड के लिए रियासतों के एकीकरण के समय झालावाड़ रियासत की ओर से सात लाख रुपया रोड के काम के लिए छोड़ा गया था। वह रुपया जनरल फंड में मिला लिया गया और रोडों के लिए खर्च नहीं किया गया। इस रोड को प्रथम

(श्री भैरवलाल)

पंचवर्षीय योजना में ले लिया गया था पर अभी तक केवल ८ मील का टुकड़ा बन पाया है और इसकी भी यह हालत है कि मेरी समझ में इसका बनाना न बनाना बराबर है।

इसी तरह से हमारे डिवीजन में बूंदी से नैनवा तक की जो पक्की रोड बनी हुई है इसकी भी मरम्मत नहीं हो पाई। रियासतों के जमाने में वह पक्की बनी थी। मेरी समझ में तो आज हालत यह है कि जितनी धन राशि खर्च की जाती है उसका दुरुपयोग ही होता है। मैं तो समझता हूँ कि एक चौथाई रकम तो इन कामों पर खर्च होती है और बाकी की रकम सरकार के बड़े बड़े आफिसरों की जेबों में चली जाती है। अगर सरकार को इस ओर ठीक निगाह हो और निर्माण के काम को सही तरीके से देखा जाता हो तो मैं तो समझता हूं कि हमारे प्रान्त का बहुत ज्यादा हित हो सकेगा और यह जो धन-राशि की मांग की गई है उससे भी ज्यादा धन-राशि की मांग की जा सकती है। सही तरीके से निर्माण का काम चले तो अगर प्रथम पंचवर्षीय योजना में ठीक तरह से काम होता और उन कामों की ठीक तरह से देख रेख होती तो माननीय अध्यक्ष, मैं यह प्रस्ताव ही नहीं रखता।

इसलिये अब मैं समझता हूं कि जो प्रस्ताव मैंने रक्खा है उसे सदन को मंजूर करना चाहिये और सदन को मेरे प्रस्ताव का समर्थन करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मण हीरात।

श्री लक्ष्मण हीरात (गोगुंडा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा कटौती का प्रस्ताव इस प्रकार है :

"मांग संख्या २४, मुख्य शीर्षक ५०—नगर निर्माण कार्य में एक रुपये की कटौती की जाय (उदयपुर जिले की कोटड़ा, गोगुन्दा, फलासिया, खेरवाड़ा, तथा सराड़ा तहसीलों की सड़कों की स्थिति पर विचार करने के लिये)" तो मुझे कोटडा, गोगुन्दा, फलासिया, खेरवाडा और सराड़ा तहसीलों की सड़कों पर विचार करना है।

माननीय अध्यक्ष, मैं वैसे तो सदन का अधिक समय नहीं लूंगा और थोड़े ही समय में कुछ खास-खास एक दो बातें आपके सामने इस सदन में रखना चाहूँगा।

वैसे तो हम सब जानते हैं कि जहां आने जाने के साधन नहीं होते हैं वहां लोग बहुत से फायदों से महरूम रह जाते हैं। उदाहरण के लिये उदयपुर जिले की गोगुन्दा तहसील की सडकों के बारे में मैं बताऊंगा कि वे बहुत ही खराब हालत में हैं, अध्यक्ष महोदय, गोगुन्दा से....सोम को जो सड़क जाती है उसके ऊपर इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कुछ रकम खर्च करने को रक्खी हुई है। वह रकम है करीब ५० हजार रुपया। इस साल वह खर्च किया जावेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में यह नहीं आता कि इस बहुत ही पिछड़े प्रदेश और पहाड़ी प्रदेश के लिये इतनी सी रकम से क्या होगा? यह बहुत ही कम रकम रक्खी गई है, जब कि दूसरी तरफ बड़े बड़े शहरों में डामर की सडकें बनी हुई हैं और बहुत फर्स्ट क्लास सडकें बनी हुई हैं।

इसी तरह से खेरवाडा से कोटड़ी रोड जाने वाली है, इस पर भी बजट में यह बताया गया है कि उस रोड का कुछ भाग रह गया है जिसको पूरा करने के लिये २० हजार रुपया

(श्री लक्ष्मण हीरात)

रखा गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वह रोड बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसके आस-पास पड़ने वाले गांव भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। वह इलाका जंगल का इलाका है और उसमें से बहुत ही उपयोगी चीजें निकलती हैं; जैसे बांस, कोयला आदि । तो ऐसी महत्वपूर्ण रोड के लिये जो धन रक्खा गया है वह बहुत कम है। उसे अधिक बढ़ाना चाहिये, उसे जल्दी पूरा कराया जाना चाहिये। आज उस सड़क के महत्वपूर्ण होने से और काफी आना-जाना होने से हर साल एक आध एक्सीडेन्ट होते ही रहते हैं। इस वास्ते भी उसे जल्दी पूरा करना बहुत आवश्यक है।

एक सड़क है स्वरूपगंज से कोटड़ा आने वाली। पर आज उस पर उचित ध्यान नहीं दिये जाने के कारण साल में ६ महीने ट्राफिक रहता है और ६ महीने वह बन्द रहता है। ऐसी स्थिति में सिर्फ २० हजार रुपया जो रक्खा गया है वह बहुत कम है। इससे बडा दुख होता है हमें। उस इलाके के लिये वहां से कच्चा माल बहुत तादाद में निकल कर कोटडी तहसील से बाहर स्वरूपगन्ज होता हुआ बम्बई स्टेट मे जाता है और राजस्थान को उसे बहुत फायदा होता है। उसके लिये रकम कम रक्खी गई है, इसके लिये मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इस ओर ध्यान दें।

इसके अलावा माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सड़कें दूसरी पंचवर्षीय योजना में नहीं रक्खी गई हैं उनके बारे में कुछ जिक्र करना चाहता हूं।

जसवन्तगढ़ से वाया सारंगपुर रणकपुर होकर सड़क जाती है जो जोधपुर से मिलाती है। इसमें एक तरह से हमारे राजस्थान का काफी हिस्सा आ जाता है। उधर से एक रोड निकल जाने से हमारे लेन-देन का और आने-जाने का अच्छा साधन बन सकता है। तो इसे भी हमें इस दूसरी पंचवर्षीय योजना में लेना चाहिये।

इसी तरह गुगरोद से पिंडावल तक जाने वाली रोड बड़ी महत्वपूर्ण है। वहां आदिवासी रहते हैं, उनको इससे बड़ा फायदा मिलेगा।

इसी तरह गोगुन्दा से वाया महदपुर जाने वाली रोड है। यह भी बड़ी महत्व की रोड है। राजस्थान को जंगल से सबसे बड़ी आमदनी इसी इलाके से होती है इसलिये इस रोड को आपस में मिला दिया जावे तो हजारों ही नहीं, लाखों रुपयों का हमारा माल वहां से आसानी से निकल सकता है और आदिवासी भी खुशहाल हो सकते हैं।

इसी तरह से कोटड़ी से खेड़ाब्रह्मा की एक सडक हो सकती है खेड़ाब्रह्मा बम्बई स्टेट में है और हमारे यहां से कोयला का एक कूप है। उस कूप से उधर से सारा माल जा सकता है। गुरूमेरपुर और मामेर महाद उधर को निकलती है। वहां से हजारों ट्रक भर भर कर निकलते हैं। रोज दस-पन्द्रह ट्रक जाते आते रहते हैं। इस तरह साल भर में हजारों ट्रक कोयला वहां से जाता है। पर वे आज सड़क ठीक नहीं होने से साल में ६ महीने ही निकलते हैं। इससे ठेकेदार को भी लौस रहता है, और लोगों को भी तकलीफ रहती है, साथ ही सरकार को भी इससे नुकसान होता है। इसलिए मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस को भी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ले लिया जाना चाहिये।

(श्री लक्ष्मण हीरात)

अब माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एकाध बात और बता देना चाहता हूं इस विभाग की धांधलीबाजी के बारे में और वह यह है कि ठेकेदारों और मजदूरों की समस्या........

श्री अध्यक्ष : इसके बारे में आपका कोई कट मोशन नहीं है ।

श्री लक्ष्मण हीरात : है साहब । तो ठेकेदारों और मजदूरों की एक यह समस्या है ।

श्री अध्यक्ष : आपका कट मोशन उन सड़कों पर है और उनके बारे में आप बता चुके हैं ।

श्री लक्ष्मण हीरात : मज़दूर भी सड़कों पर काम करते हैं ।

श्री अध्यक्ष : इस तरह से एक दूसरे का सम्बन्ध नहीं जोड़ा जा सकता ।

श्री लक्ष्मण हीरात : तो इसी पर कहता हूँ । इसी तरह से गोगुन्दा और जसवन्तगढ़ से आगे जाते हैं तो वहां भी सड़कें बाकी हैं । इसी तरह सराड़ा खैरवाडा और फलासिया में कई सड़कें बाकी हैं और जैसा कि मेरे एक माननीय पूर्व वक्ता सदस्य ने बताया कि जो रकम प्रथम पंचवर्षीय योजना मे रक्खी गई है उसी को फिर वापिस द्वितीय पंचवर्षीय योजना में रक्खा गया है और उनको पूरी करके आगे आगे बढ़तेजाते हैं और वे काम पूरे नहीं होते हैं । ऐसी छोटी छोटी बहुत सी बातें हैं । मैं आपके द्वारा अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस ओर वे ध्यान दें और इस आदिवासी एरिया को ज्यादा से ज्यादा रोड निकलवा कर दूसरे हिस्सों से मिलाने की कोशिश करें। इन शब्दों के साथ मेरा कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं ।

श्री शिवचरणदास (मांडल) : अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या २४, शीर्षक ५० में १००) की कटौती चाही गई है । निवेदन है कि देवगढ़ से मांडल को जाने वाली सड़क जो पिछली पंचवर्षीय योजना में भी रखी गई थी लेकिन इन पांच वर्षों में उस सड़क पर सिर्फ ६ मील तक ही काम हुआ है, वह भी इस तरह का कि कहीं आधे मील के टुकड़े पर काम हो गया है, कहीं एक मील छोड़ दिया गया है, कहीं एक फर्लांग पर काम हुआ है । मतलब यह है कि छः मील पर भी पूरा काम नहीं हुआ है । इस साल बजट में इसके लिए १ लाख ३० हजार की स्वीकृति दी है । मेरा एतराज यह था कि इसमें अनावश्यक देरी होती है । मुझे आशा नहीं है कि इस पंचवर्षीय योजना में भी, पहली पंचवर्षीय योजना में जिस रफ्तार से काम हुआ है, यह काम पूरा हो सके, जब कि ६५—७० मील यह सड़क लम्बी है ।

यह सड़क कितनी आवश्यक है इसके लिए मैं निवेदन कर दूं कि देवगढ़ से मांडल जाने में इस एरिया की तहसील है, यह तहसील मैं समझता हूं कि राजस्थान में एक बड़ी तहसील है और उसके आगे मांडल से ८ मील पर भीलवाड़ा पड़ता है जो कि एक डिस्ट्रिक्ट है और वहां पर करीब करीब सब अदालतें हैं और इसीलिए यहां पर काफी ट्राफिक लगता है । इसके अलावा ब्यावर का सम्बन्ध भी इस सड़क से पड़ता है, भीम का सम्बन्ध भी इस सड़क से पड़ता है, गंगापुर का सम्बन्ध भी इससे पड़ता है, इस पर काफी ट्राफिक चलता है । जिस धीमी गति से यह महकमा

(श्री शिवचरणदास)

काम करता है, मैं नहीं समझता कि यह २० साल में भी जाकर काम हो सके। इसलिए १००) की कटौती चाही है। मैं सदन में मंत्रीजी से आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि इस कटौती को स्वीकार किया जाना चाहिए, इस ओर ध्यान दिया जावेगा; ऐसा अश्वासन वे दें कि इस पंचवर्षीय योजना में ही इसका काम पूरा कर सकेंगे। विशेष आपत्ति यह है कि बसेज़ चली हैं वहां पर, पहले जो प्रबन्ध सवारियों का लोग रखते थे, घोड़े-ऊँट आदि, उनको उसी आधार पर बन्द कर दिया गया। जब बरसात होती है तो सड़क न होने से सब सर्विसेज़ बन्द हो जाती हैं और वहां पर अदालतों में जाने वाले लोगों को, पेशियां तो पड़ती हैं नियमानुसार, लेकिन जब बसेज़ बन्द हो जाती हैं तो वे कैसे अटेन्ड कर सकते हैं। लोगों की जमानतें जब्त हो जाती है, और कई दिक्कतें होती हैं। वैसे व्यापारिक दृष्टि से भी ब्यावर-भीलवाड़ा से काफी सम्बन्ध है, दूसरे देहातों का भी इससे काफी सम्बन्ध है। इसलिए जनता को काफी बड़ी तकलीफ है। गंगापुर एक मजिस्ट्रेटी होने से भी करेड़ा एक ऐसा सेन्टर है कि जहां चार बसेज़, दो बसेज़ हर वक्त आती हैं और दो बसेज़ जाती हैं। इस प्रकार आठ बसेज़ का वहां पर ट्राफिक है। इससे २००—२१० व्यक्ति बसेज़ में हर वक्त चलते रहते हैं। इस सड़क के नहीं होने से लोगों को बहुत बड़ी तकलीफ है। बरसात में ये बसेज़ बन्द हो जाती हैं, तो जिस रास्ते पर यह सड़क निकाली गई है, सड़क तो बनाते नहीं, वैसे सड़क के लिए साधारण रास्ता था, किसी जगह मिट्टी डाल दी गई, किसी जगह कटाई करके पत्थर पड़े हुए हैं उससे बैलगाड़ियों को जाने में भी बरसात में काफी तकलीफ हो जाती है। इन सब आपत्तियों को देखते हुए मैंने जो कट मोशन दिया है इसको स्वीकार किया जाय।

श्री अध्यक्ष : रावराजा श्री सरदार सिंह।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : माननीय अध्यक्ष जी, मांग संख्या २४के लिस्ट नं० ३ सीरियल नं० ५७ पर मेरा कटौती प्रस्ताव उनियारा क्षेत्र में अपर्याप्त सड़कों के बारे में है। माननीय अध्यक्षजी, यों तो यह जो कार्य सरकार ने पंचवर्षीय योजना में चलाया है वह अच्छा है, लेकिन सरकार अपने इस कार्य को चलाने में क्षेत्रीय भावना न रखे या सरकार पार्टी पोलिटिक्स न रखे, ओनेस्टली जहां सड़कें बनानी हों, वहां ही इस कार्य को चलाये तो शायद सरकार सालाना छः छः मील के टुकड़े को बनाए तो पंचवर्षीय योजना में ६×५=३० मील हो सकती है। लेकिन मैं यहां यह देखता हूँ कि जहां से अपनी पार्टी के जो सदस्य यहां पर जिस क्षेत्र से खड़े होते हैं उसी क्षेत्र में तो मुझे इस कार्य की प्रगति दीखती है लेकिन जहां से विरोधी दल के लोग होते हैं वहां पर काम छेड़ने पर भी वह काम एकदम बन्द कर दिया जाता है और उसमें ऐसी बहाने बाजी बतलायी जाती है कि फलां ठेकेदार ने काम नहीं किया। वास्तव में तो बात यह है कि हम लोगों के यहां जो इधर बैठने वाले हैं, न मालूम क्या है कि आप लोग कार्य नहीं कराते। नहीं तो चाहिये यह कि सरकार में जिस वक्त हम सब चुनकर यहां आते हैं, उनमें से आप लोग जब इस राजस्थान के भाग्य का निर्णय करने के लिये कुर्सी पर विराज जाते हैं उसके बाद भेदभाव नहीं रखना चाहिये, समान दृष्टि से देखना चाहिये। जिस क्षेत्र से मैं आया हूं उसका संक्षेप

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

में आपके सामने वर्णन कर दूं।

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा क्षेत्र उनियारा है। उनियारा में पहले चार तहसीलें थीं। उनियारा की कॉन्स्टिट्युएन्सी बनायी गई उसमें दूनी तहसील कुछ टोंक को मिला कर बनायी गई और उनियारा क्षेत्र बनाया गया। उनमें ऐसे ऐसे गांव लगाये गये हैं कि पहले जिनको सुविधा थी उनको अब असुविधा हो गई। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक नासिरदा बड़ा कस्बा है, पहले टोडा रायसिंह में था, वहां से टोडा ६ मील है लेकिन अब उस नासिरदा को वहां से हटाकर दूनी तहसील में लगा दिया।

श्री अध्यक्ष : आप तो सड़कों के बारे में बतायें।

रावराजा श्री सरदार सिंह : सड़कों की डिफीकल्टी है, वही कहता हूं। तो वहां के लोगों को आने-जाने में क्या दिक्कतें होती हैं वे तो माननीय मंत्री जी जानते हैं। बरसात के अन्दर उनको इतनी तकलीफ होती है कि दो ही रास्ते हैं, एक रास्ता तो नासिरदा से थांवला होकर, नेगड़िया होकर देवली जाता है और दूसरा गर्मियों में बनास को पार करके जाता है। वहां से दूनी कम से कम ४०–४५ मील दूर है। हर एक साल इस प्रकार सड़क की व्यवस्था होने से इस बनास में चौमासे के अन्दर एक न एक आदमी, एक न एक बच्चा अपनी जान खो बैठता है। यातायात की यह हालत है कि थावला के अन्दर कुछ ज्यादा तालाब हैं, तो बरसात में यों ही वहां का आवागमन बन्द रहता है लेकिन बरसात के बाद चौमासे में तालाब भर जाने से २ महीने बाद में भी बन्द रहता है इसलिये ६ महीनों तक लोरियों का आवागमन बन्द रहता है। उधर मुकदमेवाले लोग वक्त पर नहीं पहुँच पाते हैं इसलिये उनकी जमानतें जब्त हो जाती हैं और मुकदमें खारिज हो जाने से उनको बड़ी परेशानी होती है। इसलिये सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि सड़कें बनाई जाय तो पहले उस स्थान की इम्पोर्टेन्स को देख लिया जावे और जो इम्पोटेंन्ट काम हो उसे हाथ में लेकर पूरा किया जावे। सरकार के लिये सभी गांव एक समान हैं। जिस तरह से मिनिस्टर साहब अपनी कांस्टीट्यूएन्सी के बारे में दिलचस्पी लेते हैं उसी तरह और उतनी ही दिलचस्पी उनको विरोधी दल वालों की कांस्टीट्युएन्सी में भी लेनी चाहिये। इसमें आपकी भी अच्छाई है।

दूसरी बात यह निवेदन करना चाहता हूं कि दूनी तहसील में कोई सड़क नहीं है। एक योजना थी सिरोली से सड़क बनाने को। आज चार–पांच वर्षों हो गये हैं लेकिन जिसको पहले प्रायोरिटी दी गई थी वह ५ मील का टुकड़ा भी अब तक नहीं बन सका है।

एक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं। इसके बारे में मैंने पहले क्वेश्चन भी पूछा था और मन्त्रीजी ने आश्वासन भी दिलाया था और मुझे यह विश्वास था कि वह हो जायगा, अब तो मन्त्रीजी भी ऐसे हैं कि अपने आश्वासन को पूरा करेंगे, ताहमभी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उणियारा एक उन्नतिशील कस्बा है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में यह रखा गया था कि एक सड़क उणियारे से होती हुई लाखेरी तक जायगी। उस सड़क को प्रथम पचवर्षीय योजना में प्रायोरिटी दी गई थी और वह प्रायोरिटी इस वजह से नहीं दी गई थी कि वह मेरी कॉंस्टीट्यूएन्सी में है लेकिन इसलिये

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

प्रायोरिटी दी गई थी कि सवाई माधोपुर से आनेवाली सीमेन्ट दौसा, लालसोट होकर आती है उसमें ५०—६० माइल का चक्कर पड़ता है और माधोपुर से उणियारा होकर आने में ५०—६० माइल की बचत होती है और लाखेरी से जो सामान आता है वह बूंदी टोंक होता हुआ आता है, उधर से आने में भी चक्कर पडता है इसलिये इस सड़क को प्रोयोरिटी दी गई थी। लेकिन क्या वजह है कि वह अब तक पूरी नहीं हुई ? प्रथम पंच वर्षीय योजना भी निकल गई लेकिन सड़क का कार्य अब तक बिल्कुल ढीला पड़ा हुआ है। टोंक से ५ मील की सड़क किसी ठेकेदार को बनाने के लिये दी गई थी वह बनकर भी नहीं बनने के बराबर है। वह सब जगह से टूट गई है और आगे का काम टप्प पड़ा है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा मंत्री महोदय से कि जब ५ मील का टुकडा भी ५ साल में पूरा तैयार नहीं हुआ है तो इतना लम्बा टुकडा एक साल में कैसे पूरा हो जायगा ? यदि मन्त्रीजी एक साल में दोनों सड़कों को एक साल में पूरा करा दें तो बहुत अच्छी बात है।

दूसरी बात निवेदन करना चाहता हूँ अपने ही बारे में। मेरे यहां तहसील उणियारा में थी, वह वहां से हटाकर अलीगढ़ भेज दी गई। अलीगढ़ के बीच में तीन नाले पड़ते हैं, जिनमें गये साल भी एक आदमी की गाड़ी डूब गई और दो बैल और एक बच्चा बह गया। मैं आपत्ति नहीं कर रहा हूँ तहसील के लिये, यह तो सरकार अपनी सुविधा देखे वहीं रख सकती है, क्योंकि वह भी मेरी कांस्टीट्युएन्सी में है। लेकिन सरकार को यह देखना चाहिये कि कौनसी जगह उपयुक्त है। सरकार को यह भी देखना चाहिये कि वहां क्या क्या सुविधाएं हैं ? पार्टी पोलिटिक्स को देख कर ही वहां से हटाना न्याय संगत नहीं है। इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि यह केवल एक ही मामला नहीं है। मेरे यहां गांव बहुत लगाये हैं। अभी दूसरे इलेक्शन में मेरी कांस्टीट्युएन्सी में और क्षेत्र लगाये गये हैं। टोंक से धूआं लगाया गया था बाद में धाड़ लगाया गया। पहले धुआं आदि ५—७ गांव टोंक कांस्टीट्युएन्सी में थे। मैंने खुदने वहां जाकर देखा। वे ५—७ गांव ऐसे हैं जिनकी जन-संख्या ५००—७०० है। ये गांव सड़क से १५—२० मील के फासले पर हैं। न उनके यहां पोस्ट ऑफिस है, न सड़क है और न वहां लोरियां जाती हैं, न यातायात का कोई दूसरा साधन है। वहां के लोग समझते हैं कि हम जैसे पहले थे वैसे ही अब हैं, सरकार ने हमारे लिये कोई सुविधाएं नहीं दी हैं। सरकार न तो आवागमन के साधन बढ़ा रही है और न कोई उनको दूसरी सुविधा दे रही है। सरकार समान दृष्टि रख कर काम करे तो ज्यादा अच्छा हो।

अब ज्यादा समय न लेकर यही निवेदन करूंगा कि सरकार अपने ऑनेस्ट तरीके से सोच कर जो इम्पोर्टेन्ट स्थान हैं वहां पूरी सुविधा दे तो अच्छा हो; मसलन उणियारा की सड़क जल्दी बनानी चाहिये।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव इस प्रकार है :
"That the demand No. XX1V Major head 50-Charges on buildings and roads be reduced by Re. 1/- (To discuss the failure of Government to solve the Road & Buildings problems of District Jhun-Jhunu) "

जहां तक सड़क निर्माण का सवाल है

(श्री शिवनाथसिंह)

कोई भी सदस्य यह नहीं कह सकता कि सड़क निर्माण के मामले में इतनी कम रकम रखी जाती है। मेरी यह मान्यता है कि ज्यादा से ज्यादा रकम इस काम में खर्च की जाय और सरकार इसके लिए भरसक प्रयत्न कर रही है। लेकिन कुछ कार्य करने में ऐसी दिक्कतें हैं जिनकी वजह से जितना काम सरकार करना चाहती है उतना नहीं कर पा रही है, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में जितना काम होना आवश्यक था उतना नहीं हो पाया है। कुछ स्थान नजरअंदाज भी कर दिये जाते हैं और कुछ अनावश्यक चीजें भी पहले ले ली जाती हैं। इन सबको कहने का मेरा मतलब जो है वह यह कि इस महकमे में कुछ ऐसी कमियें हैं जिनकी वजह से निश्चित लक्ष्य पर पहुँचने में सरकार असमर्थ है।

जहां तक सड़कों का सवाल है वह पी० डब्ल्यू० डी० के महकमे से संबन्ध रखता है। इस महकमे के द्वारा जिनको ठेका दिया जाता है उनमें से कुछ ठेकेदार ऐसे भी ठेका ले लेते हैं जिनके पास पूरे साधन नहीं हैं। जिनके पास काम करने के साधन नहीं है उनको भी ठेका दे दिया जाता है और उसका नतीजा यह होता है कि निश्चित अवधि में कार्य पूरा नहीं हो पाता। इससे जनता को नुकसान होता है और सरकार की नीति भी असफल होती है। तो मेरा निवेदन यह है कि इन ठेकेदारों को आवश्यक जानकारी होनी चाहिये कि आया इतना साधन जुटा सकते हैं या नहीं या जितना ठेका लेते हैं उतना काम समय पर कर सकते हैं या नहीं? मैं सीकर और झुंझुनू जिले का उदाहरण आपके सामने पेश करूंगा। और भी बहुत से ऐसे जिले हैं जहां काम १ या दो साल में पूरा होना चाहिये था वहां ५ साल में भी पूरा नहीं हुआ। जैसे झुन्झुनू जिले का उदाहरण पेश करूं। जयपुर से खेतड़ी होती हुई सड़क आने की योजना थी। यह स्थान झुन्झुनू से ७०—८० माइल से ज्यादा नहीं है यह सड़क पहली पंचवर्षीय योजना में बननी चाहिये थी लेकिन उस सड़क का काम केवल २४ माइल तक हुआ है। कई बार ठेके दिये, टाइम बढ़ाया गया, लेकिन अब तक भी काम पूरा नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में मेरा सुझाव यह है कि या तो काम समय पर पूरा कराया जाय या जो काम सौंपा जाय वह ऐसी संस्थाओं को सौंपा जाय जो हमेशा से यह काम करता है। या तो उनके द्वारा कार्य करवाया जाय या ठेका देने के बारे में नीति बना लें, जिससे वह कार्य पूरा हो सके। ठेके के अलावा कुछ दिक्कतें हैं, जिनकी वजह से ठेकेदार, साधन होते हुए भी, काम नहीं कर पाते; जैसे सर्टिफिकेट देने का सवाल है, रोड रोलर का सवाल है, पेमेंट करने का सवाल है। रोड—रोलर के सम्बन्ध में सम्बन्धित मन्त्री ने बताया था कि रोड रोलर की कमी है। हम चाहते हैं कि जितने साधन हमारे पास हैं, उनके हिसाब से हम साधन जुटा सकें, फिर कुछ एरिया को बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया जाता है और कहीं कहीं रोड रोलर ज्यादा रख दिये जाते हैं। सरकार इस पर ध्यान रखे कि जहां जितनी आवश्यकता हो उसी हिसाब से रोड रोलर डिस्ट्रीब्यूट हो जायें और सड़कें बनाने का काम जल्दी हो सके। फिर पेमेन्ट का सवाल है, सर्टिफाई करने का सवाल है। मैं समझता हूं कि सदन का हरएक सदस्य मुझ से सहमत होगा कि इसमें काफी धांधली होती है। मैं नहीं कहता कि हर एक ऑफिसर इस तरह की गड़बड़ी करता है, लेकिन मेजोरिटी इस

(श्री शिवनाथसिंह)

बात को मानती है कि उनको सर्टीफिकेट जल्दी इश्यू किया जाता है, जो उनको कुछ राजी कर सकते हैं। नीचे के ठेकेदार, ओवरसियर और बड़े बड़े अधिकारियों को राजी करने के लिए इस तरह की कार्यवाही नहीं करते हैं, उनको सर्टिफिकेट इश्यू करने में दिक्कत होती है और एक अमाउन्ट, जो आज ठेकेदार को पेमेन्ट हो जाना चाहिए था, उस अमाउन्ट के पेमेन्ट में काफी दिक्कत होती है और जिससे आगे के कार्य में बाधा पहुँचती है और इस तरह से एक ठेकेदार से जितना काम लेना चाहते हैं, वह उतना काम नहीं कर सकता है। इस तरह से जो इसमें वर्किंग सिस्टम है, उसमें सुधार होना चाहिए।

दूसरा मेरा आपसे निवेदन है कि कुछ आवश्यक कार्य जो कि राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक हैं, पहले उन्हें लेना चाहिए; जैसे झुंझुनू जिले का विषय है, वहां बहुत बड़ी बड़ी खानें हैं, जैसे ताम्बे की खान। वहां लोहा भी निकलता है। इसके अलावा ऐसे एरिया में, जहां साल भर में चार फसलें होती हैं, उन फसलों के नाज को बाहर भेजने के लिए आवागमन के साधन नहीं है, रॉ मेटीरियल को बाहर भेजने में लिए सड़कों की आवश्यकता होती है। यदि वहां सड़कें ठीक ढंग से नहीं बनती हैं, तो इस जिले का नहीं, राजस्थान का नहीं, समूचे देश की प्रगति में बाधा हो सकती है। कुछ सड़कें जो कि आज तक कभी की बन जानी चाहिए थीं, नहीं बन पा रही हैं और जिन सड़कों का कार्य शुरू कर देना चाहिए था, वह काम शुरू नहीं किया गया है। इस पंचवर्षीय योजना में बहुत बड़ी बड़ी स्कीमों के लिए सहायता देनी चाहिए थी लेकिन इस साल केवल मोहनगढ़ से लेकर यहां के स्टेशन तक, जो तीन मील का टुकड़ा है, उसे लिया गया है। इसके अलावा कोई नया वर्क वहां नहीं किया जाना है। पिछले कार्य भी कई अधूरे पड़े हुए हैं, हम निर्माण कार्य करना चाहते हैं लेकिन एक्चुअल वर्क नहीं होता है। इसलिए मेरा प्रस्ताव रखने का खास मकसद यह है कि सरकार इस कार्य में परिवर्तन लाये और कुछ इस तरह के साधन अपनाये जिससे वे कार्य समय पर पूरे हो सकें और सबको फायदा हो सके।

श्री अध्यक्ष : श्री जयसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री अनोपसिंह।

श्री अनूपसिंह (बालोतरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने शीर्ष नं० २४, मुख्य शीर्षक ५०—नागरिक निर्माण कार्य में १०० रु० की कटौती करने के लिए प्रस्ताव रखा है, जिसके द्वारा एक सड़क करमावास समदड़ी के बीच बनाने के लिए मेरा प्रस्ताव है। मैं यदि यह कहूँ कि सरकार की सामान्य नीति सड़कों के निर्माण के बारे में फैल हो गई है, तो शायद बहुत ज्यादा कटु आलोचना मानी जायगी पर मैं यह जरूर कहूँगा कि सरकार ने, जहां पर सड़कें बनानी चाहिए, उनको शायद अपनी नजर में न रख कर, उनको जितना ध्यान दिया जाना चाहिए था, उतना न देकर, कहीं कहीं ऐसी सड़कें बना दी हैं, जहां वाकई उतनी सख्त जरूरत नहीं। जहां सड़कों के निर्माण की सख्त जरूरत थी, वहां नहीं बनी हैं। इस हद तक मैं अर्ज करूंगा कि सरकार ने सड़कों के निर्माण में कोई ठीक ध्यान रख कर निर्माण कार्य नहीं कराया। अब इस सड़क के बारे में जो करमावास से समदड़ी के बीच में बननी चाहिए, उसकी अहमियत के बारे में, इम्पोर्टेन्स के बारे में आपके सामने अर्ज करूं,

(श्री अनोपसिंह)

जिससे मालूम होगा कि जो कटौती प्रस्ताव १०० रु० के लिए मैंने दिया है, वह उचित है और शायद इसके बाद सरकार के ध्यान में यह बात आ जाय । अगर ऐसा होगा तो मैं समझूंगा कि मैंने अपना कर्त्तव्य पूरा कर दिया है, चाहे कर्त्तव्य पूरा करने के बाद सड़कें बनें या नहीं, यह सरकार की मर्जी है, बजट पर है, पर मैं समझूंगा कि मेरी तरफ से जनता से इन बात का कम से कम सुबूत हो जायगा कि मैंने उनकी मांग, यथोचित मांग सरकार तक पहुँचा दी है, सदन में चर्चा कर दी है ।

कर्मावत और समदड़ी के बीच एक लूनी नदी पड़ती है, जो मारवाड़ की बहुत लम्बी चौड़ी नदी कहलाती है । इस नदी के दोनों किनारों के गावों में ये गांव हैं । एक किनारे पर करमावत और दूसरे किनारे पर समदड़ी बसा हुआ है । समदड़ी का जो रेल्वे स्टेशन है, वहां नई रेल्वे लाइन कांडला से मारवाड़ की तरफ आने वाली है । वह स्टेशन कांडला से मारवाड़ तक आने वाली रेल्वे लाइन को कनेक्ट करता है । इस प्रकार समदड़ी स्टेशन एक बड़ा स्टेशन बनने वाला है । वह दिन ज्यादा दूर नहीं, नजदीक ही है, कि वह एक बहुत बड़ा जन्क्शन बन जायगा । इस हालत में समदड़ी मंडी तो है ही उसके जन्कशन बन जाने के बाद, कांडला लाइन के पड़ जाने के बाद इसकी इम्पोर्टेन्स और बढ़ जायगी और उसकी मंडी होने के अलावा और भी इम्पोर्टेन्स बढ़ जायगी, महत्व बढ़ जायगा । इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं जोर देकर अर्ज करूंगा कि इस सड़क को, जो करमावास और समदड़ी के बीच में है, जल्दी से जल्दी भविष्य में बनाने के लिए निर्माण कार्य शुरू किया जाय । मेरे ख्याल में जो वहां ब्लॉक्स चल रहे हैं, उन ब्लॉक्स की तरफ से, क्षेत्र विकास की तरफ से, जनता की तरफ से कई बार मांग हो चुकी है, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया । मेरे ख्याल में इसकी आगे जानकारी करके खर्चे का तखमीना बनना चाहिए और काम जल्दी शुरू करवा सकें, तो बहुत अच्छा होगा वरना समझिये कि सड़क न बनने से डेवलपमेंट नहीं होगा । यातायात की सुविधा न होने के कारण, जो नाज वहां से बाहर जा सकता है, वह वहां से नहीं आ-जा सकता है और एक तरफ से दूसरी तरफ आने जाने में बड़ी दिक्कत होगी । मेरे ख्याल से इस सड़क की बहुत अहमियत है । यदि आप वहां पर जाकर देखें तो वहां क्षेत्र विकास के अधिकारी हैं, वे आपको ज्यादा समझा सकेंगे । मुझे अफसोस है कि वहां कई बार मन्त्री महोदय आये हैं । कुछ क्षेत्र का दौरा करने के बाद भी, न मालूम किस कारण से, अभी तक वहां निर्माण-कार्य शुरू नहीं हुआ है ?

अब मैं अर्ज करूंगा कि हो सकता है कि इसमें खर्च की ज्यादा गुंजाइश हो, बजट ज्यादा रखना पड़े, लेकिन बजट में पैसा रख कर जो अन्य निर्माण के कार्य आप करवा रहे हैं, उनमें करप्शन होता है, उसको रोकना चाहिए और सार्वजनिक निर्माण के कार्य, जो वाकई अहमियत रखते हैं, उनको करवा सकें तो मेरे ख्याल में यह बहुत अच्छा कदम होगा । मैं सिर्फ यह कहूं कि करप्शन की वजह से ये सड़कें, जो जरूरी हैं वे रुकी रहती हैं तो इससे कोई मतलब नहीं निकलता क्योंकि मुझसे पहले बोलने वाले माननीय सदस्य, भ्रष्टाचार पर बहुत बोल चुके हैं और बार बार एक चीज को रिपीट करने से उसकी इम्पोर्टेन्स मारी जाती है ।

(श्री अनोपसिंह)

इसलिये मैं यही निवेदन करूंगा कि यातायात के निर्माण हेतु, सुविधा देने के हेतु जब भी खयाल आवे तो मैंने यह कटौती का प्रस्ताव रखा है, उसे जरूर ध्यान में रखा जाय।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर): Mr. Speaker, Sir, I move, "That the Demand No. XXIV-Civil Works, be reduced by Rs. 100/- (to disuss the failure of the Government in constructing roads in Sikar District.)"

अध्यक्ष महोदय, जिस समय प्रथम पंच वर्षीय योजना बनी थी उस समय इस प्रकार का लक्ष्य जनता के सामने रखा था कि जितने तहसील हैडक्वार्टर्स हैं, उनको सडकों से जरूर जोड़ देंगे; जैसे सीकर से फतहपुर होती हुई रतनगढ़, सीकर से रघुनाथगढ़ होती हुई उदयपुर, नीम का थाना, सीकर से लोसल होती हुई डीडवाना, सीकर से दांता रामगढ़ होती हुई मारोट, सीकर से खंडेला होती हुई श्री माधोपुर, नीम का थाना। लेकिन तहसीलों को जोड़ने का तो प्रश्न ही कहां रहा? प्रथम पंच वर्षीय योजना समाप्त हो गई, सीकर से जयपुर जो कि जयपुर का नजदीकी डिस्ट्रिक्ट है वह भी जयपुर से नहीं जोड़ा गया है। पालतना से रिंगस तक का बीच का टुकडा न मालूम क्यों यों ही पड़ा हुआ है? प्रथम पंच वर्षीय योजना बीत गई, बाकी सब सडकें बन गईं, पर यह टुकडा नहीं बना है। दांता रामगढ़ तहसील में आ जाने के कारण सरकार इस हिस्से को पूरा नहीं कर रही है।

मारोठ से दांता रामगढ़, खूड़ होती हुई सड़क जाने वाली थी, ऐसी योजना थी परन्तु बाद में न जाने किन कारणों से, दांता रामगढ़ जो तहसील हैड क्वाटर है, उसको छोड़ कर उस सड़क को घाटवा होते हुए मारोठ ले जाने की योजना बनी है। मैं यह नहीं कहता कि घाटवा होकर न ले जाई जाय, पर तहसील हैडक्वार्टर्स को जिला हैड क्वार्टर्स से जोडा जाय, यह जो सरकार का लक्ष्य था उस लक्ष्य को क्यों बदल दिया गया है, इसको मन्त्री महोदय बतायें?

प्रथम पंच वर्षीय योजना में इस सड़क को मेटल्ड रोड बनाने का था पर अब जो योजना बनी है उसमें इसे कच्ची सड़क बनाने की योजना रखी है। सीकर जिले के बारे में सरकार का उपेक्षा का व्यवहार रहता है। कारण यह है कि हमारे यहां की कांग्रेस कमेटी कमजोर है। जब से जनता के प्रतिनिधियों की सरकारें बनने लगी हैं तब से आज तक सीकर का तो कोई मन्त्री बना नहीं है। सीकर का कोई मन्त्री हो जाता तो हम सोचते कि सीकर जिले को भी विकास कार्यों में सहायता मिलती। हम तो विरोधी पक्ष के हैं, हमको मतलब नहीं कि किन किन पार्टियों के आदमी मन्त्री मण्डल में आते हैं, सीकर कांग्रेस का संगठन कमजोर है और वहां का कोई मन्त्री नहीं होता; इसी कारण से जान-बूझ कर विकास कार्यों में सीकर जिले की उपेक्षा की जाती है।

यूरेनियम की खानें खंडेला में निकलनी शुरू हुई हैं। यूरेनियम धातु आज के युग में कितना महत्व रखता है; ऐसी सूरत में सीकर से खंडेला, खंडेला से श्री माधोपुर की सड़क को जोड़ दिया जावे तो बहुत अच्छा होगा। खंडेला के पहाड़ों में तांबा आदि चीजों के ज्यादा निकलने की सम्भावना है। इस स्थान को जयपुर रोड से जोड़ दिया जावे। सीकर से खंडेला दस-बारह माइल पडता है। यूरे-

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

नियम नामक धातु वहां से निकलती है, राजस्थान के इस भाग में जाना बहुत आवश्यक है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस यूरेनियम का कितना महत्व मानती है, ऐसी हालत में उस स्थान को सड़क से जरूर जोड़ना चाहिये ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह कटौती का प्रस्ताव रखता हूँ । सड़कें निर्माण करने के मामले में सीकर जिले को उपेक्षा की दृष्टि से देखा गया, वैसी उपेक्षा न रख कर द्वितीय पंच वर्षीय योजना में सीकर जिले को विशेष स्थान दिया जाय ।

(भाषण अनुमोदित होकर प्राप्त नहीं हुआ)

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह!!

(विराम)

श्री मुक्तिलाल मोदी ।

श्री मुक्तिलाल मोदी (बैराठ): माननीय अध्यक्ष जी, "मांग संख्या २४, मुख्य शीर्षक ५०—सिविल वर्क्स में १००) रु० की कटौती की जाय (विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर बहस करने हेतु)"

आज सभी जानते हैं कि दूसरे डिपार्टमेन्ट्स में भ्रष्टाचार है लेकिन जितना पी. डब्लू. डी विभाग में भ्रष्टाचार है उतना और में नहीं है । आम लोगों की हमेशा यह राय रहती है कि इतने मिनिस्टर आये, राजस्थान के अन्दर इतनी सरकारें बदलीं, ४-५ सरकारें बनीं, पर पी. डब्लू. डी. का भ्रष्टाचार अभी तक होता है । यह बात हमारी समझ में कुछ नहीं आती कि पी. डब्लू. डी, इर्रिगेशन आदि डिपार्टमेन्ट्स जो हैं उनके खिलाफ जनता की बुलन्द आवाज इतनी होती है फिर भी सरकार इसे रोकने के लिये कुछ कदम नहीं उठाती । पी. डब्लू. डी, का काम ७-८ साल तक पूरा नहीं हो पाता है । उस काम की ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये और जिसके नाम टेन्डर हो वह उस काम को पूरा नहीं कर पाता है तो उसका नाम ब्लेक लिस्ट में कर देना चाहिये । पर सरकार क्या करती है? सरकार यह करती है कि जिस ठेकेदार को एक साल के लिये किसी काम का ठेका दिया और वह एक साल के बजाय छ-छ, सात-सात साल उसे पूरा नहीं करता है, फिर भी उसका ठेका उसी को दिया जाता है । जिस सडक को वह पांच-छ साल तक पूरा नहीं कर पाया उसे फिर उसी सड़क पर ठेकादार बना दिया जाता है । ऐसे आदमियों को ब्लेक लिस्ट में ले लिया जाना चाहिये ताकि इस महकमें में करप्शन दूर हो सके और ऐसा करने से जनता के सामने भी एक नजीर पेश होगी कि अगर इस तरह के गलत ठेकेदारों को अफसरों ने गलत तरीके से ठेके दिये हैं और पक्षपात किया है तो इससे उन ठेकेदारों को नुकसान उठाना पड़ेगा और अफसर लोग भी गलत तरीके से मनमानी करते हैं वह नहीं कर पायेंगे, और इससे काफी करप्शन दूर होगा ।

माननीय अध्यक्ष, एक समय का उदाहरण मेरे सामने का है कि अमेरिका के लोग आये और ५ साल पहले भारत सरकार ने राजस्थान सरकार को जयपुर से देहली तक की सड़क के लिये एक करोड़ रुपया दिया था; उसकी सेक्शन भी आ गई, रुपया भी आ गया। पर आज तक राजस्थान सरकार जयपुर से देहली तक की सड़क पर पुलें नहीं बना पाती और इससे आठ-आठ घंटे तक सब लोगों को उन नदियों पर पड़े रहना पड़ता है और सरकार की तरफ से और जनता की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं होती । तो अमे-

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

रिका के लोग करीब ८ घन्टे उस नदी पर मेरे सामने पड़े रहे, मुझे भी दुःख हुआ कि आज फोरिन कंट्री के लोग हैं, हमारे हिन्दुस्तान के बारे में, राजस्थान के बारे में, क्या विचार लेकर जावेंगे? जबकि उसको ठेका आज से तीन वर्ष पहले दिया गया और उस ठेकेदार ने रुपये में से एक आना भर भी काम नहीं किया तो उस ठेकेदार को ब्लेक लिस्ट में दर्ज कराना चाहिये था। अनोपपुर नदी के लिये भारत सरकार की तरफ से काफी रुपया एलोट किया गया परन्तु इतना रुपया एलोट होने के बावजूद भी कोई काम नहीं हुआ। जब तक राजस्थान सरकार ठेकेदारों के साथ कड़ाई से बर्ताव नहीं करेगी और परिस्थितियों का कड़ाई से मुकाबला नहीं करेगी तब तक राजस्थान में ठेकेदार या दूसरे जो पी० डब्ल्यू० डी० के ओफिसर बैठे हैं उनमें आज जो भ्रष्टाचार की भावना भरी है वह दूर नहीं होगी।

इसके अलावा दूसरी चीज यह है कि पी. डब्ल्यू. डी. ने एक बात तो अवश्य की है।

१.०१ म० प०

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

हमें बुराई ही बुराई नहीं बतानी चाहिये। जो अच्छा काम किया है वह भी बताना चाहिये। उन्नति की है उसके बारे में भी मैं माननीय उपाध्यक्ष, आपके जरिये बताऊं कि ऑल इन्डिया स्टोर्स से पी. डब्ल्यू. डी सामान खरीदती है, परन्तु दूसरे डिपार्टमेंट हैं वे वहां से नहीं खरीदते। इससे भी राजस्थान में काफी भ्रष्टाचार फैलता है। जैसे शिक्षा विभाग है, बिजली का विभाग है और दूसरे दूसरे कई विभाग हैं जो सामान इस स्टोर से नहीं खरीद पाते। यह एक चीज़ तो पी. डब्ल्यू. डी. ने की और इससे काफी भ्रष्टाचार दूर होगा। परन्तु पी. डब्ल्यू. डी में जिस जिस तरह से ठेके दिये जाते हैं उसमें बहुत भ्रष्टाचार होता है। एक भवन को बनाने में ७० हजार रुपये पी. डब्ल्यू. डी खर्च करती है और यदि ऐसा ही भवन बनावें तो ५० हजार में बन जाता है। इसका कारण क्या है? फिर भी ७० हजार रुपये लगाने पर भी ऐसी चीज जो हम ५० हजार रुपये लगा कर प्राइवेट तौर पर तैयार कर सकते हैं, नहीं बनती? फिर इसमें पी. डब्ल्यू. डी के एग्जिक्युटिव इन्जीनियर और चीफ इन्जीनियर और मिनिस्टर की मंजूरी होती है, परन्तु इसके बावजूद भी हम ठेकेदारों के मार्फत काम नहीं करावें तो सस्ता और मजबूत होता है और ठेकेदारों से काम मंहगा होता है; इसका क्या कारण है, समझ में नहीं आता? इसके अलावा पी. डब्ल्यू. डी. में जिस तरह टेण्डर होते हैं और एलोटमेंट होते हैं उसमें चेन्ज भी किया जाता है, चेन्ज करने में भी काफी भ्रष्टाचार की भावना हर आदमी के दिमाग में फैलती है। इसलिये मैं यह कहूँगा कि वह चेन्ज पहले ही पी. डब्ल्यू. डी के ओफिसर्स जांच करके करें और बाद में कोई चेन्ज नहीं होना चाहिये; जो हो वह फाइनल हो।

एक सबसे ज्यादा बात पी. डब्ल्यू. डी. के इन्जिनियरों की है जो यह है कि असिस्टेन्ट इन्जीनियरों की पोस्ट तो ६० ही हैं और हर साल ४० इन्जीनियर सिविल इन्जीनियरिंग पास करने आते है। पहले उनको १७५ रु० में सीनियर ओवर सियर बना कर रखते हैं और अब उनको जूनियर एसिस्टेन्ट के नाम

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

से १७५ रुपये में रखते हैं। उन लोगों को करीब करीब दो दो साल होने आये हैं, अभी तक उनको असिस्टेन्ट इन्जीनियर नहीं बनाया। इसका क्या कारण है ? इसमें भ्रष्टाचार नहीं फैलेगा तो क्या होगा ? उससे भ्रष्टाचार अवश्य फैलेगा और माननीय उपाध्यक्ष, मैं आपको बताऊं कि अभी राजस्थान सरकार ने एक सक्युंलर अलग जारी कर दिया है। उसमें, मैं यह निवेदन करूंगा कि कोई भी सरकार की तरफ से इस तरह का सक्युंलर नहीं निकल सकता कि सिविल इन्जीनरिंग पास करने के बावजूद भी वह व्यक्ति दूसरी सरकार में नौकरी के लिए एप्लाइ नहीं कर सकता। राजस्थान सरकार उस सक्युंलर के द्वारा यह कहती है कि अगर कोई करेगा तो हम उसको निकाल देंगे। माननीय उपाध्यक्ष मैं समझता हूँ कि ऐसा तो किसी डिपार्टमेंट में रूल नहीं है, सिर्फ इर्रिगेशन और पी. डब्ल्यू. डी. में ही हुआ है। आप उनको असिस्टेन्ट इन्जीनियर भी नहीं बनाते हैं और दूसरी जगह एप्लाइ भी नहीं करने देते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : विषय बड़ा विस्तृत है, संक्षेप में कहा जावे तो बहुत कुछ कार्यवाही की जा सकती है।

श्री मुक्तिलाल मोदी : मैं सरकार के हित में ही बातें कहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : आपकी और हमारी सरकार है।

श्री मुक्तिलाल मोदी : इस तरह का सक्युंलर निकाला है....

श्री उपाध्यक्ष : सदन की मेज पर रखा जा रहा है ?

श्री मुक्तिलाल मोदी : आप उचित समझें तो रख दूं। यह सक्युंलर राजस्थान सरकार ने निकाला है।

श्री उपाध्यक्ष : नकल है या असल है।

श्री मुक्तिलाल मोदी : असल तो कैसे लाता। नकल ही है।

श्री उपाध्यक्ष : नकल नकल ही है। आप तो असल पर चलिये।

श्री मुक्तिलाल मोदी : असली सक्युंलर तो आप मंगाइये।

श्री उपाध्यक्ष : आप अपना भाषण आरम्भ रखिये।

श्री मुक्तिलाल मोदी : राजस्थान सरकार ने इनको इनकार कर दिया है कि वे दूसरी जगह एप्लाई नहीं कर सकते हैं। दूसरे लोग भी हैं, जैसे वेटरनरी डॉक्टर्स आदि हैं वे भी तो एप्लाई दूसरी जगह कर सकते हैं। इनको क्यों रोका जाता है ? मैं यह कहूंगा कि भ्रष्टाचार के तरीके तो सरकार करती है। आप उन लोगों को असिस्टेन्ट इन्जीनियर नहीं बनाते हैं। उनको दूसरी जगह तो जाने दीजिये। आप उनको अपने यहां २५०) से ५००) का ग्रेड नहीं दे सकते तो उसके बजाय उनको दूसरी जगह ५००) से ७५०) का ग्रेड मिलता है, वहां तो जाने दें। या तो आप उनको यहां पर एसिस्टेन्ट इन्जीनियर बनाइये या हैड ओफ दी डिपार्टमेंट के जरिये उनकी एप्लीकेशन्स भेजिये, इससे क्यों एतराज किया जाता है ? डिपार्टमेंट के जरिये उनकी एप्लीकेशन्स भेजिये, इससे क्यों एतराज किया जाता है ?

श्री उपाध्यक्ष : इसमें भ्रष्टाचार की क्या बात है ?

श्री मुक्तिलाल मोदी : आप उनको कम तनख्वाह देंगे तो वे लोग चोरियें और भ्रष्टाचार करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप शुरू रखिये ।

श्री मुक्तिलाल मोदी : यह जो भ्रष्टाचार की चीज है, वह सबसे ज्यादा पी. डब्ल्यू. डी. के अन्दर है और वह इस कारण से है कि यदि आप किसी आदमी को कम पैसे देकर काम करावेंगे तो भ्रष्टाचार फैलेगा, नहीं तो होगा क्या ? अगर आप उनको पूरे पैसे नहीं देंगे, उनकी सीनियोरिटी को कायम नहीं रखेंगे तो भ्रष्टाचार ज्यादा फैलेगा और इस तरह का सक्युंलर निकाल कर जो सिविल इन्जिनियरिंग पास करके आते हैं उनको दो-दो साल तक....

श्री उपाध्यक्ष : आपने वापिस शुरू कर दिया ।

श्री मुक्तिलाल मोदी : अच्छा । आपको उन्हें असिस्टेन्ट इन्जीनियर बनाना चाहिये। दूसरी बात, यह राजस्थान सरकार को कायम करनी चाहिये कि जो ठेकेदार जल्दी से काम पूरा नहीं करें उसको ब्लेक लिस्ट में कर दिया जावे और दुबारा टेन्डर मांग कर शुरू कर दिया जाना चाहिये, जिससे आज जो भ्रष्टाचार फैला है काफी दूर होगा ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। लिस्ट नम्बर ४, सि० न० १३३ ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर नगर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कटौती का प्रस्ताव है कि मांग संख्या २४, मुख्य शीर्षक ५०–सिविल वर्क्स में एक रुपये की कटौती कर दी जाये (इन्जिनियर का वेतन अपेक्षातया बहुत ज्यादा है इस पर बहस करने हेतु) ।

उपाध्यक्ष महोदय, निर्माण का जितना भी कार्य होता है वह सारा चीफ इन्जिनियर की देख रेख में होता है और इस महकमे में कि जिसके द्वारा सारा निर्माण का काम हो और निर्माण के बाद में जब एक साल गुजर जाता है तो हम देखते है कि जितने भी काम हुए हैं, चाहे बांध बने हों, चाहे मकान बने हों, चाहे सड़कें बनी हों, इन सभी कामों का लेखा-जोखा जब हम लेते हैं तो हम देखते हैं कि इनमें से बहुत से कार्य तो प्रायः बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं और बहुतसों में दरारें पड़ जाती हैं और इन कामों में जो राशि लगती है उस राशि का ठीक प्रकार से उपयोग नहीं होता है। यह एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव महत्वपूर्ण इसलिए है कि हम जिन योजनाओं को लेकर आज खड़े हुए हैं और जिनके बारे में हम इस बात की शिकायत देखते हैं कि जो भी योजनायें हैं और उनमें जितना रुपया भी खर्च किया गया है वह रुपया खर्च करने के बाद में कई बांध तो टूट जाते हैं, कई पुल टूट जाते हैं और सड़कों के एक साल बनने के बाद में जब हम उनको दूसरी साल देखते हैं तो जगह जगह कब्रिस्तान के गड्डे हो जाते हैं । वह सड़कें सड़कों के रूप में नहीं रहतीं। तो इन सब बातों का कारण क्या है ? मैं समझता हूं कि चीफ इन्जिनियर जिसको १८००) रुपया तनख्वाह मिलती है उसको यह तनख्वाह इसीलिए ही मिलती है कि जितने भी निर्माण के कार्य हैं उनको वह गहराई के साथ देखे और वह पता लगाये कि जो राशि कॉन्ट्राक्ट के द्वारा मंजूर की गई है, जिस तरह से कांट्रेक्टर ने काम करने का वायदा किया था उसके अनुसार काम पक्का हुआ है या नहीं, मजबूत हुआ है या नहीं ? चीफ इंजीनियर को १८०० रुपये तनख्वाह इसलिये ही मिलते हैं। आज चीफ

(श्री मुरलीधर व्यास)

इंजीनियर को राजस्थान में सबसे अधिक वेतन दिया जाता है । तो इतना अधिक वेतन उसको इसी दृष्टिकोण से दिया जाता है कि हमारे राजस्थान का निर्माण कार्य जिसमें लाखों और करोड़ों रुपया लग रहा है वह व्यर्थ न जाय, वह राशि जो उन निर्माण कार्यों में लगाई जाती है उसका सही सही उपयोग हो । परन्तु मेरे कई साथियों ने और मैंने भी राजस्थान में जितने भी निर्माण कार्य हो रहे हैं उनको देखा है और अगर आप भी उनको गहराई के साथ देखेंगे और पता लगाने की कोशिश करेंगे तो आपको पता लगेगा कि उसमें से अधिकांश आज बिल्कुल नष्ट हो चुके हैं, बस एक साल बारिश आई और बांध टूट गया । लाखों और करोड़ों रुपया उनमें लगा है और वह इस प्रकार से बह जाये तो फिर आखिर इस सब का जिम्मेदार कौन होगा ? आखिर चीफ इंजीनियर को इतनी तनख्वाह क्यों दी जाती है ? उसको यह देखना चाहिए कि जितने भी काम निर्माण के हुए हैं वह कान्ट्रेक्ट के अनुसार हुए हैं या नहीं और अगर वह काम इसके मुताबिक नहीं हुए और इसमें इस प्रकार के चीफ इन्जीनियर, चाहे उनको कितनी ही तनख्वाह मिलती हो, उनको, एकदम अलग किया जाना चाहिए । अगर हम इस मामले में मजबूत होंगे तो जितना रुपया हम इन कार्यों में खर्च करना चाहते हैं उससे पूरा लाभ हमको मिल सकेगा, नहीं तो जिस आदमी को इतनी तनख्वाह मिलती है और उसके काम करने के पश्चात् भी अगर इस प्रकार की बात होती है तो हमारे राजस्थान के निर्माण के लिए यह बहुत बुरी चीज होगी ।

दूसरी ओर इस पर भी देखा जाय कि एक आदमी १८००रुपया वेतन पाये, वह चीफ इन्जीनियर हो और दूसरे ओर उनको देखें जो कि इन चीजों को बनाते हैं, नहरें बनाते हैं, सड़कें बनाते हैं, बड़ी २ इमारतें बनाते हैं । एक ओर तो बनाने वाला वह आदमी जो सबेरे से शाम तक बोझा ढोता है उसको तो हम २५ रुपया देते हैं और दूसरी ओर एक आदमी को १८०० रुपया तनख्वाह देते हैं । तो फिर उसको इतनी ज्यादा तनख्वाह क्यों देते हैं ? उसको यह तनख्वाह इसलिए ही देते हैं कि जिस काम को हमें करवाना हो वह अच्छा हो । एक ओर विषमता इतनी दूर तक है कि एक आदमी जो निर्माण करने वाला है, सही माने में शरीर से अपना पसीना बहाता है तो निर्माण का सही काम तो यह करता है ; चाहे उसके लिए काम नहर बनाने का हो, चाहे मकान बनाने का हो, चाहे सड़कें बनाने का हो, उसकी हालत तो यहां तक गिरी हुई है कि आप उनको गहराई से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि कि वह ऐसे आवारा लगते हैं कि जिनके पास रहने को मकान नहीं हैं । जिनको किसी प्रकार की सहायता नहीं मिलती, जिनको किसी प्रकार की मेडिकल एड नहीं मिलती है, जिनको किसी प्रकार का लाभ नहीं मिलता है, वह तो इतना गिरा हुआ है और दूसरी ओर इस काम को चलाने वाले उच्चाधिकारी को आप इतनी अधिक तनख्वाह देते हैं । इस विषमता का आधार यह बताया जाता है कि हमें अच्छे इन्जीनियर नहीं मिलते हैं और आधार बताया जाता है कि हम करोड़ों रुपया इन कार्यों पर लगा रहे हैं और उसमें अगर ठीक इन्जीनियर होगा तो हमारे रुपये का दुरुपयोग नहीं होगा, इस बात को कहकर हम १८०० रुपया देते हैं ।

योजनायें हमारी साफ नहीं है, हम

[redacted]

(श्री मुरलीधर व्यास)

राशि लगाते हैं ; गत पंचवर्षीय योजना में कुछ कारणों से हमारा ८ करोड़ रुपया रह गया, वह लग नहीं सका। इसका कारण क्या है ? एक ओर तो यह कहा जाता है कि हमारी तरफ से सारी योजनायें तैयार रहती हैं और हमारे पास रुपया भी रहता है। तो आप देखें कि योजना और रुपया दोनों तैयार होने के बाद भी रुपया नहीं लगता है, वह बह जाता है। तो इसका जिम्मेदार कौन है ? मैं समझता हूँ कि इसका जिम्मेदार चीफ इन्जीनियर होना चाहिए। इनके पास सब चीजें होती हैं, फिर भी हमारी सड़कें अधूरी रह जाती हैं। जैसलमेर की सड़क के बारे में, आपको पता होगा कि, गत पंचवर्षीय योजना में इस सड़क को बड़ा भारी महत्व देकर बनाना चाहा इसलिए कि वह भारत-पाकिस्तान सीमा पर खड़ी है, वहां पर रेल का कोई रास्ता नहीं है। आज भी आप जाकर देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि पहली पंचवर्षीय योजना तो समाप्त हो गई है और और अब दूसरी पंच वर्षीय योजना चल रही है और जो सड़क वहां हो गई है उसकी हालत क्या है, आज भी वहां का बीस मील का टुकड़ा पड़ा हुआ है। इस सड़क का यह हाल है कि जब यह बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क थी; महत्व की चीज जिसको, बड़ा भारी महत्व देकर बनाया जाये, जिसके समय निश्चित किया जाये और वह भी समय पर न बने तो फिर इसका जिम्मेदार कौन है ? मैं समझता हूँ कि आज सारे निर्माण के कार्य की जिम्मेदारी उस व्यक्ति के ऊपर हैं, जो भी निर्माण के कार्य हैं अगर वह नष्ट—भ्रष्ट हो जाते हैं, तो यह सारी जिम्मेदारी उसी व्यक्ति की है जो कि इनकी देखभाल करने के लिए रखा गया है। तो इसी दृष्टिकोण से मैं समझता हूं कि हमारी योजनाओं को पूरा करने में, हमारी योजनाओं में जितनी भी बातें रखी गई उनको अधूरा रखने में और उसके साथ ही साथ में जो भी टूट-फूट होती है उसका उत्तरदायी मैं चीफ इन्जीनियर को समझता हूं और इसी दृष्टिकोण से मैंने एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव रखा है और सरकार से उम्मीद करता हूँ कि वह इस कटौती के प्रस्ताव को इसलिए मान्यता देगी कि वास्तव में इस प्रकार से जो हो रहा है और अगर वह मान्य नहीं करते हैं तो वह इसकी जांच करेंगे और इसके बाद में इस प्रकार का आश्वासन देंगे कि इन सारी चीजों की वह जांच करवायेंगे कि काम हुआ है या नहीं ? तो मैं समझता हूं कि उसमें आपका लाखों और करोड़ों रुपयों का फायदा होगा। अतः मैं उम्मीद करता हूँ कि इस कटौती प्रस्ताव को आप मान्य करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री लच्छूराम, लिस्ट नम्बर ४ एण्ड सीरियल नम्बर १४३।

श्री लच्छूराम (मण्डावा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव है, "कि मांग सख्या २४, मुख्य शीर्षक ५०-नागरिक निर्माण कार्य में १ रु० की कमी की जाये"। मेरा कटौती का प्रस्ताव निर्माण कार्य में ठेकेदारी प्रथा के अनौचित्य के सम्बन्ध में है। पी० डब्ल्यू० डी० के महकमे के बारे में आज आम शिकायत है। जितना भ्रष्टाचार और जितने गन्दे तरीके से पी० डब्ल्यू० डी० महकमे में काम हो रहा है वह मुझे ही नहीं बल्कि राजस्थान की जनता के सभी लोगों को अखर रहा है। इसका मुख्य कारण क्या है ? यह हम सभी सोचते हैं कि इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इतना भ्रष्टाचार हमारे पी० डब्ल्यू० डी० के महकमे में हो रहा है। ठेकेदारी प्रथा के अनौचित्य के बारे में मैं बताऊं। पब्लिक वर्क्स डिपार्ट-

(श्री लच्छूराम)

मेंट की तरफ से ठेका देने के बारे में कोई निश्चित प्रोग्राम नहीं। ठेकेदार की क्या योग्यता होनी चाहिये, किसको ठेका देना चाहिये, इस प्रकार का कोई प्रावधान सरकार ने नहीं रखा है। इस प्रकार के ठेकेदार को ठेका दे दिया जाता है जिसके पास एक पैसे की भी सम्पत्ति नहीं। मैं आपके सामने उदाहरण देकर बताऊंगा कि नागरिक निर्माण कार्य में जिन ठेकेदारों को ठेका दिया जाता है वे किस प्रकार के होते हैं, उनसे किस प्रकार का कार्य होता है और इस ठेकेदारी की गलत प्रथा से हमें कितना नुकसान हो रहा है, यह तो सभी माननीय सदस्य जानते हैं। क्योंकि सभी माननीय सदस्यों के चुनाव क्षेत्रों में कुछ न कुछ नागरिक निर्माण कार्य हो ही रहे हैं और वे कितने भद्दे तरीके से हो रहे हैं, यह सब को मालूम है और जनता को भी इसकी काफी जानकारी है। दरख्वास्तों पर दरख्वास्तें दी जाती हैं किन्तु सुनने वाला कोई नहीं। इसलिये नागरिक निर्माण कार्यों में जो लाखों–करोड़ों रुपया खर्च होता है उसका उपयोग जनता को नहीं होता और न उस योजना से जनता को लाभ ही पहुंचता है।

झुंझुनू जिले में गवर्नमेन्ट मल्टीपर्पज़ हाई स्कूल के साइन्स और कॉमर्स ब्लॉक्स बनवाने के लिये आज से दो वर्ष पहले एक ठेकेदार को ठेका दिया गया था। लेकिन अफसोस की बात है कि दो साल गुजर गये, अभी उन ब्लॉक्स का बहुत कम काम हुआ है, यहां तक कि तीन–चार फीट दीवार ही खड़ी हो पायी है। यह अफसोस की बात है कि निर्माण का कार्य दो साल से शुरू हो और केवल दो–चार फीट ही दीवार बने। गवर्नमेंट को ठेका दिये दो साल हो गये, अब सरकार के सामने लड़कों के एड्मिशन का सवाल आया, स्कूल के लिये जो सामान चाहिये था वह भी आ गया लेकिन उसको रखने के लिये जगह नहीं, साइन्स, कॉमर्स का मटेरियल आया हुआ पड़ा है, पहले जो बिल्डिंग थी उन कमरों में वह सामान भरा पड़ा है, हैड मास्टर ने लड़कों को कह दिया, हमारे पास स्थान खाली नहीं है। यह हमारे यहां की बात है, दो साल से जिस चीज के लिये रकम मन्जूर हो चुकी, निर्माण कार्य जारी हो गया उस पर केवल दो चार फीट काम ही हुआ। इसका मूल कारण मैं ठेकेदारी प्रथा को मानता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष: (एक माननीय सदस्य से) माननीय सदस्य जो अभी सदन में आये हैं सदन की प्रतिष्ठा का ख्याल नहीं रख रहे हैं। कल भी उन्हें इस बारे में कहा गया था। हम जब सदन से उठें और वापिस अपने स्थान पर आयें तो सदन की प्रतिष्ठा का ख्याल रखा जाये।

(भाषणकर्त्ता महोदय से) You will please resume the debate.

श्री लच्छूराम: (जारी) इस प्रकार ठेकेदारी का जो कार्य है वह बहुत असंतोषजनक है। इसी प्रकार का एक उदाहरण झुंझुनू जिले का और है। अभी अभी दूसरे एक ठेकेदार को मल्टी पर्पज़ हाई स्कूल के लिये ठेका दिया गया था, जिनमें से एक का नाम काशीरामजी है जिसका मैंने पहले जिक्र किया, दूसरे ठेकेदार का नाम है हबीब साहब। इन्हें कोमर्स ब्लॉक का ठेका दे रखा है। झुंझुनू सिटी से कोर्ट तक एक सड़क बन रही है वह इन्हीं ठेकेदार द्वारा बनाई जा रही है। कोमर्स ब्लॉक के लिये जितना सामान आया है वह सब साइन्स के कमरों में बन्द पड़ा है।

(श्री लच्छूराम)

इसी प्रकार अगर यह कहा जाता है कि एक काम तो उनसे पूरा नहीं हुआ और दूसरा सड़क का ठेका उन्होंने कर लिया है और मलटी पर्पज़ का काम बन्द कर दिया है। इसी प्रकार पी. डब्ल्यू. डी महकमे में काम हो रहा है। तो मेरा यह निवेदन है कि ठेकेदारी प्रथा का अन्त कर दिया जाये तो सबसे अच्छा होगा।

हमारी सरकार के पास इन्जीनियर्स हैं, ओवरसियर्स हैं, फिर ठेकेदारों को काम क्यों दिया जाता है? ठेके के अन्दर तीस पर्सेंट तो इन्जीनियरों और उनसे सम्बन्धित अधिकारियों की जेबों में चला जाता है और सत्तर पर्सेंट जो बचता है उसमें वह ठेकेदार पंद्रह-बीस पर्सेंट खराब माल लगा कर बचा लेता है और उससे जो काम होता है वह पक्का नहीं हो पाता। जो रोड हम २० साल के लिये बनाते हैं वह दस साल में ही खत्म हो जाती है। जिस चीज को १०० साल के लिये बनाना चाहते हैं वह पचास साल में ही खत्म हो जाती है। ठेकेदारी प्रथा से इस प्रकार की खराबी हो रही है। इसीलिये मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि ठेकेदारी प्रथा को उठा दिया जाये। मेरे कटौती का प्रस्ताव रखने का यही मतलब है कि इस ठेकेदारी प्रथा को समाप्त किया जाय।

श्री रामनारायण वर्म्मा (पीपलदा): उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या २४ पर मेरा जो कटौती प्रस्ताव है वह पीपलदा क्षेत्र की सड़कों के बारे में विचार के हेतु है।

कल सदन में विद्युत के बारे में जब विचार-विमर्श हो रहा था, उस समय मुझ से भी एक माननीय सदस्य ने कहा कि आप भी अपने विचार इस संबंध में व्यक्त करो। मैंने उस पर विचार किया और मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि मैं एक गांव का रहने वाला हूं, मुझे विद्युत के बारे में कुछ कहने का अधिकार नहीं। मैं जिस क्षेत्र से आया हूँ, वहां सड़कों का अभाव है, आवागमन के साधन नहीं हैं वहां की पैदावार को मण्डियों तक पहुँचाने के लिये, वहां की ग्रामीण जनता को असुविधा रहती है। ऐसी हालत में मैं वहां के लिये विद्युत की मांग करूं, यह ठीक आकाश कुसुम तोड़ने के समान ही होगा।

इसी बात को ध्यान में रखते हुये मैंने आज निर्माण कार्य के बारे में बोलने की हिम्मत की। यह कटौती का प्रस्ताव उपस्थित कर सदन का ध्यान पीपलदा क्षेत्र की सड़कों की ओर ले जाना चाहता हूं। पीपलदा क्षेत्र राजस्थान के प्रमुख उपजाऊ क्षेत्रों में से माना जा सकता है, जहां अनाज बहुत अच्छा पैदा होता है; यह कहते हुये अतिशयोक्ति नहीं होगी। वास्तव में इस समय इस क्षेत्र में तीन जगह अनाज की मंडियां हैं, एक सुलतानपुरा, शीशवाली और इटावा में अनाज की मंडियां हैं जो बहुत अच्छी ढंग से चल रही हैं। जब बरसात ज्यादा होती है तब किसानों को इन मंडियों तक अनाज पहुंचाने में बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। एक तरह से सारी मंडियां बरसात के दिनों में बन्द हो जाती हैं।

अभी कल मेरे एक प्रश्न के उत्तर में जिसमें मैंने कोटा से इटावा व मांगरोल तक सड़क बननी चाहिये ऐसा निवेदन किया था उसके बारे में निर्माण मन्त्री महोदय ने फरमाया कि कोटा से मांगरोल की सड़क का

(श्री रामनारायण वर्मा)

विचार नहीं हो रहा है, कोटा से पीपलदा तक रोड बनाने का ठेका बहुत पहले ही दिया जा चुका, है लेकिन वह काम अभी पूरा नहीं हो पाया और कारण बताया कि सरकार की सुस्ती है। उस सुस्ती को दूर करने का क्या उपाय है, उनको किस प्रकार का इन्जेक्शन लगाया जाय जिससे यह सुस्ती मिट सके, यह सुस्ती कब दूर होगी? कोटा से पीपलदा रोड पर थोड़ा बहुत काम चल रहा है, पता नहीं कि किस ठेकेदार को ठेका दिया गया है और क्यों सुस्ती बरती जा रही है। बरसात के पहले दो चार मील सड़क तैयार हो भी जाये तो बीच में जो २ मील का कच्चा टुकड़ा होने से उसका उपयोग नहीं होगा, जनता उससे फायदा नहीं उठा सकेगी। दो मील का टुकड़ा जिस ठेकेदार को दिया गया है उसको यह कहा जाये कि वह बरसात के पहले उक्त टुकड़े को बना दे।

यहां की मुख्य सड़कों के लिये निवेदन करूं, ये महत्वपूर्ण सड़कें हैं जो पहले बननी चाहिये, कोटा से इटावा होते हुये पीपलदा, कोटा से खातौली, कोटा से मांगरोल और कोटा से मडावारा होते हुये बड़ौद मांगरोल से अयाना होते हुये इटावा, ये मुख्य सड़कें हैं जो वास्तव में बननी चाहिये।

पीपलदा क्षेत्र में पीपलदा ऐसी तहसील है जो पिछले समय में जागीरदारों के अधिकार में थी। पर अभी तक भी वहां कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उसे एक तरफ से पार्वती नदी दूसरे हिस्सों से अलग करती है और दूसरी तरफ चम्बल बूंदी से उसे अलग करती है और इन दोनो नदियों पर कोई पुल नहीं है। कोटा वहां से पचास—साठ मील करीब दूर है। बरसात में वहां की हालत बड़ी बुरी हो जाती है। किसानों की हालत उन दिनों में कितनी खराब हो जाती है यह वे ही जान सकते हैं। आप जाकर देखें और जांच करें तो पता लगेगा कि वे किसान कितने दुखी हैं। खतौली से एक रोड ढीपरी होते हुए इन्द्रगढ़ जानी चाहिये और खतौली पर पुल बनना चाहिये ताकि हमारा मध्यभारत से सम्बन्ध स्थापित हो सके। इसी तरह से एक पुल ढीपरी में बनना चाहिये। इस तरह का इन्तजाम होगा तो यहां के लोगों की आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी और आवागमन के साधनों के ठीक होने से बेकारी भी कुछ कम होगी। आवागमन के अभाव में आज वहां के लोग दीन-हीन, गरीब हैं। इस आवागमन के साधन के उन्नत होने से वहां की नंगी—भूखी जनता में खुशहाली की लहर आवेगी।

और मैं साथ ही यह निवेदन करूं कि सुल्तानपुर एक मन्डी है अनाज की। बडी अच्छी मण्डी है वहां से भौंरा स्टेशन तक पक्की सडक बननी चाहिये और शीशवाली की मन्डी से अन्ता तक एक और पक्की सड़क बननी, चाहिये अनाज को पहुँचाने के लिये। साथ ही मूंडला से बड़ी पोलाई का एक टुकडा जो है वह काफी बन चुका है, डेढ़ मील का बाकी है उसका सारा सामान भी पडा है पर ठेकेदार कहां सो रहा है, क्यों नहीं वह उसे बनाने को तैयार हो रहा है; इसकी ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा। यह सडक का टुकडा बहुत ही महत्वपूर्ण है और बनना चाहिये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय निर्माण मन्त्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि वे इन बातों की ओर अवश्य ही

(श्री रामनारायण वर्मा)

ध्यान देंगे और इन्हें पूरा करवाने की अविलम्ब कृपा करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : कटौती प्रस्ताव सम्पूर्ण होते हैं। यदि सदन की अनुमति हो तो मैं माननीय मन्त्री महोदय से जवाब के लिये कह दूं।

श्री लक्ष्मीचन्द : एक पांच मिनिट के लिये मैं कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : पक्ष-विपक्ष में बोलने का आपका अधिकार है, पर समय इतना कम है कि अनुमति कहां से दूं ?

श्री लक्ष्मीचन्द : मैं तो सिर्फ पांच मिनिट का समय लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : Likewise others will also like to take.

(विराम)

If you co-operate with the Chair I shall be very thankful.

श्री लक्ष्मीचन्द : Thank you, sir.

१. ३२ म. प.

श्री नाथूराम मिर्धा (निर्माण मन्त्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या २४ के सिलसिले में कटौती के प्रस्ताव इस सदन के कुछ माननीय सदस्यों ने जो पेश किये और उस सिलसिले में जो कुछ मुद्दे उन्होंने अपने कटौती के प्रस्ताव में उठाये, उनका मैं सिलसिलेवार ठीक तरह से जवाब देना चाहूंगा।

जो मुद्दे उठाये गये उनमें आम तौर से यह कहा गया कि जनता की यह आवाज है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है।

श्री मदनसिंह दांता : सुनाई नहीं देता।

श्री उपाध्यक्ष : Is it the defect of the mike ? I presume it is a defect, otherwise the voice is clear.

श्री नाथूराम मिर्धा : क्या मैं और जोर से बोलूं ?

तो आम तौर से अभी कुछ माननीय सदस्यों ने अपने कटौती के प्रस्तावों के सिलसिले में यह कहा कि जनता की आवाज है और चारों ओर से हमको यह सुनने को मिलता है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग में ज्यादा भ्रष्टाचार है, इसमें रुपये का बड़ा भारी दुरुपयोग हो रहा है, काम बहुत कम होता है और जहां काम शुरू हुआ है वहां हुआ है तो हुआ है, नहीं तो काम अधूरा पड़ा हैं और हमारी इस पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जो निर्माण कार्य हो रहे हैं उनकी कोई उपयोगिता नहीं है। कुछ माननीय सदस्यों ने अपने कटौती के प्रस्तावों के सिलसिले में बोलते हुये ऐसे या इससे मिलते जुलते भावों का प्रदर्शन किया।

मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके जरिये इस सदन के माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि जिस तरह से सारा काम व्यवस्थित तरीके से इस सार्वजनिक निर्माण विभाग का है और जिस तरीके के रूल्स, रेगुलेशन्स, गति-विधियां, कानून-कायदे इस विभाग के मुकम्मिल तरीके से बने हुए हैं, राजस्थान के और किसी दूसरे महकमे का काम वैसा बहुत कम मिलेगा आपको।

(श्री नाथूराम मिर्धा)

मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अभी आम तौर से लोगों ने कुछ आंकड़े भी अपनी इच्छा के अनुसार दिये। बीस पर्सेन्ट इन्जीनियरों की जेब में, १० पर्सेन्ट दूसरे तरीकों में, कुछ पर्सेन्टेज खराब सामान लगाने के तरीकों में; यों कुल मिलाकर सत्तर-बहत्तर पर्सेन्ट रकम तो सरकार के इन कामों में यों ही चली जाती है और बाकी कुछ पर्सेन्ट काम में रुपया लगता है। तो इस तरह से ये कुछ आंकड़े अपनी मर्जी के मुताबिक बताते हुए सदस्यों का यह कहना है कि यह रुपया बेकार जा रहा है। ये एलीगेशन्स इस विभाग पर लगाये गये हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि एलीगेशन एक तरह से बिलकुल बे बुनियाद से हैं। अगर इतने रुपयों का दुरुपयोग होता तो इस प्रथम पचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जो काम आज हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं ये किस तरह से हमारी आंखों के सामने दिखाई पड़ते।

मैं बताना चाहता हूँ उपाध्यक्ष महोदय, कि हमारे इस महकमे की जो योजनाएं आप लोगों के सामने हैं उसकी बैक-ग्राउन्ड को थोड़ा समझना पड़ेगा। जैसे एक माननीय सदस्य ने कहा कि सार्वजनिक निर्माण विभाग ही एक ऐसा विभाग है जिसका कुछ न कुछ काम हर क्षेत्र में, हर जिले में चल रहा है, कहीं सड़क के रूप में तो कहीं भवनों के रूप में या और किसी न किसी तरह का काम हर कोने में चल रहा है।

श्री सरदारसिंह (उणियारा) : इस वक्त मेरे यहां तो कोई काम नहीं चल रहा है।

श्री नाथूराम मिर्धा : कुछ चल ही रहा होगा, नहीं तो थोड़े दिनों में चलेगा। कुछ न कुछ काम किया ही जाता रहता है।

तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हमारे इस विभाग की जो पिछली योजना थी वह करीब पांच करोड़ रुपये की थी और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये सदन को यह बताना चाहता हूं कि उन पांच करोड़ में से हमने ६५ प्रतिशत रुपया निर्माण कार्यों में नियत अवधि में खर्च कर डाला है और यही एक ऐसा महकमा है जिसने अपने प्रथम पचवर्षीय योजना काल में अपने काम की धनराशि का हाइएस्ट टार्जेट प्राप्त किया है।

मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि बहुत से माननीय सदस्य यह कहते हैं कि जब सारा पैसा खर्च कर दिया तो हमारे यहां इलाके में जो सड़कें आदि बन रही हैं वे कुछ बनी हैं और बाकी कुछ मील इधर ही रह गई हैं, कोई चार मील बाकी है, कहीं पांच मील बाकी रह गई है, किसी पर मिट्टी पड़ी है तो किसी पर मिट्टी पड़ी है, यह ऐसा क्यों? इस सम्बन्धी मेरा उत्तर यह है कि इसका निर्णय करने से पहले हमें इसकी बैक ग्राउन्ड में जाना पड़ेगा। पिछली पंचवर्षीय योजना में जब हमको यह मालूम हुआ कि हमारे पास पांच साल में पांच करोड़ रुपया खर्च करने को हैं तो हमने साढ़े सात करोड़ रुपयों की योजनाएं अपने हाथों में लीं और उनको अलग अलग इलाकों में अलग अलग जिलों में प्रायोरिटी को ध्यान में रखते हुए, उनकी अहमियत को ध्यान में रखते हुए, इस सारी ही साढ़े सात करोड़ की योजना का काम शुरू कर दिया और साढ़े सात करोड़ की योजना का काम जब हमने शुरू कर दिया तो उसके अन्तर्गत पांच सालों मे पांच करोड़ रुपया,

(श्री नाथूराम मिर्धा)

जो हमें मिला था, वह तो हमने खर्च कर दिया; अब जब काम साढे सात करोड़ का शुरू किया और रुपया पांच ही करोड़ खर्च किया तो यह स्वाभाविक है कि ढाई करोड का काम बाकी रह जावेगा। इस बाकी के ढाई करोड़ का काम हमने इस द्वितीय योजना काल में समाप्त करने के लिये ले लिया है, द्वितीय योजना काल के अन्तर्गत किये जाने वाले कामों के साथ साथ। अब इसी तरह से द्वितीय योजना काल में हमने प्लान बनाकर भारत सरकार के प्लानिंग कमीशन के पास भेजा तो वह करीब १५ करोड का था। इससे पहले जो एस्टीमेट हमारा गया वह तो कोई १३५ करोड का था। पर प्लानिंग कमीशन की सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, फिर हमने १५ करोड़ का प्लान सबमिट किया। इसमें से प्लानिंग कमीशन ने करीब साढे नो करोड़ का हमारा प्लान मन्जूर किया। तो जो पिछला ढाई करोड़ का काम हमारा बाकी पड़ा है वह इस साढे नो लाख की प्लान में हम पूरा करेंगे और इस तरह से हमने जो दूसरी योजना में काम शुरू किया है वह कोई साढे नो करोड का है। इस साढे नौ करोड़ की रकम के अन्तर्गत काम हमने साढे बारह करोड़ रुपयों का इस योजना में चालू करने का तय किया है। यानि हमने ऐसा माना है कि योजनायें चालू रहेंगी। इन योजनाओं के अन्दर काम इस तरह चालू करेंगे कि शायद पूरी नहीं हो सकें और उनके पूरा न होने के कारण उनको आगे आने वाली योजना में चालू रखें। इस बैक ग्राउन्ड में इनको देखें तो, माननीय उपाध्यक्ष, यह पता लगेगा कि जिन कामों के लिए जो प्रोविजन इस महकमे में था, उसमें मेक्सिमम पर्सेन्टेज कामयाबी पिछली पंचवर्षीय योजना में की है और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, मैं यह सदन को आश्वासन देना चाहता हूँ कि सारा का सारा रुपया भवन और सड़कों पर खर्च कर पायेंगे। वैसी सूरत में जो काम अधूरे हैं वे इस योजना के अनुसार, यानि जो पिछली पंचवर्षीय योजना के काम अधूरे रह गये हैं उनको इस योजना में चालू रखेंगे, छोटे २ काम तो पूरे हो जावेंगे और यदि बड़े बड़े काम रह जावेंगे तो वे तीसरी पंचवर्षीय योजना में चालू रहेंगे और इन सड़कों को पूरा करेंगे। कुछ माननीय सदस्यों की यह शिकायत है कि कुछ जगहों पर मिट्टी का काम पूरा हो गया है, तो कहीं गिट्टी का काम बाकी है, गिट्टी का काम पूरा हो गया है तो कुटाई का काम बाकी है, कहीं कुटाई का काम हो गया है तो डामर का काम अधूरा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे महकमे में एक एक सड़क की योजना है। इस साल मेटीरियल इकट्ठा करके कुटाई कर देंगे तो दूसरे साल डामर करेंगे। इस प्रकार टाइम टू टाइम योजनायें बनी हुई हैं और उसी के मुताबिक काम करते हैं।

दूसरी महत्वपूर्ण बात जो मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए कहना चाहता हूँ वह यह है कि रोड रोलर्स की वास्तव में हमारे सामने दिक्कत रही है और उसको पिछली पंचवर्षीय योजना में काफी हद तक पूरा करने की कोशिश की है। इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भी काफी रोड रोलर्स की आवश्यकता है और वे हमारे देश में बहुत कम तादाद में बनते हैं, ३५-४० ही हमारे देश में बनते हैं और दूसरे बाहर से मंगाने पड़ते हैं, जितनी राजस्थान में जरूरत है उसका रिक्वीज़िशन भारत सरकार को दे रखा है। फोरिन एक्सचेन्ज की भी दिक्कत है,

Page No.47

(श्री नाथूराम मिर्धा)

इस कारण वे रोड रोलर्स पूरे आ नहीं सके हैं। जो काम हैं, प्रगति और योजनाबद्ध चलना चाहिये वे चला रहे हैं। इसलिए रोडरोलर्स की पूरी दिक्कत हमारे सामने है और उसको दूर करने के लिए जो प्रयत्न इस महकमे को करने चाहिए वे किये जा रहे हैं।

तीसरी जो आम शिकायत माननीय सदस्यों से सुनने को मिली है वह यह है कि यह ठेकेदारी प्रथा ठीक नहीं है और इस प्रथा की वजह से बहुत भ्रष्टाचार फैलता है। झुंझुनू से आने-वाले एक माननीय सदस्य ने ऐसा कहा, एक कोटपूतली क्षेत्र से आने वाले माननीय सदस्य ने ऐसा कहा कि ठेकेदारी प्रथा ठीक नहीं है, एक तरीके से काम नहीं होने की वजह से, कौनसा काम बनना चाहिए, कौनसा काम उनको देना चाहिए, कोई रूल्स नहीं हैं, नियम नहीं हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये सारे माननीय सदस्यों को सूचना देना चाहता हूँ कि कोई भी काम हमारे महकमे का ऐसा नहीं है कि जो बिना कानून-कायदे के हो। पहले से सब के लिए नियम बने हुए हैं, रूल्स बने हुए हैं और जो कार्यवाही उसमें लिखी हुई है उसी अनुसार कार्य किया जाता है। ठेकेदार, कॉन्टेक्टर्स किस तरह बनेंगे, कौन ठेकेदार बन सकता है, कौन ठेकेदार नहीं बन सकता है, ये सारी चीजें रूल्स में लिख दी हैं। हमारे यहां तीन तरह के पी. डब्ल्यू. डी. के ठेकेदार माने गये हैं, ए., बी. और सी.। 'सी' क्लास का ठेकेदार वही बन सकता है जो हमारे महकमे में २० हजार का काम पूरा कर दे, उसकी २० हजार की हैसियत हो और उसके काम का सर्टिफिकेट एक्ज़ीक्युटिव इन्जीनियर देता है।

श्री मदनसिंह: २० हजार रिश्वत के...

श्री उपाध्यक्ष : Louder please. Is it a point of order ?

श्री मदनसिंह : Yes, Sir, point of order.

श्री उपाध्यक्ष : Yes, state it.

श्री मदनसिंह : हम २० हजार का समझे नहीं। २० हजार रिश्वत दी जाय ? २० हजार का फॉर्म रहता है ?

श्री उपाध्यक्ष : It should be directed to the Chair. What is that point of order ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं समझा दूं। अगर 'सी' क्लास का ठेकेदार २० हजार का कार्य एक्जीक्युटिव इन्जीनियर के सेटिस्फेक्शन के मुताबिक कर देता है तो उसको वह सर्टिफिकेट दे देता है कि इसको 'सी' क्लास का ठेकेदार मुकर्रर कर दें। इसी प्रकार बी क्लास का है। अगर वह ठेकेदार १ लाख का काम पूरा कर देता है तो उसको सुपरिन्टेन्डेन्ट इन्जि-नियर ऐसा सर्टिफिकेट देता है। 'सी' क्लास वाला ठेकेदार ज्यों ज्यों ठीक काम करता है उसका प्रोमोशन 'बी' क्लास में भी हो सकता है। ए क्लास के ठेकेदार की अनलिमिटेड केपेसिटी होती है काम करने की जिसकी चीफ इन्जीनियर सर्टिफिकेट देता है। यदि वह कानून के मुताबिक काम पूरा कर देता है तो उसको 'ए' क्लास की ठेकेदारी मिलती है। यह बडी जांच-पडताल के बाद होता है और यह, जिनको अधिकार प्राप्त है, वे इन्जीनियर्स करते हैं। किसी प्रकार का डिफेक्ट रहता है तो एग्रीमेन्टस हैं, मेन्युअल बने हुए हैं, टेन्डर नोटिस होता है, शर्तें होती हैं, सब का

(श्री नाथूराम मिर्धा)

विवरण दिया हुआ है और उन्हीं के अनुसार व्यवस्था होती है। उसमें किसी अमेन्डमेन्ट के अनुसार यदि काम गलत हो गया हो, ठेकेदार ने पूरे समय में काम नहीं कराया हो और जैसा मैंने प्रश्नोत्तर काल में भी बताया है कि काम ठीक नहीं किया है तो उन लोगों पर एग्रीमेन्ट के तौर पर काम ठीक नहीं होने के कारण पीनेल्टी लगाई है; माननीय सदस्यों ने कहा कि ब्लेक लिस्ट नहीं किया। पीनाल्टी के तौर पर, अमुक काम समय पर पूरा न होने पर सख्ती नहीं होती अथवा मोरल डिग्रेडेशन है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, इन शिकायतों पर जांच पड़ताल होने पर ठेकेदार को ब्लेक लिस्ट भी किया है और कर सकते हैं। माननीय उपाध्यक्षजी, जहां तक ठेकेदारी के मामलों को इस महकमे के साथ, भ्रष्टाचार के साथ जोड़ा जाता है तो मैं इस सम्बन्ध में यह बताना चाहता हूँ कि यह एक भ्रम है। माननीय सदस्यों ने भ्रष्टाचार के लिए कहा। उन्होंने कोई स्पेसिफिक इन्स्टान्स नहीं दी कि अमुक मामले में, अमुक ठेकेदार ने गड़बड़ी की, सख्ती नहीं की और इस कारण से भ्रष्टाचार फैला। ऐसी कोई जानकारी वे सदन में उपाध्यक्ष महोदय, देते तो,............

श्री मदनसिंह : ऐसी जानकारी तभी हो सकती है........

(घन्टी)

श्री उपाध्यक्ष : It should be directed to the Chair, please.

श्री मदनसिंह : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मिनिस्टर साहब मौका दें तो और कहें कि भ्रष्टाचार कहां हुआ, मौका नहीं देते हैं, इतने ग्रुप बने हुए हैं ऊपर से लेकर नीचे तक ... ...

(घन्टी)

श्री उपाध्यक्ष : The point of order is not well taken. You (Shri Nathu Ram) will please resume your debate.

श्री नाथूराम मिर्धा : यह पोइन्ट ऑफ आर्डर तो नहीं। मौका दें तो मेरा २४ घन्टे मकान खुला हुआ है...

श्री उपाध्यक्ष : It was only an interruption and nothing else.

श्री नाथूराम मिर्धा : मेरा मकान २४ घन्टे खुला रहता है। कोई किसी तरह की शिकायत हो तो मेरे पास, हमारे चीफ इन्जीनीयर के पास उसको पेश कर सकते हैं और अगर सुनाई नहीं हो तो यहां आकर पेश कर सकते हैं।

श्री सतीशचन्द्र : ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गांधीनगर क्वार्टर्स का उदाहरण है।

नाथूराम मिर्धा : आपने अपने भाषण में उदाहरण नहीं दिया।

श्री सतीशचन्द्र : गांधीनगर क्वार्टर्स....

(घन्टी)

श्री उपाध्यक्ष : Order, please. You will not interrupt please.

श्री नाथूराम मिर्धा : आम तौर से भ्रष्टाचार है यह कह देना, इस महकमे में यह हो रहा है, मर्जी से पर्सेन्टेज बना लेना, इन्जीनियर्स लेते हैं, दूसरे लेते हैं, हमें डेफिनिट जानकारी देनी चाहिए थी, कोई शिकायत हो तो शिकायत करनी चाहिये। उस पर विभाग द्वारा कोई एक्शन न हो तो यह बात कहना चाहिये कि महकमे में भ्रष्टाचार होता है और भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो को सुनता नहीं।

(श्री नाथूराम मिर्धा)

मैं, माननीय उपाध्यक्ष जी, आपके जरिये सदन को यह जानकारी देना चाहता हूँ कि इस महकमे के पास जब कभी भी किसी व्यक्ति के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत आई है तब उसकी जांच कराई गई और जहां कहीं तथ्य पाया गया है वहां सजा दी गई है। मैं आपके सामने आंकड़े देना चाहता हूं।

श्री भैरोंसिंह : आप गांधीनगर के आंकड़े बता दीजिये, फिर हम देख लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : Are you (Shri Nathu Ram) prepared to yield to the question?

श्री भैरोंसिंह : चपरासियों के आंकड़े बतायेंगे।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप बीच में इस तरह गड़बड़ न करें तो अच्छा हो।

श्री उपाध्यक्ष : Your question may also be directed to the Chair.

श्री नाथूराम मिर्धा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आंकड़े इस बात के देना चाहता हूँ कि जब जब इस महकमे के पास किसी के खिलाफ शिकायतें आई हैं तब तब उसकी जांच करवाई गई है और जिनके खिलाफ शिकायतें साबित हुई हैं उनको दण्ड भी मिले हैं। उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहता हूं कि इस विभाग के ४ गज़ेटेड ऑफिसर्स को वार्निंग दी गई है, ५ नोन-गज़ेटेड ऑफिसर्स को भी वार्निंग दी गई है, २ गज़ेटेड ऑफिसर्स को नोन पेमेन्ट ऑफ सेलेरी फोर सस्पेन्शन पीरियड किया गया, ८ ऑफिसर्स को पीनाल्टी ऑफ सेन्सर और स्टोपेज ऑफ इन्क्रीमेंट किया गया, ३ नोन-गजेटेड ऑफिसर्स को रिमूवल फ्रोम सर्विस किया गया, ब्लेक लिस्टिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स ५ का किया गया। अब तक जिनको दंड दिया उनकी संख्या ८६ और २७ है। तो इस महकमे में जब कभी शिकायत आई है उसकी सुनवाई की गई है और सही पाई गई है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया गया है और जो गलत पाई गई है उनको छोड़ा गया है। कहने को तो कह सकते हैं कि सुनवाई नहीं होती, भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन दिया जाता है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, फिर भी मैं कह दूं कि यहां कतई भ्रष्टाचार नहीं है तो यह वाजिब नहीं होगा। मैं माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहता हूं कि जहां कहीं भी उनकी नोटिस में वे ऐसी बातें आवें उनको सच्चाई के साथ, सही रूप में अफसरों के पास पहुंचायेंगे तो जरूर उस पर एक्शन लिया जायेगा। अगर वे कुछ नहीं करें तो आगे पहुंच सकते हैं। हम भ्रष्टाचार को दूर करने की भरसक कोशिश करेंगे।....

श्री भैरोंसिंह : गांधीनगर के बारे में तो बताइये।

श्री नाथूराम मिर्धा : गांधीनगर का मामला न मेरे सामने है और न आया है...

श्री भैरोंसिंह : आपकी निगरानी में हो तो हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : Order please.

श्री नाथूराम मिर्धा : एक माननीय सदस्य जो झालावाड़ से आनेवाले हैं उन्होंने अपने क्षेत्र के लिये यह कहा कि हमारे क्षेत्र

(श्री नाथूराम मिर्धा)

में ये काम बहुत अधूरे पड़े है, काम-काज पूरे नहीं हुए हैं, काम ठीक तरह से नहीं चल रहे हैं। इस बारे में जनरल बातें जो थीं वे सारी बता दीं हैं। आम तौर से मैं बताना चाहता हूँ....

श्री मदनसिंह दांता : उपाध्यक्ष महोदय, आम और जनरल बात में क्या फर्क होगा ?

श्री उपाध्यक्ष : Order please! डिस्क्रेशनरी का मुद्दा है।

श्री नाथूराम मिर्धा (जारी) : मैं उनके इलाके के बारे में कहना चाहता हूं कि पिछले पंच वर्षीय योजना के समय में उनके इलाके में काफी काम हुआ था। जैसा उन्होंने बताया कुछ सड़कें प्रथम पंच वर्षीय योजना में पूरी होनी चाहिये, उनको प्लान के अनुसार पूरा किया गया है और जो पूरी नहीं हुई हैं उनको द्वितीय योजना में रखा गया है और उनको भी पूरा करने की कोशिश करेंगे।

इसी तरह से एक माननीय सदस्य ने तहसील कोटड़ा, गोगुन्दा, फलासिया, खेरवाड़ा और उदयपुर सराड़ा सड़क के बारे में खास तौर से जानकारी चाही। मैं उनको बताना चाहता हूं कि इस एरिया में स्क्वायर माइल्स के हिसाब से पोपुलेशन है और जो तहसील की पोपुलेशन है वह इस प्रकार है:

कोटडा का एरिया ७६४ स्क्वायर माइल्स और वहां की पोपुलेशन है ४४०००, गोगुन्दा का एरिया २५७ स्क्वायर माइल्स है और वहां की पोपुलेशन ५४४३२ है, फलासिया का एरिया ३०० स्क्वायर माइल्स है और पोपुलेशन ४४२६० है, खैरवाड़ा का एरिया ४४८ माइल्स है और वहां की जन संख्या ६७७५८ है, सराडा का एरिया ३०८ स्क्वायर माइल्स है और वहां पर ६८२५६ आदमियों की पोपुलेशन है। इस तरह से टोटल सारी तहसीलों का एरिया २०,०७० स्क्वायर माइल्स है और कुल पोपुलेशन २,७८,८३६ है। इस पर कुल जो एक्सपेन्डिचर हमने फर्स्ट फाइव इयर प्लान में खर्च किया है वह ११,०६,००० रुपये इन तहसीलों में खर्च किये हैं और परकेपिटा ४ रुपये इस इस इलाके में खर्च हुआ है। और इसी तरीके से राजस्थान के basis पर हम जो इसे कम्पेअर करें तो पर स्क्वायर माइल पर कोरेस्पोंडिंग फिगर यदि सारे राजस्थान का लें, पहली पंच वर्षीय योजना में तो ३६० रुपये पर स्क्वायर माइल पर खर्च किया है तो स्क्वायर माइल के ऊपर २००७० रु० है उसका एरिया ५४३ स्क्वायर माइल्स आता है जो राजस्थान के फिगर से करीब दुगुना पड़ता है और पर केपिटा बेसिस जो मैंने बताया ४ रु० इस एरिया में खर्च किये। राजस्थान का सारे का पर केपिटा ३.३ आता है। तो यह कहना कि राजस्थान सरकार को इस इलाके के बारे में ध्यान देना चाहिये क्योंकि सड़कों के बारे में उल्लंघन किया गया है, मैं बताना चाहता हूँ कि उल्लंघन कतई नहीं किया गया है। आबादी के बेसिस पर राजस्थान के एवरेज से भी ज्यादा है और एरिया स्क्वायर माइल के हिसाब से दूसरे एरियाज़ से दूना खर्च किया गया है.......

श्री जनार्दनराय नागर : भूल से किया होगा।

श्री नाथूराम मिर्धा : ५ तहसीलों की बात कर रहा हूं। जिन माननीय सदस्य ने

(श्री नाथूराम मिर्धा)

कट मोशन देकर ध्यान दिलाया है और जो पूछना चाहते हैं कि वहां काम नहीं हुआ उनको संतोष दिलाना चाहता हूं। काम जरूर हुआ है और किस तरह हुआ यह आंकड़ों से बताने की कोशिश की है........

श्री जनार्दनराय नागर : क्या माननीय मंत्री कट मोशन मूव किया है उन्हीं को संतोष देना चाहते हैं ? उन्होंने फरमाया था....

श्री उपाध्यक्ष : It is a "Santosh" to the whole House.

श्री जनार्दनराय नागर : हमको भी इस बात का हक है कि हम भी संतोष करें।

श्री उपाध्यक्ष : You can have it from his speech.

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय उपाध्यक्ष, इसी तरह से सीकर और झुन्झुनू से आने वाले दो-तीन माननीय सदस्यों ने खास तौर से विशेष प्रश्न उठाये कि उनके इलाके को सार्वजनिक निर्माण विभाग से इसलिए संतोष नहीं है कि उनके इलाके में सड़कों का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है, और उन्होंने कुछ मिसालें सदन के सामने रखीं। झुन्झुनू मल्टी पर्पज़ स्कूल जिसका काम पिछली साल चालू हुआ था वह अभी खत्म नहीं हुआ। सीकर जिले में सड़क पिछली पंचवर्षीय योजना में रखी गई थी वे अधूरी पड़ी हैं। कुछ सड़कों को तहसील हेड क्वार्टर से जोड़ने की बात थी वह भी जुड़ी नहीं और यहां तक कि सीकर भी जयपुर से सड़क से नहीं जुड़ा। माननीय उपाध्यक्ष, मैं बताना चाहता हूं कि जो सड़क जयपुर से सीकर को जाने वाली है उसका काम वास्तव में बहुत डिले (delay) हुआ, लेकिन वह सड़क पहली योजना में चालू हुई थी उसमें से ५ मील के टुकड़े को छोड़ कर जो बाकी है और उसे भी जल्दी से जल्दी पूरा कराया जायगा, बाकी सड़क को पूरा कर दिया है। तहसील हेड क्वार्टर्स को भी सड़कों से जोड़ने का प्रश्न है। मैं बताना चाहता हूँ कि पहली पंचवर्षीय योजना में सीकर जिले में........

२—म० प०

(अल्प विराम के अनन्तर)

मैं पहले झुन्झुनू जिले के लिए बता देता हूं। झुंझुनू जिले के लिए पहली पंच वर्षीय योजना में ६ लाख ६२ हजार, २३६ रुपये का प्रोवीजन था और इसमें से पहली पंचवर्षीय योजना में इस जिले में ५ लाख ४१ हजार रुपया एक्चुअल हमने खर्च कर दिया। तो जब हमने पहली पंच वर्षीय योजना में ६ लाख ६२ हजार, २३६ में से ५ लाख ७१ हजार रुपया खर्च कर दिया तब झुंझुनू से आने वाले माननीय सदस्य यह कहें कि पहली पंचवर्षीय योजना में उतना काम नहीं हुआ है, यह बात सही नहीं है। यह हो सकता है कि कम काम हुआ हो। मैं झुंझुनू और सीकर जिले का बैक ग्राउन्ड बता देना चाहता हूं। ये रेतीले इलाके हैं वहां पर सड़के बनाने का मेटिरियल जैसे कि पत्थर है वह बहुत दूर से आता है; इसके अलावा एक और डिफीकल्टी है, कि वहां भोमियों और किसानों में झगड़े होने के कारण ठेकेदारों को माल नहीं लाने दिया जाता, उन लोगों को उस इलाके में रास्तों में से नहीं निकलने दिया जाता, वहां जमीन के झगड़े इतने बढ़ जाते हैं कि जो ठेकेदार वहां काम करते हैं उनको रास्ते से गुजरने नहीं दिया जाता है। ठेकेदार लोकल एरिया के नहीं हैं, वे

(श्री नाथूराम मिर्धा)

बाहर से आये हैं, उन्होंने बाहर से आकर काम करने की कोशिश की, लेकिन वे वहां जम नहीं पाए। वह इसलिए कि वे लोकल ठेकेदार नहीं थे। बाहर से वे ठेकेदार आये थे। एक बात और कही गई कि काम न होने की हालत में नये टेन्डर मांगने चाहिये यदि किसी ने गलती की है तो टेन्डर वापिस लेने चाहिये। मैं आपको बताऊं कि जो ठेकेदार बाहर से आए, वे लोकल न होने के कारण ठीक टेन्डर नहीं दे पाये और उन्होंने गलती की। काम में देरी होने के कारण उनका पीनाल्टी पे करनी पड़ी। पहले वाले ठेकेदार को हटा कर री-टेन्डर मांगें, तो इससे इस इलाके में जितनी तेजी से काम होना चाहिये वह नहीं हो पाया। इन सब कारणों से इन दोनों जिलों में जितनी तेजी से काम होना चाहिये था वह नहीं हो पाया, फिर भी इन जिलों पर रुपया जरूर खर्च किया है और आने वाली पंचवर्षीय योजना में इन सब बातों का विशेष ख्याल रख कर कुछ ज्यादा रुपयों का प्रोवीजन किया है और ठीक तौर पर काम पूरा करवाने के लिए ठेकेदारों को देख रहे हैं, जो इस इलाके का काम अपने हाथ में लें और उन कामों को अच्छी तरह से पूरा कर सकें।

मल्टी पर्पज़ हाई स्कूल के लिये जो देरी की बात बताई वह ठीक है, गलत बात नहीं है। लेकिन जितना प्रोवीजन था पिछले साल उस बिल्डिंग के लिए, वह हमने खर्च किया और इस मल्टी पर्पज़ स्कूल में साइन्स और कॉमर्स के लिये बिल्डिंग सन् १९५७—५८ में पूरी हो जायेगी। तो सीकर और झुंझुनू से आने वाले माननीय सदस्यों ने जो अपने इलाके के अभाव की बात कही, उसके बारे में मैंने बता दिया है। दांता-रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात कही कि सीकर तक जो हम इस इलाके में सड़क निकाल रहे हैं, उससे दांता-रामगढ़ टच नहीं होगा और यह इलाका बच जायेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उनकी जानकारी के लिए कह दूं कि यह सड़क तहसील के हेड क्वार्टर को बिना टच किये नहीं निकलेगी और जो सड़क आयेगी वह दांता-रामगढ़ को टच करके सीकर को निकलेगी।

श्री भैरोंसिंह : मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि तहसील रामगढ़ तक सड़क पहुँच गई है।

श्री नाथूराम मिर्धा : फिर आपको क्या आपत्ति है ?

श्री भैरोंसिंह : दांता में होकर निकलेगी या नहीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : दांता को छोड़ नहीं दिया जायेगा, प्रोवीजन है पंचवर्षीय योजना में।

श्री श्रीभानसिंह : The Hon'ble Minister seems to yield to the Opposition, Sir.

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आम तौर से जो कट मोशन पर स्पेसिफिक Points उठाये, उनका जवाब देने का प्रयत्न मैंने किया और जिन सड़कों का उल्लेख माननीय सदस्यों ने कटौती प्रस्तावों के द्वारा किया तथा सदन का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है, उनका जवाब मैंने आपके जरिये, सब माननीय सदस्यों के सामने दिया है। जो सड़कें अधूरी रह गई हैं, उनका क्या बैक ग्राउन्ड है, इस

(श्री नाथूराम मिर्धा)

पर खास गौर किया जायेगा । जो काम शुरू हम करते हैं, तो हम चाहते हैं कि प्लान में जो रुपया रखा गया है, वह खर्च कर सकें, यदि वे काम अधूरे रहते हैं, जहां जहां काम नहीं हुआ है, उनके लिए हम द्वितीय पंच वर्षीय योजना में प्रोवीज़न रखते हैं ताकि काम लगातार जारी रहे । द्वितीय पंचवर्षीय योजना बाद तृतीय पंचवर्षीय के योजना भी बनेगी और जो काम नहीं कर पायेंगे, उनको बाद में पूरा करेंगे । मैंने, जो कटौती प्रस्ताव रखे हैं, उनका जवाब दे दिया है । मेरे ख्याल से उनको संतोष होना चाहिये और वे अपने कटौती प्रस्तावों को वापिस लेंगे बदस्तूर, ऐसी मैं आशा करता हूँ ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भैरवलाल काला-बादल ।

श्री भैरवलाल कालाबादल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो कटौती प्रस्ताव रखा था, उसके बारे में माननीय मन्त्री जी ने जवाब भी दिया । उनके जवाब में थोड़ा सा यह रह गया कि हाईस्कूल खानपुर के बारे में जो जनता ने ३५ हजार की बिल्डिंग तैयार की थी और वह बिल्डिंग सरकार को सम्भला दी थी, वह इस आशय से सम्भलाई थी कि सरकार उसे पूरा करवा देगी । सरकार ने गत साल १५ हजार रुपये की धन-राशि स्वीकृति भी दी, ठेकेदार को ठेका भी दिया गया था, लेकिन इन्जीनियर द्वारा काम रोक देने के कारण ठेकेदार काम पूरा नहीं कर पाया और रकम लेप्स हो गई. इस काम को चालू करने के बारे में कोई सुझाव नहीं दिया। परन्तु आपके इन आश्वासनों के बावजूद मैं समझ सकता हूँ कि उसका जवाब न देते हुए भी माननीय मन्त्री जी उस बिल्डिंग को पूरा करवाने का शीघ्र उपाय करेंगे और उसे पूरा करवायेंगे, इससे उस स्कूल के छात्रों को बैठने की सुविधा हो सकती है । इन आश्वासनों के फलस्वरूप मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की इजाजत चाहता हूँ ।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि श्री भैरवलाल कालाबादल को, अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की इजाजत दी जाय ।

(स्वीकृत)

कटौटती प्रस्ताव वापिस लेन की आज्ञा दी गई ।

श्री भैरवलाल कालाबादल : मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हू ।

श्री अर्जुनदास : On a point of information, Sir, whether the Hon' ble Finance Minister has tendered his resignation ? He is absent today while the budget is being discussed.

श्री उपाध्यक्ष : Well, is it a point of information, so seriously raised ?

श्री अर्जुनदास : It is a point of information, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : Thank you. I dispose it of.

श्र अर्जुनदास : Has he resigned, Sir ?

श्री उपाध्यक्ष : With no result.

श्री अर्जुनदास : He should be here, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : Thank you. Order please.

(विराम)

Shri Lakshman Hirat.

श्री लक्ष्मण हीरात (८६) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने जो जवाब दिया है वह बहुत ही अच्छा है, लेकिन एक तरह से जो पिछड़ा हुआ इलाका है, उसके लिये मैं निवेदन करता हूं कि उसको वे ध्यान में रखें और उसके लिये रकम बढ़ाई जाये।

(हंसी)

इस आशा के साथ कि माननीय मन्त्री जी रकम बढ़ायेंगे मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की इजाजत चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि श्री लक्ष्मण हीरात को अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति दी जाय।

(स्वीकृत)

कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा दी गई।

श्री लक्ष्मण हीरात : मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवचरणदास

श्री शिवचरणदास : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने जनरल तरीके से सब कुछ बताया लेकिन मेरा प्रस्ताव इस बात पर था कि देवगढ़ से मांडल जाने वाली सड़क, जो पिछली पंचवर्षीय योजना में रखी हुई है, पर आज सिर्फ ६ मील तक काम हुआ है और छः मील में भी जगह जगह कई स्थान छूटे हैं। इस तरह से एक सिलसिले से देखते हैं तो मुश्किल से तीन मील तक काम हुआ है और वह भी इस ढंग से काम हुआ है कि बरसात के समय खराब हो जाती है। मैंने बड़े ढंग से निवेदन किया था और कोशिश की थी कि शायद मन्त्री महोदय इस तरफ ध्यान देंगे और मुझे इस बात पर संतुष्ट करेंगे कि इस पंचवर्षीय योजना में इस सड़क के ऊपर कुछ काम करेंगे, तेजी से काम चलायेंगे। लेकिन मुझे दुःख है कि मुझे उन्होंने संतुष्ट नहीं किया।

मैंने उनके सामने जनता की वे आपत्तियां भी बताई हैं कि यह सड़क कितनी आवश्यक और आम जनता से सम्पर्क रखने वाली है। मैंने बताया था कि भीलवाड़ा में करीब २ सब कोर्टस हैं, उस जिले की जनता का सम्पर्क कोर्टस से है। ब्यावर के रास्ते का सम्पर्क उस रास्ते से हैं, गंगापुर के रास्ते का उस सड़क से सम्पर्क है, जो ट्रैफिक उस सड़क से सम्पर्क रखता है, सम्बन्ध रखता है, उन लोगों को क्या आपत्ति है, इन सब बातों का स्पष्टीकरण मैंने मन्त्री महोदय के सामने कर दिया था पर इन सब चीजों को छोड़कर, उनकी तरफ इशारा भी नहीं किया। जिस मन्द गति से काम चल रहा है उसे तेजी से चालू कर मन्त्री महोदय चेष्टा करेंगे कि उस सड़क को आगे बढ़ा कर, पूरी नहीं हो सके तो १७ माइल का टुकड़ा पूरा करेंगे। पिछले ६ वर्षों में ६ माइल भी पूरा नहीं हो सका है। मैंने इस बारे में प्रश्न रखा था, ३० तारीख को प्रश्न रखा था, पर वह स्वीकार नहीं हुआ इस कारण मैं इस पर प्रश्न नहीं पूछ सका कि प्रथम पंच वर्षीय योजना के नाम पर कितनी रकम रखी थी पर मुझे....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य तो पूरा भाषण ही दे रहे हैं, जरा संक्षेप में कहें।

श्री शिवचरणदास : मुझे बार बार टोका जाता है, मैं विषय से बाहर तो नहीं जाता।

श्री उपाध्यक्ष : विषय से बाहर तो नहीं जाते पर जरा संक्षेप में कहिये।

Page No.55

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : माननीय उपाध्यक्ष, मैं थोड़ा सा इस बारे में निवेदन कर दूं तो माननीय सदस्य को विशेष कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

इस सड़क के लिये पहली योजना में १४० हजार का प्रोविजन था। कुल ३२ मील की सड़क पर टोटल प्रोविजन ६ लाख ६० हजार रुपयों का रखा गया है। पहली योजना में १,४०,००० रुपयों का प्रोविजन रखा गया था उसमें से एक लाख रुपया खर्च कर दिया है, दो-तीन मील ही सड़क बनी है, एक लाख खर्च कर दिया। अब बकाया एस्टीमेट्स डिटेल में तैयार हैं, द्वितीय पंच वर्षीय योजना में प्रिलिमिनरी डिफिकल्टी है उसको भी पूरा कर लिया है।

श्री शिवचरणदास : इस साल में इस सड़क को कितना आगे पहुँचा देंगे।

श्री नाथूराम मिर्धा : एक साल में तो पूरी नहीं होगी। हां, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इसके लिये प्रोविजन है। १,३०,००० का बजट इस पर रखा गया है। जैसा कि मैंने पहले बताया पहली योजना में १४० हजार रुपया रखा गया था उसमें से एक लाख खर्च कर दिया। पूरा टोटल एस्टीमेट ६६० हजार का बताया है।

श्री उपाध्यक्ष: ऑर्डर ! आरम्भ रखिये।

श्री शिवचरणदास : आज तक ५ वर्ष में जो काम हुआ है, मुझे दुःख है कि ठेका दे देते हैं, आप काम चलाते हैं पर वापिस निरीक्षण ठीक तरह से नहीं होता। सब मिलाते हैं तो करीब तीन मील तक ही पहुँच सके हैं। वह भी संतोषजनक नहीं है, जो कुछ हुआ है वह नहीं के बराबर है। फिर इतना रुपया कैसे खर्च हो गया, इस बात का हमें आश्चर्य है। ये सब बातें तो प्रश्न में ही पूछी जा सकती हैं, इस समय तो सब डिटेल में मैं नहीं जा सकता।

इसलिये मुझे इसमें संतोष नहीं है और जो आपका काम चल रहा है उससे मैं तो यकीन नहीं करता कि वास्तव में जिस तरह आप हमें बताते हैं उस तरह पूरा कर सकेंगे। मैं तो, माननीय उपाध्यक्ष, आपके जरिये सदन से निवेदन करता हूँ कि सदन में वाक्चातुरी से समझा देने से काम नहीं चलता, मौके पर प्रेक्टिकल काम करते तो मुझे संतोष होता।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, जो कुछ माननीय मंत्रीजी ने कहा उससे नतीजा निकाल लें। हम आगे बढ़ेंगे, कि प्रस्ताव को पास किया जाय या नहीं किया जाय ?

श्री शिवचरणदास : प्रश्न यह है कि मुझे यकीन दिला दें कि पूरा कर सकेंगे कि नहीं, तो मैं फिर अपने विचार उस बारे में बतला सकता हूँ कि इसे वापिस लिया जाये या नहीं लिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : Is there any more assurance from your side ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने तो जितना देना था उतना दे दिया। पहली योजना में १४० हजार का प्रोविजन था, उसमें दो तीन मील ही बनेगा। ६६० हजार का टोटल एस्टीमेट है। इस साल १३० हजार का प्रोविजन है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में चालू रहेगा और काम संतोषजनक चलेगा, प्रिलिमिनरी डिफिकल्टीज़ दूर कर दी गई हैं।

Page No.56

(श्री नाथूराम मिर्धा)

संतोष हो तो हो जावे, नहीं तो मेरे पास क्या इलाज है ?

श्री शिवचरणदास : फिर भी मुझे बड़ी शंका है कि छः पंजा तीस, तीस साल में जाकर यह टुकड़ा पूरा होगा।

श्री उपाध्यक्ष : जैसी भी स्थिति है आपके सामने है। मैं चाहता हूँ कि आप इस पर निर्णय ले लें।

श्री शिवचरणदास : इसलिये मुझे संतोष नहीं है। इतनी इमीजियेट स्थिति है। इसमें ३० साल लगेंगे और कहा जाता है कि संतोषजनक प्रगति है। इसलिये मुझे तो आपत्ति है और इस डिमान्ड को स्वीकार न किया जावे। मैं सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि मेरे इस कटौती के प्रस्ताव को स्वीकार किया जावे।

श्री उपाध्यक्ष : Should I put it to vote?

प्रश्न यह है कि श्री शिवचरणदास जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है वह स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

कटौती का प्रस्ताव गिर गया।

(विराम)

रावराजा श्री सरदारसिंह।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : माननीय उपाध्यक्ष, माननीय मंत्रीजी का भाषण सुन कर मुझे संतोष होना चाहिये था पर संतोष न होकर बड़ा आश्चर्य हुआ है। उन्होंने जैसे झुंझुनू, सीकर की तरफ दिलचस्पी ली उसी तरह मेरे क्षेत्र के बारे में बताते तो संतोष होता। मुझे बहुत दुःख हुआ कि उन्होंने जानबूझ कर मेरे क्षेत्र को निग्लेक्ट कर दिया।

अगर मुझको यह आश्वासन दे दें कि उस सड़क का कंकोड़ से उणियारा तक १० मील का टुकड़ा बन जायेगा तो मुझे इसको वापिस लेने में आपत्ति नहीं है। पर मुझे इन आसारों से मालूम होता है कि ये आश्वासन इस हाउस ही हाउस में हैं, कार्यान्वित करने के लिये आश्वासन नहीं दिये जाते। माननीय मंत्री मुझे यह विश्वास दिला दें कि यह रोड उणियारा टू माधोपुर लेकर टोडा से दूनी तहसील हेडक्वार्टर तक होगी; यह आश्वासन दे दें तो मुझे इसे वापिस लेने मे कोई आपति नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : है आपका आश्वासन ?

श्री नाथूराम मिर्धा : नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : Should I put it to vote ?

प्रश्न यह है कि जो कटौती का प्रस्ताव रावराजा श्री सरदारसिंह जी ने रखा है उसे स्वीकार किया जाये।

(अस्वीकृत)

कटौती प्रस्ताव गिर गया।

(विराम)

श्री जयसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री शिवनाथसिंह।

श्री शिवनाथसिंह : माननीय उपाध्यक्ष, माननीय मन्त्री महोदय ने जो आश्वासन

(श्री शिवनाथसिंह)

दिया है और उदारता दिखलाई है मुझे उससे संतोष है और मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है ?

(स्वीकृत)

अनुमति दी जाती है।

श्री शिवनाथसिंह : मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अनोपसिंह।

श्री अनोपसिंह : माननीय उपाध्यक्ष, मैंने जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था वह यह मान कर किया था कि जो सड़क करमागास से रूमदडी तक जाती है उसके टुकड़े को जोड़ा जाय। मैं समझता हूँ कि इसमें काफी खर्चा लगेगा और काफी समय लगेगा; फिर भी है अर्ज करूंगा कि माननीय मंत्री महोदय को ही ज्यादा खर्चे का प्रबन्ध करना ही पड़ेगा। खर्चा आवेगा कहां से ? आखिर तो खर्चा आपको ही कम करना पड़ेगा चाहे कहीं से और कैसे ही किया जाए। बुलगेनिन साहब और दूसरे क्रुश्चेव साहब तो आकर करेंगे नहीं। खर्चे के लिए पैसे कहां से लाना है, इसका प्रावधान भी आपके ही हाथ मे है। अगर मैं यह कहूं कि इस प्रस्ताव को मैं वापिस नहीं लेता तो अभी 'हां' और 'नां' के चक्कर में यह गिर ही जावेगा तो फिर मैं अपने अहसान से क्यों चूकूं ? आपने कहा है कि हम इस एरिया से अच्छी तरह वाकिफ हैं और जानते हैं। मैं समझता हूँ कि अब आप इस एरिया को वही तवज्जोह देंगे जो आपको देनी चाहिये। मगर यह सही बात है कि जहां पर निर्माण कार्य की आवश्यकता थी नहीं हुए हैं। इतना कहकर मैं सहयोग के नाते निवेदन करूंगा कि कटौती का प्रस्ताव मुझे वापिस लेने की अनुमति दी जाए।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की यह अनुमति है कि श्री अनोपसिंह को अपना प्रस्ताव वापिस लेने दिया जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा दी जाती है

श्री अनोपसिंह : माननीय उपाध्यक्ष, मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेता हूँ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : माननीय उपाध्यक्ष, माननीय मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है कि वह एक वकील के नाते व्यवस्थित रूप से हो सकता है, लेकिन विभाग के काम के रूप से व्यवस्थित नहीं कहा जा सकता। एक छोटी सी बात मैं कहूंगा। बनी पार्क में शीप एन्ड वूल....

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय उपाध्यक्ष, नया मुद्दा तो नहीं उठाये जावे। मैं कब तक इसका जवाब देता रहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : Now no new matter is to be introduced. You will please speak to the question.

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : नई बात नहीं कह रहा हूं। मैं तो उदाहरण दे रहा हूं। जब उसकी नींव खोदी गई तो सरकार की तरफ से नया प्रस्ताव आता है कि इसको गर्ल्स हाई स्कूल बनाया जावे और जब नींव कुछ ऊंची आई तो दूसरी चीज आवेगी उसको ३० महीने हो गये हैं न तो वह शीप

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

एयर कूल का रिसर्च इन्स्टीट्यूट ही बना है और न गर्ल्स स्कूल ही। ठेकेदार अभी तक अपने पैसों के लिए "माननीय मंत्री को रोता है" या किसी को रोता है........

श्री उपाध्यक्ष : No personal reflections please. I would expect from the hon'ble member to be more courteous and graceful at the same time.

श्री जगदीशप्रसाद : आपने कहा कि जिसके रुपये हैं, उनको मेरे पास आना चाहिये और मैं यह कहूंगा कि वह ठेकेदार कई दफा उनके पास जा चुका है।

श्री भैरोंसिंह : वह दरख्वास्त भी पेश करता है और रोता भी है, ये दोनों बातें साथ साथ हैं।

श्री उपाध्यक्ष : In the context in which it has been said, the Hon'ble member will not expect any more observations from the Chair.

श्री जगदीशप्रसाद : अब दूसरा प्रश्न आता है ठेकेदारों के काम की जांच करने का। कहा जाता है कि जांच होती है। जयपुर के गांधीनगर के क्वार्टरों की हालत आप देखें कि किस प्रकार का काम हुआ है। अगर वर्षा में स्वयं मन्त्री महोदय जाकर रहें तो माननीय मन्त्रीजी को पता लगेगा कि किस प्रकार की व्यवस्था है गांधीनगर में। मुझे तो बड़ा अफसोस होता है कि वहां पर सारे के सारे सरकारी कर्मचारी ही हैं जो उन क्वार्टरों में रहते हैं। वर्षा में पानी टपकता है।

श्री उपाध्यक्ष : May I call to your attention the fact that the cut-motion is, "To discuss the failure of the Government in the construction of Roads in Sikar District."

You will kindly take a decision whether it is to be withdrawn or not.

श्री जगदीशप्रसाद : अब जहां तक सीकर डिस्ट्रिक्ट का प्रश्न है मैं यह कहूंगा कि माननीय मन्त्री महोदय ने झुंझुनू के बारे में तो बताया कि कितने रुपये खर्च किए गए, मगर मेरे यहां पर पूछने पर भी नहीं बताये गए कि इतनी सैंक्शन थी और इतना खर्च किया गया। मैं यह कहूँगा कि मेरे कट मोशन का कोई उत्तर माननीय मन्त्री महोदय ने नहीं दिया। अतः मैं अपने कटौती के प्रस्ताव सदन के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो कटौती का प्रस्ताव श्री जगदीशप्रसाद ने रखा है स्वीकार किया जाए ?

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गया।

(विराम)

Shri Bhairon Singh (अल्प विराम के अनन्तर पुनः) Sorry, shri Modi. Thanks.

श्री मदनसिंह : आपकी तरफ से थैन्क्स (Thanks) किस बात का हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष : As I corrected myself, as such I had to thank him (Shri Bhairon Singh). Shri Muktilal Modi.

(अनुपस्थित)

Page No.59

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि जो कटौती का प्रस्ताव श्री मुक्तिलाल मोदी ने रखा है उसे स्वीकार किया जाए ।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गया ।

(विराम)

श्री मुरलीधर व्यास ।

श्री मुरलीधर व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कटौती का प्रस्ताव रखा उसमें मुख्य तीन बातें थीं । मेरा आज भी विश्वास है कि चीफ इंजीनियरों की लापरवाही से निर्माण का कार्य जितना हो सकता है, ठीक ढंग से नहीं होता और यही एक इसका कारण है कि निर्माण कार्य ठीक नहीं होता । कोई भी सड़क बनती है और उस सड़क के बनते वक्त चीफ इंजीनियर अपनी तरफ से जाकर जांच कर लें कि वह सड़क ठीक तरह से बन रही है या नहीं, तो किसी प्रकार भ्रष्टाचार नहीं फैल सकता । दूसरी बात जो भ्रष्टाके सम्बन्ध में है, मैं यह कहूंगा कि उसको छिपाने की कोशिश की गई है, मगर पी० डब्ल्यू० डी० में जितना अधिक भ्रष्टाचार है किसी दूसरे विभाग में नहीं है ।

तीसरी बात जो इसमें यह कही गई कि निर्माण के कार्यों के बारे में कोई उदाहरण नहीं दिया गया । मैं यह कहूंगा कि मिसाल की कोई जरूरत नहीं, सारे सदन के लोग इस बात को जानते हैं और सैकड़ों मिसालें दी जा सकती हैं, मगर मैं एक ही उदाहरण आपके सामने बीकानेर से ५ मील की दूरी पर रोड पर कुआ बनाया गया उसका दूंगा । इससे आपको मालूम होगा कि किस तरह से....

श्री उपाध्यक्ष : Hon'ble member please ! I think that is not the stage where a new matter is to be introduced.

श्री मुरलीधर व्यास : यह कहा गया कि मिसाल नहीं दी गई इसलिये मैंने कहा । अगर आप इजाजत दें तो कहदूं ।

श्री उपाध्यक्ष : Let us come to the question.

श्री मुरलीधर व्यास (जारी) : फिर भी जो भ्रष्टाचार है उसके लिये मैं आज भी यही मानता हूं कि जितना भी निर्माण का कार्य हो रहा है वह ठीक ढंग से नहीं हो रहा है और उसके लिये मैं समझता हूं कि चीफ इंजीनियर ही जिम्मेदार है । अभी माननीय मन्त्रीजी ने बताया कि पहले सड़क बनती है उस पर मिट्टी डालते हैं । एक साल बाद रोड़ी और उसके बाद टार डाला जाता है । मैं समझता हूं कि यह तरीका इंजीनियरिंग पोइन्ट ऑफ व्यू से बिल्कुल गलत है । यदि पहले साल में आप मिट्टी डालेंगे तो वह वर्षा में बह जाएगी, फिर आप उस पर पत्थर और रोड़ी डालेंगे यह भी चली जाएगी, अतएव वह रुपया यों ही बरबाद होगा । मैं समझता हूं कि इस विभाग में बहुत भ्रष्टाचार फैला हुआ है । मैं तो यह मान कर चलता हूं कि एक और एक दो ही होते हैं तीन नहीं हो सकते । जो एक और एक तीन होते हैं यह मान कर चलते हैं वे अपना प्रस्ताव वापिस ले सकते हैं । ऐसी हालत में प्रस्ताव को वापिस लेने का प्रश्न ही नहीं उठता । जो एक और एक को दो नहीं मान कर तीन मानेंगे वे ही अपने प्रस्ताव को वापिस लेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रस्ताव श्री मुरलीधरजी ने रखा है उसे स्वीकार किया जाए ?

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गया।

(विराम)

श्री लच्छूराम।

श्री लच्छूराम : मैंने ठेकेदारी प्रथा के अनौचित्य के सम्बन्ध में एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव रखा है। मुझे आशा है कि माननीय मन्त्रीजी ठेकेदारी के औचित्य के सम्बन्ध में पूरा ध्यान रखेंगे और जो मैंने झुंझुनू जिले की ओर उनका ध्यान दिलाया है उसकी ओर भी ध्यान रखेंगे। तो मुझे आशा है कि उन ठेकेदारों की तरफ आप जरूर ध्यान देंगे और मैं समझता हूँ कि जो कटौती के प्रस्ताव में मैंने कहा वह पूर्णतया सत्य है और उस पर अवश्य ही ध्यान दिया जायेगा। इतना कहकर मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि श्री लच्छूराम को अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेने दिया जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री लच्छूराम : मैं अपना प्रस्ताव वापिस लेता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायण।

श्री रामनारायण : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव जो सड़कों के बारे में था माननीय मन्त्री महोदय ने अपने उत्तर में उसका कोई जिक्र नहीं किया, कोटा से पीपलदा रोड तैयार हो रही है उसका कार्य बहुत धीरे चल रहा है, इसके बारे में कोई जवाब नहीं दिया। एक-दो मील का टुकड़ा भी वैसे ही पड़ा हुआ है उसके बारे में भी कोई बात नहीं कही गई। अन्य सड़कें जो नहीं बनी हैं वह इस पंचवर्षीय योजना में भी नहीं आतीं और आने वाली पंचवर्षीय योजना में भी नहीं आतीं तो फिर कौनसी अनन्त वर्षीय योजना के अन्तर्गत आएंगी जिसमें यह कार्य होगा ? मेरा जो प्रस्ताव है वह उचित है और उसको मैं वापिस लेने को तैयार नहीं हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि श्री रामनारायण का कटौती का प्रस्ताव स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

कटौती का प्रस्ताव गिर गया।

(विराम)

अब मुख्य प्रश्न रखता हूं। प्रश्न यह है, 'कि अनुदान कि मांग संख्या २४, मुख्य शीर्षक ५०-नागरिक निर्माण कार्य के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १६५८ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त आवश्यक राशि को पूरा करने हेतु राज्यपाल महोदय को १,७१,७८,००० रुपये तक की राशि प्रदान की जावे"

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की जाती है।

(करतल-ध्वनि)

२.३१ म० प०

मांग संख्या ३१-त्रिविध

श्री रामकिशोर व्यास (गृहमंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ : "कि

Page No.61

(श्री रामकिशोर व्यास)

अनुदान की मांग संख्या ३१, मुख्य शीर्षक ५७-विविध के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५८ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त आवश्यक राशि को पूरा करने हेतु राज्यपाल महोदय को ८७,९०,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।"

श्री उपाध्यक्ष : मांग प्रस्तुत हुई।

श्री मुरलीधर व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे पास तो यह सूचना है कि श्री मोहनलाल सुखाडिया, मुख्य मन्त्री, इस मांग को प्रस्तुत करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : Pardon.

श्री मुरलीधर व्यास : मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि सदन के सदस्यों के पास जो भी सूचना है वह यह है कि मांग संख्या ३१ श्री मोहनलाल सुखाडिया, मुख्य मन्त्री, प्रस्तुत करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : Is it not material point? Any member of the government can move the Demand.

श्री मुरलीधर व्यास : हमें तो इसी प्रकार की ही सूचना दी गई है।

श्री उपाध्यक्ष : Treat it as corrected to that extent. श्री तनसिंह अपना कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री तनसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कटौती का प्रस्ताव है, "कि मांग संख्या ३१ मुख्य शीर्षक ५७—विविध में १०० रुपये की कटौती की जाय (पंचायत विभाग के पक्षपात व ढिलाई के सम्बन्ध में)"।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस कटौती के प्रस्ताव को रखने का मेरा तात्पर्य यह है कि जिस उद्देश्य से यहां पंचायत राज्य कायम करने की व्यवस्था थी और जिस उद्देश्य से हमने यहां स्वायत्त शासन की व्यवस्था स्थापित करने का विचार किया था उसमें हम कितने सक्सेसफुल हुए हैं और उसमें असफलता का कारण पंचायत विभाग है या नहीं, इन सब बातों पर विचार करने के लिए मैंने यह प्रस्ताव रखा है। तो मैं इसमें निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक राजनैतिक पार्टियों का सम्बन्ध है इस बारे में यह कहा जाता था और उस पक्ष की ओर से विशेषतया यह कहा जाता था कि पंचायत के चुनावों में हम दलबन्दी की भावना से ऊपर उठकर किसी भी पार्टी के टिकट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन वास्तव में बात यह है कि पार्टी के टिकट लेकर खड़े होने की अपेक्षा लोगों ने इसे पार्टी का प्रश्न बना कर चुनावों में काफी हस्तक्षेप किया। इतना ही नहीं बल्कि वोटर्स के पास जाकर उन्होंने अपनी पार्टी के लिए वोट मांगे, बल्कि जो उनके कर्मचारी पंचायत विभाग के थे उनको भी इस प्रकार का कार्य करने का साधन बनाया। इस सारी व्यवस्था को देखते हुए इस राजस्थान में असंख्यों पंचायतें हैं जिनका केन्द्रीयकरण चीफ पंचायत ऑफिसर के कारण हो गया है। मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि जितनी ढिलाई इस पंचायत विभाग में है उतनी शायद ही किसी डिपार्टमेंट में हो। काफी अर्से से, दिनों से, महीनों से प्रस्ताव पास करके भेज दिये जाते हैं परन्तु जाने किस कोने में इसके अधिकारी रहते हैं कि उन्हें पता ही नहीं होता कि पंचायत

(श्री तनसिंह)

विभाग को अपना कार्य चलाने के लिए जिन जिन बातों की आवश्यकता होती है वह उनके पास हैं या नहीं। करीब आठ-दस महीने के बाद एक छोटा सा कागज, थोड़ा सा ऑब्जेक्शन लिखकर भेज दिया जाता है कि फलां फलां काम में कमी रह गई है और इस पर पुनः विचार किया जाय। तो यदि हमारी पंचायतों को ठीक तरह से चलाना है तो कम से कम इस प्रकार की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। वहां सारी की सारी पॉवर्स को सेन्ट्रलाइज़ करके चीफ पंचायत ऑफिसर को दे देना, इसका क्या मकसद हो सकता है? इसका मकसद तो यही हो सकता है कि सरकार पंचायतों के काम में दखलन्दाज़ी करना चाहती है, सरकार अपनी टांग अड़ाना चाहती है और उनके डे टू डे मैटर्स में जो कि फॉर्मल मैटर्स हैं उनमें सरकार अननेसेसरीली बाधा पहुँचा रही है। मेरा निवेदन यह है कि यदि इस पंचायत विभाग के चीफ पंचायत ऑफिसर की पोस्टको तोड़दिया जाय और उस स्थान पर जिस प्रकार से आपने डिवीजनल कमिश्नर नियुक्त किया है उसको यह पंचायतका काम दे दें तो ठीक होगा। मैं समझता हूँ कि अभी कुछ अर्से पहले इस पर काफी वाद-विवाद भी हुआ था। उसको अपने काम के साथ साथ पंचायत का भी काम दे दिया जाय और वह पंचायतों का भी नियंत्रण रखे और इसके कार्य को भी संभाले तो ठीक रहेगा। वैसे उनके पास ज्यादा काम भी नहीं होता है, वैसे भी ये बैठे ही रहते हैं। सिवाय इधर उधर की बात करने के और जोड़-तोड़ करने के सिवाय विशेष काम नहीं होता। सब काम कलेक्टर लोग करते हैं। अगर कमिश्नर्स को यह काम दे दिया जाता है कि वे मुख्य पंचायत अधिकारी के कार्य को करें तो आसानी हो सकती है और कार्य में भी जल्दी हो सकती है और जनता को यह ज्यादा सुविधापूर्ण हो सकता है।

यह प्रश्न उपस्थित हो सकता है कि पंचायतें अनेक हैं और कमिश्नर्स अलग अलग राय दें तो वैसी हालत में क्या किया जायगा? इस प्रकार का प्रश्न हो सकता है, इस बारे में मेरा निवेदन यह है कि कुछ ऐसी नीति बना ली जाय, कुछ पोइन्ट्स निर्धारित कर लिये जांय जिनके आधार पर कमिश्नर्स अपना निर्णय दें। अगर यह नहीं होता है तो हमने नाम मात्र पंचायत राज्य स्थापित करने का बहाना कर रखा है। वास्तव में हम अगर यह चाहते हैं कि हमारे यहां पंचायत-राज्य सफल रहे तो हमें सत्ता का विकेन्द्रीकरण करना होगा और राज्याधिकारियों के हाथ में कठपुतली बन कर न रहें, ऐसे प्रयत्न करने होंगे। इसलिये मैं चन्द शब्दों के साथ यह निवेदन करूंगा कि इस कार्यालय को तोड़कर कमिश्नर्स के अधीन दे दिया जाय, तभी हम इसमें सुधार कर सकते हैं और पक्षपात और जातिवाद का जो बोलबाला इस महकमे में हो रहा है उसको मिटा सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह : (श्री माधोपुर) Mr. Dy. Speaker, Sir, I beg to move, "that the Demand No. 31-Miscellaneous, be reduced by Rs. 100/- (To discuss the partiality in the appointments of Panchayat Inspectors)".

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान का पंचायत विभाग एक ऐसा विभाग है जिसकी ओर ग्रामीण जनता की आंखें हर समय लगी हुई रहती हैं। जिस समय पंचायतों के निर्माण

(श्री भैरोंसिंह)

का प्रश्न आया था उस समय इस प्रकार का वातावरण बना था कि हम सत्ता का विकेन्द्रीकरण करने के लिये पंचायतों का निर्माण करें और उन पंचायतों को शासन संबन्धी अधिकार देकर उनसे जनता की सेवा करांये। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं अगर यह कहूं, हमारे पिछले तीन वर्षों का अनुभव यह बताता है कि जिस सिद्धान्त की पूर्ति हम करना चाहते थे उसके विपरीत हुआ है, त कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज स्वयं माननीय मंत्री महोदय जिनका संबन्ध इस विभाग से है वे इस सदन में इस बात से भले ही इन्कार कर सकते हैं, मैं ऐसा महसूस करता हूं कि राजस्थान के पंचायत विभाग को जिस प्रकार से कार्य करना चाहिये उस प्रकार से काम नहीं हो रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में कई बार इस बात की चर्चा हुई और स्वायत्त शासन मंत्री ने भी यह कहा कि हम राजस्थान के अन्दर सत्ता का विकेन्द्रीकरण करना चाहते हैं, हमें इसको कार्य रूप में परिणत करना है, इस प्रकार की सारी कार्यवाहियों को समान रूप से चालू करने में हमें यह करना होगा कि पंचायत विभाग और स्वायत्त शासन विभाग को एक कर देना चाहिये। इस संबन्ध में प्रस्ताव भी आये कि पंचायत विभाग को लोकल सेल्फ (गवर्नमेंन्ट) डिपार्टमेन्टके अन्तर्गत कर दिया जाए। लेकिन न मालूम क्यों वह प्रस्ताव पूरा नहीं हुआ? इसके पीछे क्या रहस्य है, मैं सदन में कहना नहीं चाहता। उसे माननीय मंत्रीजी भी महसूस करते हैं। वे स्वयं चाहते हैं, एक दफा उन्होंने इस सदन में कहा था कि सरकार ने ऐसा विचार कर लिया है, लेकिन वह कार्य रूप में परिणत नहीं हो रहा है, इसके पीछे या तो कोई बडा रहस्य, है या स्वयं माननीय मंत्री महोदय की कमजोरी है। मैं इस बात का विश्लेषण नहीं करना चाहता क्योंकि अभी अभी एक प्रश्न के उत्तर में माननीय मत्री महोदय ने यह आश्वासन दिया था कि राजस्थान सरकार इस विषय में विचार कर रही है और शीघ्र ही इस विषय में निर्णय लिया जाने वाला है। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, इन सारी गफलतों के कारण, यह निर्णय इस विभाग पर एप्लाई नहीं हो सका। इसी कारण जनता को इस विरोध में शिकायत थी और उन शिकायतों पर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं हुई।

उपाध्यक्ष महोदय, किसी जिले में हम जाते हैं तो सब से पहले पंचायतों के सम्बन्ध में शिकायतें मिलती हैं, पचायतों के निर्माण को लेकर, पंचायतों के गठन को लेकर, पंचों और सरपंचों के चुनाव को लेकर शिकायतें आती हैं; उनके ऊपर हम थोडा सा यह सोचकर कि हम नये ढांचे में से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत मुमकिन है, हमारी पंचायतें हैं वे किसी प्रकार की गलतियां करें। लेकिन यह बात नहीं। उन गलतियों के पीछे रहस्य है, उन गलतियों के पीछे सरकारी अधिकारी का हाथ है। उपाध्यक्ष महोदय, आज हमें मजबूर होकर उन्हें आपके सामने रखना पड़ रहा है। वे गलतियां दूर की जा सकती हैं या नहीं? अगर दूर नहीं की जा सकतीं तो उनको दुरुस्त करने का क्या तरीका है?,

उपाध्यक्ष महोदय, मैने जहां तक देखा है जितनी भी पंचायतें हैं उनके ऊपर कन्ट्रोल होता है इन्स्पेक्टर का। एक जिले के अन्दर इन्स्पेक्टर होता है उसका डाइरेक्ट प्रशासन होता है जिले की पंचायतों के ऊपर। लेकिन अगर मैं उन इन्स्पेक्टर्स के लिये कहूं कि वे योग्य नहीं हैं तो ठीक नहीं होगा। लेकिन एक प्रश्न आता है कि जहां हमारी राज-सत्ता का बेसिक

(श्री भैरोंसिंह)

युनिट पंचायतों का माना है उसी विभाग के प्रति उदासीनता बरती है, जिन व्यक्तियों के हाथ में प्रशासन देते हैं उसके बारे में कोई ठीक प्रकार से निर्णय नहीं लिया गया। पंचायतों के इन्सपेक्टर्स की जो नियुक्तियां हुई उनमें पबलिक सर्विस कमीशन को रेफर नहीं किया गया। राजपत्र के किसी अंक में भी यह शाया नहीं किया गया कि पंचायत इन्सपेक्टर्स किस किस योग्यता के चाहिये। माननीय मंत्री महोदय यह स्वयं महसूस करते हैं और उनकी जानकारी में भी है कि राजस्थान के पंचायत विभाग में जिन चार इन्स्पेक्टर्स की नियुक्तियां हुई वे पब्लिक सर्विस कमीशन से रिजेक्टेड थे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूं की जिन चार इन्स्पेक्टर्स की नियुक्ति यां हुई उनका संबन्ध पंचायत विभाग के कुछ अधिकारियों से होने के कारण, जाति का संबन्ध होने के कारण या घरेलू संबन्ध होने के कारण, राजैतनिक संबन्ध भी हो सकते हैं, इन सारे संबन्धों को ध्यान में रखकर पब्लिक सर्विस कमीशन की तोहीन करके उन चारों व्यक्तियों को दुबारा असिस्टेंट इन्सपेक्टर की पोस्ट पर नियुक्त किया गया। बाद में एक को चार महिने बाद, दूसरे को ६ महिने बाद, तीसरे को १३ महिने बाद और चौथे को १५ महिने के बाद फिर दुबारा इन्सपेक्टर बना दिया गया। सरकार कहती है कि पब्लिक सर्विस कमीशन की बात हम मानते हैं, नियुक्तियों में पक्षपात नहीं करते। मैं इस संबन्ध में सरकारी अधिकारियों से और सरकार के प्रतिनिधियों से पूछना चाहता हूं कि वे मुझे कोई राजपत्र निकाल कर दें जिस राजपत्रके अन्दर इन्सपेक्टर्स की नियुक्ति के लिए लोगों से आवेदन पत्र मांगे गये थे और क्या क्वालिफिकेशन्स इन्सपेक्टर्स की होनी चाहिये, यह किस राजपत्र में शाया हुआ है। क्या इस संबन्ध में कोई रूल्स शाया हुए हैं कि इन्सपेक्टर्स की क्या क्या क्वालिफिकेशन्स चाहिये? क्या योग्यता चाहिये, इस सम्बन्ध में कोई रूल्स प्रेस्क्राइब्ड नहीं, कोई चीज प्रेस्क्राइब्ड नहीं। यह कहा जाता है कि नियुक्तियां ईमानदारी से होती हैं राजनैतिक दृष्टिकोण से नहीं होता। मैं माननीय मंत्री महोदय को बताऊंगा और शायद यह उनकी जानकारी में भी है कि वे खुद इस अनियमितता को महसूस करते हैं। इतना होते हुए भी माननीय मंत्री महोदय इस कमी को दूर करना नहीं चाहते, इसमें उनकी भी मजबूरियां हैं, उनको पॉवर्स नहीं हैं। मैं चाहता हूँ कि मुख्य मंत्री जी इस बात का जवाब दें कि क्या इन चार इन्सपेक्टर्स की नियुक्ति में निष्पक्षता का वातावरण काम में लाया गया। मैं समझता हूँ पब्लिक सर्विस कमीशन की तोहीन करने के बाद ऐसी कौनसी चीज रह गई है जिसकी तोहीन न हुई हो। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इन इन्स्पेक्टर्स की नियुक्ति के बारे में माननीय मुख्य मंत्री भी किसी तरह से हाउस को कोन्फीडेन्स में नहीं ले सकते।

उपाध्यक्ष महोदय, एक तो ऐसे इन्स्पेक्टर्स हैं जो लंगड़े हैं, जिनको हिन्दी पढ़ना नहीं आता, काम अच्छी तरह नहीं कर सकते। एक लंगड़े को इन्स्पेक्टर बना दिया गया और यह कह कर बनाया गया कि मैंने इसकी नियुक्ति कर दी। मैं इस संबन्ध में एक रेफरेंस सुनाऊंगा कि किस प्रकार का इन्टरेस्ट इस इन्स्पेक्टर की नियुक्ति के संबन्ध में रहा है। जिस समय इन्सपेक्टरों के फिक्सेशन का प्रश्न आया, अपोइन्टमेन्ट का प्रश्न आया

(श्री भैरोंसिंह)

तो सरकार के उच्चाधिकारियों ने सोचा कि जिनकी नियुक्ति प्रोविज़नल बेसिस पर हुई है, उनको स्थायी न किया जावे और स्थायी न करने के कारण कुछ ऐसे व्यक्ति निकाले जाने वाले थे जिनसे मुख्य पचायत अधिकारी का सीधा सम्बन्ध था। उस सम्बन्ध के कारण जब उन चीफ पंचायत अधिकारी को यह पता लगा कि उनको निकाला जावेगा तो वे चीफ पंचायत अधिकारी एक लैटर लिखते हैं और उसमें जिक्र करते हैं:

"Sir, these candidates whom I have appointed, though done against rules, will suffer from unemployment. What their family will eat? It is my earnest request. for God's sake do not punish them for my own fault."

श्री उपाध्यक्ष : What is this document? Is it a copy?

श्री भैरोंसिंह : मैं कॉपी पेश कर दूंगा आपको। यह बिल्कुल ऑथेंटिक है।

श्री उपाध्यक्ष : Is it a genuine copy?

श्री भैरोंसिंह : क्या?

श्री उपाध्यक्ष : सर्टीफाइड कॉपी है क्या?

श्री भैरोंसिंह : सर्टीफाइड कॉपी में तो एक रुपये का टिकट लगता है, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : Resume the debate.

श्री भैरोंसिंह : यह गलत नहीं है, इतना मैं कह सकता हूँ। मेरी कॉपी देख लीजिये और रेकॉर्ड से मिला लीजिये, उसमें कोई गलती नहीं निकलेगी। तो यह स्पष्ट है कि इसमें एक इस प्रकार का रहस्य है। मैं राजनैतिक रहस्य नहीं बताता। मैं भी रहस्य नहीं बताता कि सरकार ने जान-बूझकर कोई कार्यवाही की, मैं यह भी नहीं कहता कि मिनिस्टर महोदय की तरफ से कोई इनिशियेटिव इसमें लिया गया है। इसमें इनकी तरफ से कोई काम रहस्यमय नहीं हुआ। यह तो सारा मामला पंचायत ऑफीसर की ओर से लाया गया है। मैं इतना ही इस बारे में कहूँगा कि पी. एस. सी. के द्वारा उनको रिजेक्ट कर दिया गया। जब पी. एस. सी. से सीधा आदेश आगया कि ये इन्सपेक्टर्स पद पर काम नहीं कर सकते तो इसके आठ महीने बाद तक उनको तनखा दी गई! पहले एक को, फिर धीरे धीरे सबको, नीचे की पोस्ट पर रिवर्ट करके वापिस इन्सपेक्टर की पोस्ट पर नियुक्त किया गया। मैं समझता हूं कि हमें पी. एस. सी की राय माननी चाहिये थी। अगर नहीं मानते हैं और उसे अनुपयुक्त समझ लेते हैं, वहां बाकी जितने दूसरे काम करने वाले हैं, दूसरे क्लर्क हैं, प्रमोशन के हकदार हैं, उसकी उम्मीद में बैठे हैं, जिनका जायज़ हक है प्रोमोशन का, इस तरह के काम करने से उनके हृदय में भी जलन पैदा होती है। आप उनके अन्दर भी जलन पैदा करते हैं और पी. एस. सी. को भी एक तरह अनुपयुक्त करार देते हैं। वह आदमी जिसका हक मार कर इस तरह से दूसरों को दिया जाता है तो वह सोचता है कि मेरा हक मार कर मुझे किसी प्रकार तरक्की मिलेगी या नहीं, इन अधिकारियों के हाथों मेरी ग्रीवान्सेज़ को रिड्रेस मिलेगी या नहीं? वह यह सोचता है और कहता भी है। पर उसकी बिल्कुल सुनवाई नहीं होती। वह इस तरह से हताश

(श्री भैरोंसिंह)

होकर बैठ जाता है दूसरी और मैं कहता हूं कि यह केवल एक व्यक्ति का प्रश्न नहीं है। पर इसके पीछे जो यह मनोवृत्ति है वह निन्दनीय है। इसमें फिर व्यक्ति का प्रश्न नहीं रहता पर इसके पीछे जो एक ताकत है और जिसके कारण वह इन्स्पेक्टर ऐसा समझता है कि यदि हमने गलती भी की, काम नहीं भी किया और किसी की गलत-शलत भी रिपोर्ट कर दी, पंचायतों के फोर्मेशन के बारे में गलत भी सुझाव पेश कर दिया तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, हमारी सर्विसेज़ की इन्स्योरेन्स हुई है। सबसे बड़ी नुकसान पहुंचाने वाली जो हस्ती थी पी. एस. सी. उसने भी सब कर लिया पर हम तो फिर भी अपने पद पर बरकरार हैं। मैं समझता हूं कि इन बातों का असर जनता पर दूसरे ही प्रकार का पड़ता है। इन पंचायतों के फोर्मेशन में कई प्रकार की धांधलियां होती हैं और इस प्रकार से इस प्रकार की नियुक्तियों से उन धांधलियों को और बढ़ावा और प्रोत्साहन मिलता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण पेश करना चाहूँगा।

आज से कुछ दिन पहले सीकर जिले के एक राणोली ग्राम में मेला भरने का आयोजन किया गया। राणोली की जनता ने दरख्वास्त दी कि मेला भरने की आवश्यकता नहीं, अगर भराना ही हो तो पंचायत से प्रस्ताव पास कराओ और फिर आवश्यक समझा जावे तो मेला भराया जावे। माननीय मन्त्रीजी को याद होगा कि इस प्रकार की एक दरख्वास्त उनके पास भी पेश की गई थी। उन्होंने उस पर हुक्म भी लिख दिया। मैं समझता हूँ कि हुक्म लिखने में उतनी जल्दी नहीं की होगी जितनी उस हुक्म की उदूली की जल्दी की गई। आज तक, मैं कहता हूँ कि पंचायत ने प्रस्ताव नहीं किया, पर इन्सपेक्टर ने रिपोर्ट दी कि मेला भर रहा है। मंजूरी नहीं ली गई, पंचायत के कानून की अवहेलना की गई। सीकर जिले के इन्सपेक्टर द्वारा मेला भराया गया। बिना मंजूरी के मेले में ठेके दिए गये। पंचायत के नाम पर वे ठेके पास किये गये और इसमें इन्सपेक्टर का हाथ रहा और हजारों रुपयों का गोलमाल किया गया। मैं यह कहना चाहूँगा कि इन्सपेक्टर के अपोइन्टमेंट से पंचायत के कामों में दखलन्दाज़ी होती है, उसके वाजिब कामों में इस तरह के अपोइन्टमेंट से भारी असर पड़ता है और इसको दूर करने के लिये मैं यह कहूंगा कि इन्सपेक्टर के भी दिमाग में यह रहे कि हमारे पीछे भी कोई ताकत है, हमें भी कोई उलाहना देनेवाली शक्ति है, हमारी भी देखभाल करने वाला, हमसे भी जवाब मांगने वाला कोई है, पर उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं कि ऐसी शक्ति यहां कोई नहीं है। मुझे इसका अनुभव रहा है। मैं मन्त्री महोदय के पास गया-आया हूँ दो तीन पंचायतों के बारे में। मैं समझता हूँ कि ६ महीने तक लगातार कागजात उनसे निकलवा कर ले गया हूँ, सीकर-जयपुर आया हूं, बार बार हुक्म कराये हैं पर इन सबके बाद आज अब मेरा यह अटूट विश्वास हो गया कि उनके सामने दरख्वास्त पेश करना बेकार है, उनके सामने दरख्वास्त पेश करने से, दरख्वास्त का कागज खर्च करने जितना भी लाभ नहीं होता और किसलिये नहीं होता ? न मालूम क्यों? पंचायत विभाग के मन्त्री तो आज मुख्य पंचायत अधिकारी हैं, मन्त्री महोदय की स्थिति तो आज केवल एक डिविजनल अधिकारी की-सी है। वे केवल अलवर का काम करा सकते हैं पर राजस्थान का काम

(श्री भैरोंसिंह)

नहीं करा सकते ।

(करतल-ध्वनि)

मजबूर हैं वे इसके लिए । आज चल रहे हैं इस प्रकार के काम । मैं यह साफ कहना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि इस प्रकार की पंचायत में चल रही ये गड़बड़ियां खत्म नहीं हुई, इन पर कोई चैक नहीं किया गया, तो जिस प्रजातन्त्र की ये पंचायतें मूल आधार हैं, उस मूल आधार में लगे इस घुन के कारण वह प्रजातन्त्र ही मूलतः खत्म हो जावेगा । हम भारतवर्ष के अन्दर एक सही प्रकार की प्रजातन्त्रीय व्यवस्था कायम करना चाहते हैं और इसके लिये पंचायतों को उनका उचित स्थान देना चाहते हैं, जिनके जरिये जनता दुख न पाये, वह सही न्याय प्राप्त कर सके और शासन का खर्चा भी कम हो, इसके द्वारा जनता को ज्यादा से ज्यादा राहत मिले, पर आज राजस्थान सरकार इसकी विपरीत दिशा में काम कर रही है । आज सभी व्यक्ति जानते हैं कि आज इस राजस्थान सरकार का यह पंचायत विभाग किस प्रकार का है ? मैं इस सम्बन्ध में केवल इतना ही कहकर मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इस सिलसिले में जो बातें उन्हें गलत लगी हों, वे उनके बारे में मुझसे अभी पूछ लें, अगर कोई कॉन्ट्राडिक्टरी हो तो फरमा दें, मैं अभी सफाई कर दूंगा ताकि जवाब देते समय वे ठीक जवाब दे सकें । अगर वे कोई और बात बतावेंगे तो अपने जवाब के वक्त में भी कहना चाहूंगा, अगर इन्सपेक्टरों के नाम बताने के लिये कहेंगे तो वे भी बता दूंगा, वैसे स्वयं को उनको मालूम हैं, इस समय बताना अच्छा नहीं होगा ।

दूसरा....

श्री उपाध्यक्ष : दूसरा नं० ३, सीरियल नम्बर ६७ ।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा मेरा कट मोशन यह है :

"That the Demand No. XXXI-Miscellaneous be reduced by Rs. 100/-(to discuss the discrimination in giving Government advertisments)".

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में इस विभाग के भी इस प्रकार के काम हैं कि जिनको लेकर हर समय चर्चा होती रहती है । मैं समझता हूं कि प्रजातन्त्र के अन्दर और खास तौर से ऐसे समय में जिस समय कि प्रथम पंचवर्षीय योजना समाप्ति पर है और दूसरी चालू है उस समय इस बात की विशेष रूप से आवश्यकता रहती है कि हम अपने इस पब्लिसिटी डिपार्टमेंट को ठीक प्रकार से ऑर्गेनाइज़ करें, लेकिन अनुभव कुछ ऐसा हुआ है कि हमारा पब्लिसिटी विभाग भी पब्लिसिटी पोइन्ट ऑफ व्यू से क्या काम करता है, यह किसी के समझ में नहीं आता । बल्कि उनका काम एक तो नजर आता है कि अपने जितने भी काम करने वाले हैं उनको किस प्रकार से फीड किया जा सकता है । जिस प्रकार से फीड किया जा सके करें, यह काम है ।

आज कल इसमें एक नया धन्धा शुरू हो गया है । नये धन्धे में कई प्रकार के और धन्धे हैं । उनका उल्लेख नहीं करूंगा, पर पब्लिसिटी विभाग के नीचे एक नया धन्धा शुरू हुआ है । कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी खोलते हैं दूसरे काम के लिए, दूसरों के नाम पर । पर यहां पर पब्लिसिटी विभाग से यदि

Page No.68

(श्री भैरोंसिंह)

किसी को कुछ लाना है, लाभ प्राप्त करना है, तो एक तरीका है। एक छोटा सा अखबार निकाल दो और उसमें सबसे पहले डाइरेक्टर ऑफ पब्लिसिटी विभाग का फोटो दो और इसके बाद एक अंक में उनके फोटो दो जो उनके साथी हों और दूसरे में सरकार के किसी उच्च अधिकारी का फोटो छाप दो। दो से काम न चले तो माननीय मुख्य मन्त्री का फोटो, इसके बाद भी काम नहीं चले तो जितने भी मन्त्री लोग हैं, जिनसे काम कुछ कराना हो, उनके फोटो। अब अगर उसमें पांचों के फोटो मिल गये तो निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि और कोई पत्र के गुण उसमें हों या न हों, लेखनी में रस हो या नहीं, ताकत हो या नहीं, इन सारी चीजों को दर गुजर करके सरकारी एडवर्टाइज़मेंट उसे मिलने शुरू हो जावेंगे, टेण्डरों के, एजुकेशन विभाग के तथा और भी जितने सरकारी विज्ञापन हैं वे समय समय पर उनको मिलते रहेंगे।

इस सदन में कई बार इस बात की चर्चा हुई है कि सरकार को इस बारे में कोई एक नीति निर्धारित करनी चाहिये। पर सरकार कहती है कि हमने एक एप्रूव्ड लिस्ट बना रक्खी है, जिसमें सरकार ने राजस्थान के जितने भी समाचार पत्र हैं उनमें से अपनी दृष्टि से देख कर, छांट कर एप्रूव्ड लिस्ट में शामिल कर रक्खा है।

मैं समझता हूं कि यह एक प्रजातन्त्री युग है। सरकार के हाथों में एप्रूव्ड लिस्ट में किस किस का नाम शामिल किया जावे, यदि इस प्रकार का अधिकार रहता है तो निश्चित रूप से मैं कहता हूं कि इसका दुरुपयोग होगा और आज होता भी है। मसलन आज कई पत्र कांग्रेस का प्रचार करते हैं। कांग्रेस के नेताओं के, व्यक्तियों के वे फोटो छापते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं और यदि वह पत्र कांग्रेस के स्थान पर विरोधी जितनी भी संस्थाएं हैं उनकी प्रशंसा छापना शुरू कर दें, उनकी साफ और सही बात भी अपने पत्र में प्रकाशित करना शुरू कर दें, सारी बातों में विधान सभा की बातें भी हो सकती हैं जहां विरोधी लोगों द्वारा सरकार की आलोचना भी होती है, उसको भी अगर अपने पत्र में प्रकाशन कर दें, तो हमारी सरकार को उससे गिला होगी, नाराजी होगी और नाराज होकर कह सकती है कि यह पत्र एप्रूव्ड लिस्ट में नहीं है।

हमारा पहले का अनुभव है कि हमारे राष्ट्रदूत पत्र को इस प्रकार एप्रूव्ड लिस्ट से निकाल दिया। मैं नहीं समझता कि आज से १२ महीने पहिले के राष्ट्रदूत में और आज के राष्ट्रदूत में क्या फर्क हो गया है ? वे ही बातें जो पहले राष्ट्रदूत में आती थीं वे आज भी आती हैं। लेकिन उसको एप्रूव्ड लिस्ट में से निकालने का क्या कारण था ? कारण यह था उपाध्यक्ष महोदय, कि एक विपक्षी दल था, कांग्रेस में ही एक विपक्षी दल था वह उसके लिए समाचार छापता था, उस कारण से उस पर सत्तारूढ़ दल की नाराजगी होती थी और उसके कारण राष्ट्रदूत को एप्रूव्ड लिस्ट से निकाला गया। आज इजाजत दे दी है। सरकार को कौन से समाचार पत्र को एप्रूव्ड लिस्ट में लेना है, उसके लिए जो डाइरेक्टर पब्लिसिटी है उसको कोई ऑथोरिटी नहीं, मन्त्री को भी कोई ऑथोरिटी नहीं, बल्कि उनको ऑथोरिटी हो सकती है जो कि समाचारों की सत्यता को देख सकते हैं और समाचारों की सत्यता को प्रमाणित रूप से

(श्री भैरोंसिंह)

देने के लिये एक बोर्ड बनाया जाय, उसको यह अधिकार दिया जाय कि वह यह देखे कि राजस्थान से निकलने वाले कौन कौन से समाचार पत्र हैं, भारतवर्ष से निकलने वाले कौन कौन से समाचार पत्र हैं, उनका क्या स्टेन्डर्ड है और किस स्टेन्डर्ड के समाचार-पत्र को राजस्थान सरकार के एडवर्टाइज़मेंट लिस्ट में स्थान दिया जा सकता है, कौन कौन से समाचार पत्र उस लिस्ट में शामिल किये जा सकते हैं। और कौन २ से पत्र शामिल नहीं किये जा सकते यह सारी व्यवस्था सरकार के हाथ में न रह कर इन्डिपेन्डेन्ट बोडी के हाथ में हो। जो अच्छे अच्छे पत्रकार हैं, अच्छे पत्रों के एडीटर हैं, पुराने एडीटर हैं, सरकार के अधिकारी, डाइरेक्टर पब्लिसिटी, सरकारी मंत्री उस बोर्ड के चेयरमेन होना चाहें तो चेयरमेन हो सकते हैं, लेकिन यह बोर्ड इस तरह फन्क्शन करे कि जैसे एक इन्डिपेन्डेट बोडी हो। मेम्बरशिप के नाते डाइरेक्टर पब्लिसिटी या मंत्री इसमें शामिल हों तो हो सकते, हैं क्यों कि जहां तक फाइनन्सेज़ का मामला है, गवर्नमेंट की पोलिसीज़ का सम्बन्ध है वे उनके द्वारा मालूम होंगे। इस प्रकार एक इन्डिपेन्डन्ट बोर्ड बनाया जाय और जिस प्रकार से मिनिस्टरों के हाथ में बोर्ड होते हैं, उनमें उनका दखल होता है, दिखावे से डाइरेक्टर शामिल होते हैं तो उस पर बड़ी आपत्ति है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा उपाध्यक्ष महोदय, कि एडवर्टाइज़मेंट के लिए जो एप्रूव्ड लिस्ट बनाने का तरीका है वह गलत तरीका है और उसके लिए एक इन्डिपेन्डेन्ट बोर्ड बनाया जाय।

३.०२ म० प०

उपाध्यक्ष महोदय, अभी अभी देखने में आया है कि हमारा पब्लिसिटी विभाग किस तरह काम करता है। आज राजस्थान में इस बात की आवश्यकता है कि जो पंचवर्षीय योजनायें चल रही हैं, उसकी ठीक ढंग से पब्लिसिटी करे, पचवर्षीय योजना में क्या क्या चीजें होने वाली हैं उनकी इस प्रकार से पब्लिसिटी करे कि प्रत्येक ग्रामीण समझ जाय कि वास्तव में राजस्थान में फलां जगह यह होने वाला है। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जिले के अन्दर काफी बेपढ़े–लिखे लोग होते हैं, जो पढ़े-लिखे लोग होते हैं उनमें सबसे इन्टेलीजेन्ट वकील होते हैं, उनको ही यह पूछ लिया जाय कि द्वितीय पंचवर्षीय में कौन कौन सी सड़कें बनने वाली हैं, कौन २ से हाई-स्कूल की बिल्डिंग्स बनने वाली हैं तो वे वकील भी कहने में यह समर्थ नहीं हो सकते कि ये ये पंचवर्षीय योजना में काम होने वाले हैं। इसका कारण यह है कि यह राजस्थान का पब्लिसिटी डिपार्टमेंट ठीक नहीं है, ठीक तरह से काम नहीं करता है। मैं समझता हूं कि जब राजस्थान के पब्लिसिटी डिपार्टमेंट को टेलीफोन करते हैं, पूछते हैं कि पंचवर्षीय योजना में कहां कहां काम होने वाले हैं तो उनसे यह जवाब मिलता है कि डेवलपमेंट विभाग से इस सम्बन्ध में पूछिये। मैंने यह भी देखा है कि कुछ लोग दिल्ली चले जाते हैं, उनके सामने पंचवर्षीय योजना रहती है, यही समाज की सेवा है, यही देश की सेवा है, यही राष्ट्र की सेवा है कि हमारी सरकार के रिप्रेज़ेन्टेटिव्ज़ जो वहां पंचवर्षीय योजना की बातें कहते हैं वे अंग्रेजी के अखबारों में उसी तरह से छप जाती हैं लेकिन हमको यह देखना होगा कि राजस्थान में अंग्रेजी के अखबारों को पढ़ने वाले कम हैं किन्तु हिन्दी के अखबारों को पढ़ने वाले अधिक हैं। मैं जब राजस्थान के पत्रों को पढ़ता हूं, सरकार की

(श्री भैरोंसिंह)

ओर से समय समय पर जो समाचार निकाले जाते हैं, उनको पढता हूं, तो मुझे उन सारी बातों का उन पत्रों में पूरी तरह विवरण के साथ न होने में बड़ा आश्चर्य होता है, राजस्थान सरकार और उसके पब्लिसिटी डिपार्टमेन्ट को कम से कम यह तो सोचना चाहिए था कि राजस्थान में कम से कम पढ़े-लिखे हैं और खास कर जो अंग्रेजी लिखे-पढ़े लोग लोग हैं वे तो अंग्रेजी समाचार पत्रके अलावा अधिकतर हिन्दी के समाचार भी पढ़ते हैं, ऐसे लोग भी हैं जो केवल हिन्दी के समाचार पत्र ही पढ़ सकते हैं, उनकी जानकारी के लिये भी पब्लिसिटी डिपार्टमेंट की ओर से अगर समाचार पत्रों को पूरी जानकारी दी जाय तो अधिकतर जनता को, राजस्थान में क्या होने जा रहा है, वह समझाया जा सकता है। सरकार को चाहिए कि पब्लिसिटी किस प्रकार की जानी चाहिए, राष्ट्र में एक चेतना लाने के लिये, राजस्थान की जनता में योजनाओं की पूरी तरह रूप रेखा लाने के लिए और इनके राष्ट्र प्रेम को उभाड़ने के लिये अगर पब्लिसिटी की जाय तो वह अच्छी है। लेकिन आज-कल की पब्लिसिटी का तरीका एकदम भिन्न है। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रजातन्त्र को मजबूत करने की हम बात कहते हैं, जितनी पब्लिसिटी जनता की भावना को उन्नत बनाने के लिए, उनकी भावना को देश के कार्यों के लिए उभाड़ने के लिए होनी चाहिए, वह जनता तक नहीं पहुंच सकती है, उनका रेजिमेन्टेशन न हो, एक दल के हाथ में यह विभाग रहा, सरकारी विचारधारा में रहा, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि एक प्रकार का रेजिमेन्टेशन होगा जिसका आज तक विरोध करते आये हैं और यदि वह दूसरे रूप में भी आता है तो आगे भी विरोध करना पड़ेगा और इस प्रथा को समाप्त करना पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, इस विभाग में नियुक्तियां भी कई होती हैं। नियुक्तियों के लिये सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, क्वालिफिकेशन्स की जरूरत नहीं; उदाहरण के लिये मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस व्यक्ति की अभी हाल ही में पब्लिसिटी के लिये नियुक्त की गई है उनका नाम है श्री मक्खनलाल सहल। उनकी डिप्टी डाइरेक्टर के स्थान पर नियुक्ति की गई है, अब कोई पूछे कि राजस्थान सरकार ने कोई क्वालिफिकेशन्स प्रेस्क्राइब की थीं, क्या इसके लिये कोई एडवर्टाइज़मेन्ट हुआ था या बाकी के लोगों से एप्लीकेशन्स ली गई थीं अथवा सरकारी अधिकारियों में से लेना था तो इसकी कोई जानकारी की गई थी या नहीं कि अमुक अमुक आदमी ठीक है और अमुक अमुक आदमी ठीक नहीं है?

श्री उपाध्यक्ष : Hon'ble member may I call your attention to be cut motion to discuss the discrimination in giving Government advertisements?"

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यदि आप नहीं पढ़ते तब भी मुझे अच्छी तरह याद है।

श्री उपाध्यक्ष : Thank you.

श्री भैरोंसिंह : एडवर्टाईज़मेन्ट देने में पक्षपात क्यों होता है? अपने लोग नियुक्त कर देते हैं और उनके द्वारा पक्षपात होता है।

श्री उपाध्यक्ष : This is twisting the issues.

श्री भैरोंसिंह : तो मैं यह अर्ज कर रहा था माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि इस सम्बन्ध में चाहे नियुक्ति हो, चाहे एडवर्टाइज़मेन्ट देने का मसला हो, बहुत ही सतर्कता से काम लेना पड़ेगा। इस विभाग में एडव-

(श्री भैरोंसिंह)

टाइज़मेन्ट की बात है पब्लिसिटी वाहन से सम्बन्धित है। वह राजस्थान सरकार ने खरीदी है, कन्स्ट्रक्शन के लिए ठेका दिया, एग्रीमेन्ट के अनुसार जिस प्रकार से उसका काम होना चाहिए नहीं हुआ। मैं इसकी तफसील में नहीं जाना चाहता क्योंकि इस सम्बन्ध में मेरे द्वारा एक प्रश्न पूछा हुआ है, यदि मैं यहां पर इस सम्बन्ध में जो कुछ कहूंगा तो मैं समझता हूँ कि माननीय मन्त्री जी जब इसका जवाब देंगे और जो जवाब इस बात को कहने के पूर्व देने वाले हैं उससे वह जवाब देंगे, इस बात को कहने के पश्चात् वह भिन्न होगा, मैं समझता हूँ कि यह प्रश्न कल ही आने वाला है और इसलिए मैं इस समय इस प्रश्न को लेना ज्यादा पसन्द नहीं करूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक चीज़ अन्त में एक मिनिट के लिये और कहना चाहता हूं। हमने सुना है कि जिस समय एडवर्टाइज़मेन्ट दिया जाता है तो यह खयाल नहीं रखा जाता है कि इसका क्या लाभ होगा, जिस अखबार को एडवर्टाइज़मेन्ट दिया जाता है, उस अखबार का कितना सर्कुलेशन है, वह प्रान्त में कहां कहां जाता है, जनता के पास कितना जाता है, इस दृष्टिकोण को सामने नहीं रख कर एडवर्टाइज़मेंट दिया जाता है। इसके लिये हमें एक सिद्धान्त स्वीकार करना पड़ेगा। एडवर्टाइज़मेंट देने के लिये सिद्धान्त स्वीकार करना पड़ेगा कि राजस्थान में किस अखबार का सबसे ज्यादा सर्कुलेशन है, उसको पब्लिसिटी मिलती है या नहीं, उसके लिये एक पर्सेन्टेज मुकर्रर करनी पड़ेगी, यह देखना होगा कि उस पर्सेन्टेज़ से पब्लिसिटी मिलती है या नहीं? एक जिले में अखबार निकलता है, उसको पब्लिसिटी किस पर्सेन्टेज़ में दी गई, अलवर, सीकर से जो पत्र निकलते हैं उसमें भी वह छप जायगा, जिले में भी छोटे छोटे अखबार निकलते हैं उनका भी खयाल रखना पड़ेगा, लेकिन एक बात एक सिद्धान्त तय कर लेना पड़ेगा, कि एडवर्टाइज़मेंट की दृष्टि से एक ऑर्डर निश्चित किया है कि एडवर्टाइज़मेंट इस बेसिस पर मिलेगा। न तो आपने कोई ऑर्डर निश्चित कर रखा है और न कोई और बात है। मर्जी आती है उसी तरह से एडवर्टाइज़मेन्ट दिये जाते हैं। पंचायतों के सारे कार्य को जनता के सामने रखने की जो कोशिश करते हैं वह उद्देश्य पूरा नहीं होगा, इसलिये कटौती प्रस्ताव रखा था कि एडवर्टाइज़मेंट के बारे में जो पक्ष-पात किया जाता है वह नहीं किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मुक्तिलाल मोदी।

श्री मुक्तिलाल मोदी (बैराठ) : माननीय उपाध्यक्ष, "माग संख्या ३१, मुख्य शीर्षक ५७-मिसलेनियस में १०० रु० की कटौती की जाय (पंचायत विभाग द्वारा पंचायतों के प्रशासन में धांधली पर बहस करने हेतु)।" यह मेरा कटौती प्रस्ताव है।

माननीय उपाध्यक्ष, राजस्थान सरकार कई वर्षों से कहती चली आ रही है कि यदि राजस्थान में पंचायत राज्य कायम हुआ तो राजस्थान की जनता को बहुत कुछ आराम मिलेगा, लेकिन राजस्थान के अन्दर पंचायतें कायम होने के बाद आज राजस्थान की जनता इतनी दुखी और इतनी परेशानी में से गुजर रही है जितनी कि पंचायत नहीं बनने से पहले भी नहीं गुजर रही थी। आज पंचायतें जिस तरह से और जिस ढंग से बनाई गई हैं उस

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

ढंग से इसमें पूरी धांधलियां चल रही हैं। पंचायतें पूरी जानकारी से नही बनाई गई हैं, जिस जानकारी के साथ कि वे बनानी चाहिये थीं। रेवेन्यु डिपार्टमेंट और राजस्थान पंचायत विभाग दोनों मिलकर पंचायतों को कायम करते तो ज्यादा अच्छा होता। लेकिन जिस मिनिस्टर के दिमाग मे जैसा तरीका जंचा उसी तरीके पर पचायतें बनीं और जैसा चाहा वैसा किया। ऐसी हालत में कभी पंचायत राज....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य यदि सीधे "धांधली" पर आ जावें तो अच्छा होगा, भूमिका ज्यादा होती जा रही है।

श्री मुक्तिलाल मोदी : "धांधली" से क्या लड़ाई करूं? मैं तो बता रहा हूँ पंचायतों में धांधली हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष : पंचायतों की 'धांधली' से ही मेरा मतलब है।

श्री मुक्तिलाल मोदी : माननीय उपाध्यक्षजी, पंचायतों के अन्दर जो धांधली हुई है उसी के बारे में मैं बता रहा हूं। आज किसी तहसील में १० हजार की पोपुलेशन के ऊपर पंचायत बनाई जा रही हैं। पंचायत एक्ट में यह लिखा हुआ है कि कम से कम २००० से ऊपर आबादी के गांवों को मिला कर पंचायत कायम की जायेगी और ५ हजार की आबादी वाले गांवों में म्युनिसिपेलिटी कायम की जायगी। मैं आपके सामने बैराठ तहसील का उदाहरण दूं। वहां पर ८ या ६ हजार की पोपुलेशन पर एक पंचायत बनाई गई है और पंचायत हेड क्वार्टर से कोई गांव ६ माइल पर है तो कोई गांव ७ माइल पर है। ऐसी हालत में हर पंचायत में इसी तरह की धांधली का तरीका आप देख पायेंगे। इसके बाद पंचायत अधिकारियों ने काफी लिखा-पढ़ी करने के बाद इस क्षेत्र में जिस तरह से पंचायत बनाने में धांधली की है वह अब तक भी ठीक नहीं हुई है और पंचायतों के चुनाव आज जिस तरह से किये जाते हैं, वह पंचायत के चुनाव का तरीका भी धांधली से भरा हुआ है राजस्थान के अन्दर असेम्बली और पार्लियामेंट के चुनाव भी हुए हैं लेकिन पंचायत के चुनाव के अन्दर जो धांधली बरती जाती है...

श्री उपाध्यक्ष : अभी असलियत नहीं निकल रही है, धांधली के चारों तरफ ही घूम रहे हैं। यदि इस शब्द से निकल पायेंगे तो असलियत पर आ पायेंगे, माननीय सदस्य शुरू रखें।

श्री मुक्तिलाल मोदी : जैसा मुझको कहना आता है वैसा ही तो कहूंगा। माननीय उपाध्यक्ष जी, जिस तरह से पंचायत बनाने में धांधली की उसी तरह से पंचायत जो चला रहे हैं वे भी धांधली करते हैं और जिस तरह से पंचायतों के चुनाव होते हैं उसमें भी पूरी तरह से धांधली बरती जाती है।

श्री उपाध्यक्ष : मेरा निवेदन है कि 'धांधली' शब्द का प्रयोग न करें तो पूरे विषय पर आ जायेंगे।

श्री मुक्तिलाल मोदी : अब इस शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा। माननीय उपाध्यक्ष, आज पंचायतों का तरीका यदि सरकार बदल दे तो जिस तरह से रेवेन्यु डिपार्टमेन्ट और पंचायत विभाग दोनों मिलकर पंचायतें कायम कर दें और पंचायतों के चुनाव का

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

जो तरीका है उसे भी बदल दें तो पंचायत राज्य की जो सरकार की तरफ से दुहाई दी जाती है उससे जनता को आराम मिलेगा। लेकिन आज हर तहसील में पंचायत विभाग की तरफ से कोई इन्तजाम नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, वहां के अकाउन्ट को कोई पूरी तरह से देखने वाला नहीं है। पंचायतों के अन्दर किस तरह से मेम्बर लोग क्या क्या गड़बड़ियें करते हैं उसको कोई देखने वाला नहीं है । मैं पंचायत के मामले में आपको उदाहरण दूं । कांवट में सरकार की जमीन थी वह पी० डब्ल्यू० डी० के एरिया में सड़क के पास पड़ती है लेकिन सरकार को बिना पूछे पंचायत ने ऑर्डर दे दिया कि इस जमीन पर मकान बना लो । तो पंचायत का काम यह नहीं है कि चाहे जिस तरह से न्याय करे या अन्याय करे और सरकार के ऑफिसर्स उसके साथ मदद करें । तो माननीय उपाध्यक्षजी, मेरा तो यह निवेदन है कि पंचायतों का तरीका बदलना चाहिये और पंचायत एक्ट में जो काफी अधिकार पंचायत अधिकारियों को दे दिये हैं उनको भी बदलना चाहिये और पंचायत बनने के बाद पंचायत के मेम्बर और सरपंच जनता के साथ जिस तरह का व्यवहार करते हैं उस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिये ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : Mr, Dy. Speaker, Sir, I beg to move, "That the Demand No. XXXI, Major head 57-Misc. be reduced by Rs. 100/- (To discuss the failure of the Panchayat Department in the formation of Panchayats in a proper way)."

माननीय उपाध्यक्ष, यह अपना जो पंचायत विभाग है हम अपने देश के अन्दर गांव गांव में एक एक ग्रामीण तक, इसके द्वारा जनतंत्रवाद को ले जा सकते हैं । लेकिन जिस रूप में पंचायतें बन रही हैं एवं जिस रूप में व्यवहार में आ रही हैं उससे ऐसा लगता है कि गांव गांव में फूट का बीज रोप दिया गया है । पंचायतों का जिस रूप में चुनाव होकर गठन होता है और जिस तरह से यह विभाग अनेक कार्यों में हस्तक्षेप करता है उससे इस बात का अनुभव हुआ है कि वास्तव में गांव गांव में भयंकर फूट उपस्थित कर दी गई है ।

पंचायत विभाग द्वारा पंचायतों के दैनिक कामों में हस्तक्षेप किस प्रकार से किया जाता है, इसका उदाहरण मैं, माननीय उपाध्यक्षजी, आपके समक्ष रखना चाहता हूँ । जयपुर जिले में एक सिरसी पंचायत है । इस पंचायत के इन्सपेक्टर ने ओन दी स्पोट वार्ड्स बनाये लेकिन वहां किसी भूतपूर्व मंत्री का गांव पड़ता था, इसलिए वार्ड्स बदले गये और फिर चुनाव कराये गये । इसी प्रकार बधार पंचायत के लिए एस. डी. एम. ने, कलेक्टर ने, तहसीलदार ने और यहां तक कि डिप्टी मिनिस्टर ने कहा कि इस पंचायत को दो विभागों में विभाजित कर दिया जाय लेकिन डिप्टी मिनिस्टर के ऑर्डर होने के बाद किसी प्रभावित व्यक्ति का क्षेत्र होने के नाते, भूतपूर्व मंत्रीमंडल के सदस्य के क्षेत्र होने के नाते, उस पंचायत को अलग अलग विभागों में विभाजित नहीं किया गया । इसी प्रकार बनाद्र पंचायत के सम्बन्ध में हमारे मंत्री जी से एक डेपुटेशन मिला और मन्त्रीजी ने डेपुटेशन को आदेश दे दिया कि पंचायत के चुनाव रोक दिये जायं । एक तरफ तो डेपुटेशन को आदेश दिया जाता है,

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

डेपुटेशन जयपुर में ही है, उधर बीच में दूसरा ऑर्डर कलेक्टर को भेज दिया जाता है कि चुनाव करा दिये जायं। यह एक प्रकार से डेपुटेशन को धोखा देना था, जनता के सामने एक गलत आदर्श उपस्थित करना था। इस प्रकार पंचायतों के चुनाव के अन्दर दैनिक हस्तक्षेप किये जाते हैं। इसका यह उदाहरण है कि एक पचायत को दो विभागों में विभाजित करने के प्रोपोज़ल्स आये। इसे दो भागों में विभाजित करने के आदेश दे दिये गये, कि १० दिन के अन्दर विभाजित कर दिये जायेंगे, लेकिन आज पांच महीने हो गये किन्तु आज तक पंचायत का विभाजन क्यों नहीं हुआ? मंत्री महोदय के ऑर्डर उनकी फाइल में पड़े हैं, उस पर कोई कार्यवाही हुई, यह पता नहीं चलता। पंचायतों के वार्ड्स बनाने में, और पंचायत का जो दैनिक रुटीन वर्क होता है, उसके अन्दर हस्तक्षेप होता है। वास्तव में हम जिस जनतंत्र को लाना चाहते हैं, वह आज नजर में नहीं आ रहा है। दूसरे पंचायतों के चुनाव जिस प्रकार कराये जाते हैं, हाथ खड़ा करके डाइरेक्ट चुनाव कराये जाते हैं, जो आमने-सामने बैठकर चुनाव के लिए मत देने की पद्धति है, उससे गांवों के अन्दर कटुता उत्पन्न हुई है। इसके साथ ही तहसील पंचायतों के चुनाव का तरीका भी गलत है, जो पंच बिल्कुल अशिक्षित हैं उनको लिस्ट दे दी जाती है। किसी तहसील पंचायत में आठ पंच चुने जाते हैं, कहीं १० चुने जाते हैं, कहीं कहीं ३५ आदमी खड़े हो जाते हैं। उन पंचों के हाथ में लिस्ट दे दी जाती है, कि वे क्रोस मार्क लगायें। जो व्यक्ति अंगूठा नहीं लगा सकता वह कैसे क्रोस मार्क लगा सकेगा? तो इस प्रकार चुनाव का ढंग जो है, चुनाव की जो पद्धति है, उससे, जैसा मैंने कहा था कि देश के गांवों में जनतन्त्र पहुँचाने का पंचायत एक सीधा मार्ग है, जैसे आप पंचायतों को चला रहे हैं, और इस सीधे मार्ग को प्राप्त करने के लिये जिस व्यवहार को काम में ला रहे हैं, वह गलत है। इससे गांवों में जनतन्त्र तो नहीं, गांवों में विषमता और कटुता फैल गई है। इसलिए मैं प्रस्ताव रखता हूं कि इस सम्बन्ध में जो गलत तरीका अपनाया जा रहा है, वह ठीक किया जाय और इस प्रस्ताव को स्वीकार किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : दूसरे कटौती प्रस्ताव पर भी बोल लीजिये। दोनों एलाइड (allied) हैं।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : एक सा ही है, इसलिए मूव करने से कोई लाभ नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : I treat you as if you have spoken on the second cut-motion as well.

(विराम)

श्री भैरोंसिंह।

३. २७ म० प०

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : I beg to move, "That the Demand No. XXXI, 57-Misce-llaneous be reduced by Rs. 100/-(To discuss the mismanagement in the running of Government Buses on Tonk, Sirohi and Abu routes)."

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आवश्यकता तो इस बात की थी कि इस विभाग पर सदन में पूरी तौर से चर्चा करने का मौका मिलता लेकिन इस प्रसंग में केवल उन तीन रूट्स के बारे में जिक्र करूंगा जिनका सम्बन्ध सीधा

(श्री भैरोंसिंह)

सरकार से है। उपाध्यक्ष महोदय, जब जब भी हमारी सरकार राष्ट्रीयकरण की चर्चा करती है, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी सरकार का यह सिद्धांत राष्ट्रीयकरण का जो बनता जा रहा है, उस सिद्धांत के कारण कई प्रकार से घाटा होने की बात हमारे सामने आती है, उससे राष्ट्रीयकरण की नीति किस हद तक मेल खायेगी? सरकार का राष्ट्रीयकरण का दृष्टिकोण, मैं समझता हूं, कई मसलों को लेकर अशुद्ध है और खास तौर से जो मोटर बसेज़ के बारे में राष्ट्रीयकरण का प्रश्न आता है, तो हमें इस बारे में गम्भीरता से सोचना पड़ेगा कि राष्ट्रीयकरण का प्रबन्ध हमारी सरकार कर सकती है या नहीं? हमारे यहां तीन जगह बसेज़ चलती हैं, जिनका सीधा सम्बन्ध सरकार से है, जो सरकार के पैसे पर चलती हैं, सरकार की खरीदी हुई हैं और सरकार ने मैनेजर नियुक्त किये गये हैं जो उनकी निगरानी करते हैं। लेकिन अभी अभी सुना है कि राजस्थान सरकार ने टोंक से देवली तक जाने वाली बसेज़ के लिए निर्णय ले लिया है कि सरकार की बसेज़ बन्द कर दी जायं और प्राइवेट आदमी को उन रूट्स पर बसेज़ चलाने का अधिकार दे दिया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, जो व्यक्ति राष्ट्रीयकरण के विरोध में हो, वह इस बात को पसन्द करेगा और कहेगा कि सरकार ने अच्छा कदम उठाया लेकिन उस कदम को क्यों उठाया गया, इस तथ्य को देखा जाय तो मजबूर होकर कहना पड़ेगा कि सरकार ने अपनी नीति में परिवर्तन किया है, उससे किसी प्रकार का परिणाम निकालना होगा, और वह परिणाम यह है कि सरकार इस काम को करने में असमर्थ है। जब अपने पैसे से सरकार बसेज़ का प्रबन्ध करे, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे पहले इस बात की जानकारी थी कि बसेज़ का इन्तजाम करने के लिए अलग मैनेजर रहते हैं, अलग स्टाफ रखा जाता है, सब अलग अलग इन्तजाम सरकार का था। अब आज भले ही सरकार आंकड़े प्रस्तुत करे, कि पिछले दिनों इस बस से इतना घाटा हुआ है? लेकिन मैं समझता हूं कि इस दृष्टिकोण से, कि बस सर्विस के कारण घाटा होता है, आज सरकार राष्ट्रीयकरण की नीति के विरुद्ध में काम कर सकती है, तो हमें विचार करना पड़ता है, तो इस प्रकार की नीति एनेमोली पाई जाती है, कि इससे क्यों घाटा हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा समझता हूं कि ठीक तरह से बस सर्विस के मामले में सरकार इन्डिपेन्डेंट इन्क्वायरी करवाये, जांच करवाये, किसी भले आदमी से जांच कराये तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि एक षडयन्त्र है, वह षडयन्त्र इस बात का रहा है कि जिस रूट पर सरकारी बस चलती है, उस बस को बन्द करवाना है और फिर किसी खास व्यक्ति को फायदा पहुँचना है। मैं समझता हूं कि यह षडयन्त्र कोई ५, १० दिन लागू हुआ, ऐसी बात नहीं; इसके लिए काफी समय से लगातार प्रयास किया गया, लगातार इस तरह के स्टेटमेंट दिये गये और घाटा दिखाया गया। घाटा दिखाने से ऐसा लगता है कि सरकार स्वयं चाहती है कि इस रूट के द्वारा कोई आमदनी न हो, और आमदनी न होने से, जितना भी स्टाफ है, वह स्टाफ फायदा उठाये, सरकारी खजाने में पैसा नहीं पहुंचे, यात्रियों से पैसा वसूल किया जाय, लेकिन बीच में ही पैसा हजम करें, क्योंकि सरकार की इच्छा है कि टोंक रूट पर की सरकारी बसें बन्द कर दी जायं। दूसरे आदमी की बसें चल रही हैं, उनके आंकड़े आप देखें। ऐसी बात नहीं कि उनमें यात्रियों की भीड़ हो, जिसके कारण यात्रियों से ज्यादा पैसा वसूल किया जाता है,

(श्री भैरोंसिंह)

प्रबन्ध उनका अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी वे घाटे की स्थिति में नहीं हैं, आज भी वे घाटे की स्थिति में नहीं हैं। टोंक रूट की बस बन्द की गई है, किसी और कारण से वह रूट बन्द कर दिया जाता। लेकिन आज जयपुर में चर्चा है, एक माननीय सदस्य ने चर्चा की थी, एक मित्र ने सदन में जानकारी दी थी; जिस व्यक्ति को यह रूट्स मिले हैं; वह खुल्लमखुल्ला कहता है कि मैंने ट्रान्सपोर्ट विभाग में अपने कानों से सुना है, वह व्यक्ति कह रहा था कि मैंने टोंक रूट लिया है; वह मुफ्त में नहीं आया है, पैसा खर्च करना पड़ा है। वह यहां तक कह रहा था कि उसने ४० हजार रुपया खर्च किया है, किसी व्यक्ति को नहीं दिया है, कांग्रेस चुनाव में ४० हजार रुपया खर्च किया है। तो जब इस प्रकार की बातें सार्वजनिक स्थानों पर बस ओपरेटर के मुंह से सुनने को मिलती हैं तो हम मान लें कि ४० हजार रुपये का गलत कहा होगा तो ३० हजार रुपये तो होंगे ही, तीस हजार भी नहीं तो २० हजार तो होंगे ही। पर जब टोंक रूट को बदलने की बात हमारे सामने आती है तो सोचना पड़ेगा कि इस रास्ते को सरकार के नियन्त्रण से निकालने के अन्दर कोई गहरा रहस्य है, पर इसकी जांच नहीं हुई।

वहां का महमूद नाम का एक व्यक्ति है। जिस समय टोंक की बस सर्विसेज़ चलती थीं, राष्ट्रीयकरण सरकार ने किया, उस समय महमूद की गाड़ियां चलती थीं, सरकार ने रूट पर कब्जा किया उस समय सरकार की ओर से महमूद को आश्वासन दिया गया था कि सरकार की बसेज़ बन्द होंगी तो तुम्हें पूरी बसें वापिस दी जायंगी। पर एग्रीमेंट के माफिक सरकार ने महमूद को नहीं दिया, दूसरे को दिया। महमूद ने रिप्रेज़ेन्टेशन किया, शोरगुल मचाया और दफ्तरों में जाकर ४० हजार रुपये की रिश्वत का पर्दा फाश करने की बातें कहीं तो उसको भी टुकड़े के बतौर एक गाड़ी का परमिट चुप करने के लिये दे दिया। पर एक आदमी को एक गाड़ी का परमिट देने से, एक आदमी को खुश करने से जनता की आवाज बन्द नहीं हो सकती। मैनेजिंग स्टाफ की इनएफिशिएन्सी के कारण घाटा हुआ है और इस घाटे को बर्दाशत करने को गवर्नमेंट तैयार नहीं है, इसलिये टोंक रूट को सरकार के नियन्त्रण से बाहर निकालने का निर्णय किया गया है, पर सरकार मैनेजिंग स्टाफ की इनएफिशियेन्सी और उसके कारण हुए घाटे की बात को मन्जूर करने को तैयार नहीं है। सरकार कहेगी कि मेनेजिंग स्टाफ तो एफिशियेन्ट था पर सरकार को घाटा हुआ इसलिये इस रूट को प्रोइवेट कम्पनियों को दे दिया गया है।

आज राजस्थान के कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाने का उल्लेख करते हैं या उनके अपोइन्टमेंट्स के सम्बन्ध में ज्यादती की जाती है और उसका उल्लेख करते हैं तो कहते हैं कि पुराने जमाने में जो अन्याय होता था उतना तो हम नहीं करते। तो यह कह कर यह तो स्वीकार करते हैं कि अन्याय करते तो हैं, उतना न सही। पर आज के जमाने में जनता का राज्य है, इस जनता के राज्य में जिससे हम अपेक्षा करते थे कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ न्याय होगा, उस समय सरकारी कर्मचारियों के साथ अन्याय हो, यह बर्दाश्त नहीं हो सकता। टोंक बस सर्विस को तोड़ने से कितने लोग बेकार हो गये, कइयों की सर्विसेज खत्म हो गई। एक समय आयेगा

(श्री भैरोंसिंह)

जब इस सदन में राजस्थान के ट्रान्सपो विभाग का जिक्र आयेगा और यह साबित किया जायगा कि किस प्रकार लोगों के रिश्तेदारों को राजनैतिक दृष्टिकोण से परमिट दिये जाते हैं, समय आयेगा तो उन सारे के सारे परमिटों की प्रतिलिपियां सदन में रखूंगा और यह बताऊंगा कि उन परमिटों वाले नाम के लोग न राजस्थान में हैं न हिन्दुस्तान में और न ही इस दुनियां में हैं; फिर भी उनके नाम से बसें चलती हैं। यह सब इस समय नहीं बताया जा सकता, जब ट्रान्सपोर्ट विभाग का जिक्र आयेगा उस समय ये सब बातें रखी जायेंगी।

इस समय तो इस ही के बारे में कटौती का प्रस्ताव रख कर मांग की है कि टोंक की बस सर्विस को सरकारी नियन्त्रण बाहर से करने का क्या कारण है, इसकी जांच की जाय।

श्री श्रीभानसिंह : Don't you know in these days there are ghost permits.

श्री उपाध्यक्ष : To be directed to the Chair. There should be no direct interchange of discussions.

श्री श्रीभानसिंह : There can be ghost permits also on routes.

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

(विराम)

श्री मोहरसिंह।

श्री श्रीभानसिंह : All the machiavellian promises of the Government, he should better understand the nature.

श्री मोहरसिंह : श्रीमान्....

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ कि समय के सम्बन्ध में हमें बहुत ही विचार कर चलना है, चूंकि कटौती के प्रस्ताव हमारे पास बहुत हैं।

श्री मोहरसिंह : यह प्रतिबन्ध मेरे ऊपर....

श्री उपाध्यक्ष : यह प्रतिबंध नहीं, निवेदन किया है। प्रतिबन्ध होता तो उसकी भाषा दूसरी होती।

श्री मोहरसिंह (चूरू) : श्रीमान् उपाध्यक्षजी, मेरा कटौती का प्रस्ताव है, "कि मांग संख्या ३१, मुख्य शीर्षक ५७-विविध में ७,०५,००० रु. की कमी की जाय। (व्यय के नये मदों की व्याख्या न करने के सम्बन्ध में)"।

माननीय उपाध्यक्ष, इस बजट के अंग्रेजी एडिशन के पेज ३२४ पर ७,०५,००० रुपये की रकम है, इसका कहीं उल्लेख नहीं किया गया है कि यह रकम किसमें खर्च की जायगी। इस प्रजातन्त्र के जमाने में जहां विधान सभा में बजट पेश होता है तो यह स्पष्टीकरण होना चाहिये, नहीं तो यह लेजिस्लेटिव बिजनेस और विधान सभा के सदस्यों के साथ में विश्वासघात का कदम है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूँ। अगर इसकी व्याख्या मन्त्री महोदय नहीं करेंगे तो समझा जायगा कि यह रकम योंही रखी गई है।

(श्री मोहरसिंह)

दूसरा मेरा कटौती का प्रस्ताव है कि मांग संख्या ३१, मुख्य शीर्षक ५७—विविध में १ रु० की कमी की जाय। (विस्थापित किसानों के साथ अन्याय के सम्बंध में)....

श्री उपाध्यक्ष : बीच में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष रहता है।

(हंसी)

श्री मोहरसिंह : (जारी) उपाध्यक्ष महोदय, (विस्थापित किसानों के साथ अन्याय के सम्बंध में) भारत की आजादी के वक्त भारत के सच्चे सपूतों को जिन्हें कि बड़ा बलिदान या कुर्बानी करनी पड़ी, उन्हें शरणार्थियों के नाम से पुकारते हैं, या विस्थापित भी पुकारते हैं। जितनी इन विगत आठ-दस वर्षों में इनको मुसीबतों का सामना करना पड़ा है, उतना और किसी को नहीं करना पड़ा। उन लोगों का त्याग बड़ा सराहनीय है। शहरों में रहने वाले विस्थापितों से देहातों में रहने वाले विस्थापितों का मुकाबिला करें तो देहातों में रहने वाले और भी परेशान हैं। खास तौर से बाहर गांवों में रहने वाले जो विस्थापित भाई हैं उनके बारे में दो बातें कहना चाहता हूं। चाहे वे नहरी इलाके के रहने वाले हैं या बैरानी इलाके के रहने वाले हैं, उनको बड़ी बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जमीनें मुस्तकिल तौर पर उनको नहीं दी गई हैं, उनको भरोसा नहीं है कि जिस जमीन पर आज वे खेती कर रहे हैं उसी पर अगले साल भी खेती कर सकेंगे। यही कारण है कि वे उस जमीन को ज्यादा उपजाऊ बनाने के लिये मेहनत करके उसमें ज्यादा अनाज नहीं पैदा कर रहे हैं। यही हालत उनके घरों की है: उन्हें विश्वास नहीं है कि वे उस जमीन पर काबिज रह सकेंगे कि नहीं। साथ ही साथ गंगानगर इलाके में जहां बारह मासी नहर नहीं आई है वहां उनको साढ़े बारह बीघा तक जमीन अलोट की गई है जब कि जो लोग वहां के बेजमीन निवासी हैं उन्हें २५-२५ बीघा जमीनें अलोट की गई हैं। यह तो उल्टी गंगा पहाड़ पर चढ़ाने के बराबर है। बड़े त्याग व बलिदान उन लोगों को करने पड़े हैं। उनके पास कुछ नहीं है, इसलिये उन्हें ज्यादा जमीनें दी जानी चाहिए और उनको पूरे के पूरे हक उन जमीनों पर देने चाहिये जिससे कि उन जमीनों की उपज बढ़ सके। उनको कर्जा कम दिया गया है। जो कर्जा उन्हें दिया गया है वह उनसे जोर देकर वसूल किया जा रहा है। इसके लिये मेरा निवेदन है कि पहले उनसे एक किश्त की रकम वसूल की जाय और जब बारह मासी नहर आ जाय तो उनसे दूसरी किश्त ली जाय। अलवर इलाके के विस्थापितों की तो बड़े जोरों से शिकायत है। इनके यहां एक सवाई जमा का भी रिवाज जारी है। जो जमीन रेन्ट दूसरों से दूसरी जगह पर लिया जाता है उससे सवाया लिया जा रहा है। वास्तव में उनसे सवाया वसूल नहीं होना चाहिये, लोगों ने बहुत शिकायत की मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पटवारी के पास हुक्म पहुंचता है कि जमीन के लगान की रकम और कर्जे की रकम उनसे जल्दी वसूल कर ली जावे। पटवारी उनसे सारी रकम वसूल करता है इसलिए उन लोगों को बड़ी दिक्कतें होती हैं। इसके लिए बड़ी लिखा पढ़ी हुई, कई बार लिखा गया और आन्दोलन भी हुए मगर आज तक उन लोगों की कोई सुनवाई नहीं हुई। इन शब्दों के साथ मैं अपनी मांग को प्रस्तुत करता हूं।

(श्री मोहरसिंह)

श्री उपाध्यक्ष : आप अपने अगले कट मोशन्स को भी साथ ले लीजिये। वे नगर पालिकाओं को अपर्याप्त सहायता के संबन्ध में है और दूसरा पंचायतों में सरकार द्वारा अनुचित हस्तक्षेप के सम्बन्ध में है।

श्री मोहरसिंह : माननीय उपाध्यक्ष, मैं प्रस्तावित करता हूं, "कि मांग संख्या ३१, मुख्य शीर्षक ५७–विविध में १ रु० की कमी की जाय (पंचायतों में सरकार द्वारा अनुचित हस्तक्षेप के संबन्ध में)"।

वास्तव में जिस समय हिन्दुस्तान आजाद हुआ उस समय ग्रामीण लोग विचार करते थे और स्वप्न देख रहे थे कि जब हमारा हिन्दुस्तान आजाद होगा तो देश में पॉवर का विकेन्द्रीकरण होगा, जगह जगह पंचायतें कायम होंगी, पंचायती राज्य होगा और जनता को इसमे बल मिलेगा। वे लोग यह सोचते थे कि जागीर प्रथा से उनको छुटकारा मिलेगा और जगह जगह पंचायतें स्थापित होंगी, जिससे उनको सस्ता इन्साफ मिलेगा और भारी ताकत और बल मिलेगा और अधिकार भी मिलेंगे। मुझको याद पड़ता है कि शायद मैंने २६ जनवरी, १९४४ को भारत के वर्तमान प्रधान मंत्री पंडित नेहरू का भाषण सुना था। उन्होंने कहा कि देश वासियों....

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य का....

श्री मोहरसिंह : इस बात का मुझे भी ख्याल है कि सदन का समय बहुत कीमती है, मुझे सदन के समय का खुद को ख्याल है।

तो मैं आप लोगों से कह रहा था कि उन्होंने कहा कि देश के वासियो, हमारे यहां आजादी के आने के बाद पंचायत राज्य होगा यह चीज उन्होंने बहुत बढ़िया कही थी कि हिन्दुस्तान में कांग्रेस राज्य का मतलब होगा किसान राज्य और पंचायत राज्य। लेकिन आज वह हमारे सामने किस रूप में आया है ? शुरू शुरू में जिस समय पंचायतों का चुनाव होने वाला था तो हमने चारों तरफ से आवाज सुनी कि गवर्नमेन्ट पंचायतों के चुनाव में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगी व सरकार के मंत्रीगण किसी प्रकार का उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जब हमने यह सुना तो हमारे दिल में यह तसल्ली हुई कि वास्तव में पंचायतों में निष्पक्ष रूप से काम हो सकेंगे, पब्लिक आराम से अपना काम करेगी और उनको न्याय मिलेगा। मगर वास्तव में यह बात नहीं रही। जिस समय पंचायतों के चुनाव शुरू हुए, गांवों गांवों में जहां तक हो सका, अपने अपने आदमियों को लाने की कोशिश की गई। इसका खास कारण यह था कि मंत्री लोगों को अगला इलेक्शन दिखाई दे रहा था और वे लोग पंचायतों के पंचों को और पंचायतों को इलेक्शन जीतने के लिये मशीन और उसके पुर्जे बनाना चाहते थे। मगर जब जनता को मालूम हुआ कि सरकार अनुचित हस्तक्षेप कर रही है तो जिस समय से पंचायत का चुनाव होना शुरू हुआ उस समय से लेकर चुनाव किया गया, उस समय तक लगातार इन्साफ के लिये मांगे की। यह राजस्थान में जिला चूरू के राजगढ़ का किस्सा है। वहां के सभी किसानों ने पंचायतों के अन्दर सरकार के अनुचित हस्तक्षेप को अनुचित समझा और उसका मुकाबला करने के लिये दो हजार रुपया तक खर्च कर दिये। हर आला अधिकारी को लिखा गया, तार दिये गये कि जब पंचायत के चुनाव

(श्री मोहरसिंह)

शुरूआत से ही गलत हो रहे हैं तो वास्तव में आगे चल कर पंचायत किस तरह से अच्छी तरह से काम करेगी ? इसलिये इन बातों पर ध्यान देना चाहिये, लेकिन मैं दुःख के साथ कहूँगा कि इसको कोई सुनवाई नहीं हुई। जिस प्रकार भी सेन्टर बदल सकते थे बदले गये, कई पंचायतें राजाशाही समय से चल रही थीं, उसी प्रकार बनाई गईं। सेन्टर ग्रामों की सहूलियतों के मुताबिक ८–८ या १०–१० गांवों के न बना कर हकूमत पार्टी ने अपनी सहूलियतों के अनुसार बनाये। जो सेन्टर पहले बने हुए थे उनको जान बूझ तोड़ा गया। बहुत कुछ लोगों ने लिखा, मगर पार्टी इन पोवर को यह महसूस हुआ कि वे अपना पॉवर नहीं बना सकेंगे अगर सेन्टरों में किसी प्रकार की चेन्ज नहीं लाई गई तो। इसलिये सेन्टर गलत बनाये गये। वार्डों का प्रश्न आया। वहां पर कई तरह की गड़बड़ियां की गईं। कहीं कहीं तो ७० घरों का एक वार्ड बनाया गया और कहीं १५ घरों का एक वार्ड बनाया गया। यह इसीलिये बनाया गया कि ७० घरों में दूसरे ग्रुप का पॉवर है। इसलिये मैं यह कहूंगा कि शुरूआत में ही पंचायतों में सरकार का हस्तक्षेप हुआ। इसलिये सब लोगों ने सोचा कि यदि हम सब लोग इस विषय का मुकाबला मिल कर नहीं करेंगे तो यह विष फैलेगा और यह विष की बेल बढ़ेगी। अतः लोगों ने इसका मुकाबला करना शुरू किया और शिकायतें की गईं। मगर कोई सुनवाई नहीं हुई, चुनावों में जबरदस्ती को गई पुलिस बुलाई गई। सारे वार्ड गलत बनाये गये थे और कई गांवों को जिनमें दूसरी पार्टी के लोग रहते थे छोड़ दिया गया। आखिर में पंचायत के चुनाव रखे गये। पर जनता के सख्त विरोध के कारण चुनाव नहीं हो सके, उनको वार्डों की दुरुस्ती करनी पड़ी। मगर जो दुरुस्ती की गई वह रुपये में ४ आना या ६ आना भर ही की गई। इसके बाद चुनाव कराया गया। उसके बाद पंचों की की लिस्ट बनी। वह भी गलत बनी, शिकायत की गई उसकी भी सुनवाई नहीं हुई। जबरदस्ती तहसील पंचायत का चुनाव रखा गया और ऊपर के अधिकारियों से जोर दिया गया कि फलां फलां व्यक्तियों को पंच चुना जाए। पब्लिक की ताकत ने, दो हजार ढाई हजार लोगों ने इकट्ठे होकर शान्ति से वहां पर मुकाबला किया और वह मुकाबला इसलिये किया कि वास्तव में जनता के साथ किसी प्रकार का अन्याय नहीं हो। अन्याय का मुकाबला करना बुरा नहीं है, यह तो जरूरी चीज है। अन्याय करने वालों के बनिस्पत अन्याय को बर्दाश्त करने वाला ज्यादा पापी है, इस सिद्धान्त को मान कर वहां के लोगों ने मुकाबला किया। हथियारों से लैस पुलिस और आर्म्ड पुलिस बुलाई गई और राजगढ़ के गढ़ के चारों तरफ आर्म्ड पुलिस खड़ी हो गई। इस पर पब्लिक ने कहा कि वोटर्स लिस्ट गलत है; हरिजन पंचों के लिये, जिस तरह पंचों के लिये विज्ञप्ति छपी है, उसके अनुसार नहीं है, पता नहीं ऊपर से किस तरह दूसरों को थोपा जा रहा है। किसी ने सुनवाई नहीं की और लिस्ट बना कर चुनाव कराये। लोगों ने शिकायतें की कि सही लिस्ट बना कर चुनाव कराये जावें।

(घंटी बजाने पर भी न बैठने पर)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य से मैं निवेदन करूंगा कि जब चेयर द्वारा कुछ कहा जाए तो आप अपना स्थान ग्रहण कर लें, यह डेकोरम है।

मैं सिर्फ आपको जानकारी कराना चाहता

(श्री उपाध्यक्ष)

हूँ कि नगरपालिका और पंचायतों का आपका प्रस्ताव बहुत लम्बा—चौडा है। आप आरम्भ रखिये।

श्री मोहरसिंह : अच्छा होता आप पहले समय मुकर्कर कर देते।

ढाई हजार लोगों ने पंचायत के गलत तरीके से होने वाले चुनावों का विरोध किया और १००-१५० पुलिस के आदमी हथियारों से लैस वहां खड़े रहे। पहले रोज नोटिस तामील करके १४ कार्यकर्त्ताओं को बुलाया गया कि आप लोग शान्ति रखने की जमानत दें। वहां पर ५००-६०० आदमी इकट्ठे होते हैं और कहते है कि इन १४ आदमियों को पकड कर जेल में डालते हो तो हमें भी जेल में डालो और सही वोटर्स लिस्ट तैयार करके पंचायत का चुनाव करें। पुलिस को बुलाया गया। पब्लिक ने कहा कि न्यायप्रिय बात को मानिये परन्तु उनकी एक भी नही सुनी गई। २६० के करीबन पंच भी बाहर खड़े रहे और जनता को नाखुश देखकर अपना वोट देने के लिये नहीं गए भीतर क्योंकि चारों तरफ गढ़ के जनता का घेरा था। इस प्रकार दो ....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : माननीय उपाध्यक्ष, आपके भाषण से तो ऐसा मालूम होता है कि आप कोई उपदेश दे रहे हैं............

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य का मोर्चा मेरी तरफ नहीं है ?

श्री मोहरसिंह : माननीय उपाध्यक्ष, मेरा मोर्चा आपकी तरफ है और कभी कभी दूसरी तरफ भी हो जाता है। भीतर ही भीतर तहसीलदार राजगढ़ ने २ नकली वोट डलवा कर चुनाव सम्पन्न कराये और बाहर आकर ऐलान किया कि फलां फलां उम्मीदवार जीत गए और फलां फलां हार गए। उसके बाद हमने सेक्रेट्री साहब, स्वायत शासन को लिखा कि इस तरह से चुनावों में शुरू से गड़बड़ियें रही हैं, जुल्म हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मगर नतीजा कुछ नहीं हुआ। दूसरी पार्टी के व्यक्ति के पंचायत के चुनाव में आ जाने पर उस पर तरह तरह के मुकदमे बना कर उसको परेशान किया जाता है। उन पंचायतों को जिनमें इनकी पार्टी का बहुमत होता है उनको तो खूब पैसे दिये जाते हैं, उनको तो विकास योजना के लिये पैसे मिलते हैं और उन पंचायतों में जिनमें इनका बहुमत नहीं होता उनको पैसे नहीं दिये जाते। इस प्रकार से पंचायतों को दी जाने वाली रकम में काफी गबन हुआ है। इस तरह से मैं सही तौर से बतला सकता हूँ कि वास्तव में आज पंचायतों के अन्दर यह अनुचित हस्तक्षेप किया जाता है। इस मुतल्लिक और भी बहुत सी बातें बतलाई जा सकती हैं लेकिन समय का अभाव है और उपाध्यक्ष महोदय इस बात के लिये तकाजा भी कर रहे हैं।

मेरा दूसरा कटौती प्रस्ताव है, "कि मांग संख्या ३१, मुख्य शीर्षक ५७—विविध में १ रुपये की कमी की जाय (नगरपालिकाओं को अपर्याप्त सहायता के सम्बन्ध में)।" वास्तव में अपने राजस्थान के अन्दर करीबन १ करोड़ ६० लाख आदमी हैं, जिनमें से करीब ५० लाख जनता शहरों में रहती है और उसमें से भी आधे आदमी नगरपालिका से सम्बन्धित हैं। जहां तक मेरा ख्याल है शायद १० हजार से नीचे की आबादी पर नगरपालिका भी नहीं

Page No.82

(श्री मोहरसिंह)

है । तो कुल मिलाकर आधे आदमी नगरपालिका से सम्बंधित हैं । लेकिन इन लोगों पर नगरपालिका द्वारा खर्च किये गये हिसाब को लगायें तो उनके ऊपर १ रुपये से ऊपर नहीं खर्च होता । इस तरह से उनको बड़ी दिक्कतें उठानी पड़ती हैं । आखिर नगरपालिका किसी तरह का टैक्स लगाती है तो जनता उसका विरोध करती है । इसलिये जो शहरों की स्कीमें हैं; जैसे बिजली है, पानी है जो कि म्युनिसिपल एरिया के अन्दर हैं इस प्रकार के जो टैक्सेज़ हैं वे म्युनिसिपैलिटी को दे दिये जायं या अगर उनको यह टैक्स का पैसा नहीं दिया जाता है तो उनको बहुत बड़ी सहायता दी जानी चाहिए जिससे वह शहरों के विकास के अन्दर अग्रसर हो सकें । इन शब्दों के साथ मैं मेरे चारों कट मोशन्स को मूव करता हूँ ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री लच्छूराम । लिस्ट नम्बर ४ सीरियल नम्बर १३६

श्री लच्छूराम (माण्डवा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ, "कि मांग संख्या ३१, मुख्य शीर्षक ५७-विविध में १ रुपये की कमी की जाय (पब्लिसिटी विभाग की दक्षहीनता के सम्बन्ध में) ।

श्री उपाध्यक्ष ; आपके दो प्रस्ताव और हैं । सड़क यातायात के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में और पंचायतों को अपर्याप्त आर्थिक सहायता के सम्बन्ध में ।

श्री लच्छूराम : मैं सभी बोल दूंगा ।

मेरा पहला प्रस्ताव है, "कि मांग संख्या ३१ मुख्य शीर्षक ५७-विविध में १ रुपये की कमी की जाय (पब्लिसिटी विभाग की दक्षहीनता के सम्बन्ध में) " । पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के अन्दर किस प्रकार से पैसे का दुरुपयोग किया जाता है इसके बारे में मैं आपको चन्द शब्द रखूंगा । सरकार का पब्लिसिटी डिपार्टमेन्ट, मैं समझता हूं, यह महसूस करता है कि जनता के सामने हमारे सही प्रोग्राम्स क्या क्या हैं । हम किस प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ रहे हैं इस प्रकार की जानकारी, सरकार की नीति आदि को आम जनता तक पहुचाने का काम इस पब्लिसिटी डिपार्टमेंट का है । इस डिपार्टमेंट को किस प्रकार का गन्दा डिपार्टमेंट बनाया गया इसको सभी माननीय सदस्य जानते हैं और इसका उदाहरण माननीय सदस्यों के सामने है और जनता भी इसको जानती है । इसमें किस तरह से धन का दुरुपयोग किया जाता है । उन अखबारों को जो सरकार की पोलिसी के निमित्त हैं जो सरकार की बड़ाई करने में पीछे नहीं हटते उनको भी कुछ टुकड़ा दे दिया जाता है और अन्य पत्र जो सरकार की सही आलोचनाओं करते हैं और सरकार की नीति के प्रति अपने सही विचार प्रदर्शित करते हैं उन पत्रों को किसी प्रकार से सहायता नहीं दी जाती है । मैं समझता हूँ कि यह कल्याणकारी नीति नहीं है और सरकार को इसे महसूस करने को आवश्यकता है और सभी पत्रकारों को जो जनता की उचित मांगों को जनता के सामने पेश करते हैं, सरकार की सही नीति का स्पष्टीकरण जनता के सामने लाते हैं उनके साथ में भी उसी प्रकार का बर्ताव होना चाहिए जिस प्रकार से अन्य पत्रकारों के साथ किया जाता है ।

दूसरे पब्लिसिटी डिपार्टमेंट की तरफ से जगह जगह प्रदर्शनियां की जाती हैं परन्तु

Page No.83

(श्री लच्छूराम)

जनता को तो यह भान ही नहीं होता है कि कहां कहां प्रदर्शनी होती है, उनमें क्या होता है, यह जनता को नहीं मालूम। खास तौर से पब्लिसिटी डिपार्टमेंट उन आदमियों के लिए है, उन नागरिकों के लिए है जो सरकार की सही नीति को नही समझ पाते। उन तक अपनी आवाज पहुँचाने के लिए यह डिपार्टमेन्ट खोला गया है। प्रदर्शनियां इस प्रकार से की जाती हैं कि उनका लाभ आम जनता नही उठा सकती है। इसलिए प्रदर्शनियों का यह जो सिस्टम है, यह अच्छा नहीं है। इस पब्लिसिटी डिपार्टमेन्ट के अन्दर बहुत सी गाड़ियों में फिजूल पेट्रोल खर्च किया जाता है और वह नाजायज है। यह पब्लिसिटी डिपार्टमेन्ट को नीचे की ओर ले जाता है और इस प्रकार से पैसे को बर्बाद किया जाता है। यह ११ लाख २६ हजार रुपये की रकम जो पब्लिसिटी के लिए रखी है इसका कोई सदुपयोग नहीं होता है। मैं समझता हूं कि यहां इस विभाग में अच्छी नीति बरती जाय तो यह पब्लिसिटी विभाग जनता को शिक्षित करने के लिए अच्छा है। मैंने इसीलिए यह कटौती का प्रस्ताव रखा है।

मेरा दूसरा प्रस्ताव कटौती का यह है, "कि मांग संख्या ३१, मुख्य शीर्षक ५७-विविध में १ रुपये की कमी की जाय (सड़क यातायात के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में)" अब से पहले भी कई प्रस्ताव इस सम्बन्ध में आ चुके हैं। परमिट देने में कितनी धांधली होती है, कितनी पक्षापक्षी की जाती है, इसके बारे में पहले भी माननीय सदस्यों ने बताया है। माननीय सदस्यों ने यह भी बताया कि परमिट देते समय यह ध्यान रखा जाता है कि परमिट लेने वाला किसी मिनिस्टर का रिश्तेदार है या नहीं? यह योग्यता देखी जाती है कि वह किसी मिनिस्टर के कितना नजदीक है। मैं समझता हूँ कि अगर सड़कों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय तो सरकार को किसी भी प्रकार की आपत्ति का सामना नहीं करना पड़ेगा इसमें धन का दुरुपयोग भी नहीं होगा। यह बात कुछ अन्शों तक सही है कि परमिट देने में पक्षपात किया जाता है और जहां तक माननीय सदस्यों ने कहा है वह ठीक ही है कि मिनिस्टरों के या नेताओं के रिश्तेदारों को ही परमिट दिया जाता है। मैं इसी कारण सरकार के सामने यह सुझाव उपस्थित करना चाहता हूं कि सड़कों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जायगा तो इस प्रकार की आलोचना जो आजकल सरकार की इस विषय पर हो रही है उसका सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही यह बात भी नहीं कि सड़कों का राष्ट्रीयकरण करने से सरकार को किसी प्रकार का नुकसान है। जब यह बात है तो फिर सड़कों का राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं किया जाता है? तो मैं सरकार से यह निवेदन करूंगा कि जल्दी से जल्दी जो राष्ट्रीयकरण का प्रश्न है उसको हल किया जाए और माननीय सदस्यों ने यह बताया है कि टोंक और सिरोही के रूट से काफी आमदनी है इसका राष्ट्रीयकरण किया जाय तो सरकार को काफी फायदा हो सकता है। हमें तो, यही नहीं बल्कि, यह मानकर चलना है कि सभी रूटों का राष्ट्रीयकरण करने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं करना चाहिए कि जो आमदनी के रूट्स हैं उनको तो सरकार राष्ट्रीयकरण करके ले ले और उन रूट्स पर जिन पर कि आमदनी नहीं है उनको न ले।

श्री उपाध्यक्ष : आपका एक और कटौती प्रस्ताव है, लिस्ट नम्बर ४, सिरियल नम्बर १४१.

श्री लच्छूराम : मेरा प्रस्ताव है, "कि मांग संख्या ३१, मुख्य शीर्षक ५७–विविध में १ रुपये की कमी की जाय (पंचायतों को अपर्याप्त आर्थिक सहायता के सम्बन्ध में)" अब तक जितने भी कटौती के प्रस्ताव आए हैं, और खास तौर से पंचायतों के विषय में, उन सभी पर बोलते समय सभी माननीय सदस्यों ने यह कहा है कि पंचायतों का काम अच्छा नहीं है, उनमें धांधलियां होती हैं, गड़बड़ियां होती हैं; परन्तु मैं समझता हूँ कि जब तक किसी भी आदमी को या किसी भी व्यक्ति को पूरे अधिकार नहीं दिये जाते उस समय तक उसमें कितना माद्दा है, कितनी काबलित है वह प्रदर्शित नहीं कर सकता। यही हालत पंचायत विभाग की है। जब तक आर्थिक सहायता पूरी नहीं मिल सकती उस समय तक पंचायत कारगर नहीं हो सकती। जैसी सिफारिश लेन्ड रिफोर्म्स कमीशन ने की थी कि पंचायतों को लगान का पच्चीस प्रतिशत दिया जाय, वाकई में वह सिफारिश थी काम की। जब तक पंचायतों के पास पैसा नहीं होगा पंचायतें आर्थिक मामलों में जब तक आत्म निर्भर नहीं होंगी, वे अपने काम को सन्तोषजनक रीति से सम्पादित नहीं कर सकतीं। पंचायतों की धांधली के सम्बन्ध में सभी माननीय सदस्यों ने आलोचना की, उनको दोहराना मैं उचित नहीं समझता। मैं भी यह मानता हूँ कि जो कुछ माननीय सदस्यों ने कहा गलत नहीं है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि यदि पंचायतों को ज्यादा अधिकार और आर्थिक सहायता दी जाय तो वे ज्यादा कारगर सिद्ध होंगी और जनता का राज्य कायम करने में पंचायतें सहायक सिद्ध होंगी। आज जिस समाजवाद के ढांचे की ओर हम कदम बढ़ाना चाहते हैं, जिस व्यवस्था को हम यहां पनपाना चाहते हैं उसमें पंचायतें ही ज्यादा कारगर सिद्ध हो सकती हैं, अगर इनको आर्थिक सहायता पूरी दी जाय और अधिकार भी कुछ ज्यादा हों। मेरा यह प्रस्ताव है कि पंचायतों को ज्यादा से ज्यादा आर्थिक सहायता दी जाय ताकि वे अपने कार्य को सुचारू रूप से करने में समर्थ हो सकें। तीन रुपया दो आना प्रतिशत के हिसाब से जो सहायता देने का प्रावधान किया गया है मैं मानता हूं कि वह बहुत कम है, उसके बजाय कम से कम १० प्रतिशत लगान का उनको मिलना चाहिये। अगर इतना नहीं दे सकते तो पंचायतों की आलोचना होती रहेगी क्योंकि बिना आर्थिक सहायता के कोई काम पूरा नहीं हो सकता इसीलिये एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव रखा है। अगर आप पंचायतों से ठीक प्रकार से काम करवाना चाहते हैं तो उनको दश प्रतिशत सहायता देनी जरूरी है। अगर आप आर्थिक सहायता नहीं देंगे तो आये दिन धांधली और आलोचना होती रहेगी और पंचायतों में काम कुछ भी नहीं हो सकेगा। अगर हम पंचायतों को आर्थिक सहायता नहीं देते हैं तो जिस मकसद के लिये हम पंचायतों का निर्माण कर रहे हैं वह पूरा नहीं हो सकेगा इसलिये मेरा यह निवेदन है कि पंचायतों को कम से कम लगान का दस प्रतिशत सहायता के रूप में दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री पी. के. चौधरी।

४.०२ म० प०

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : Mr. Deputy Speaker, Sir, I beg to move, "That the Demand No. 31, Major Head 57-Miscellaneous be reduced by Rs. 100/-(to discuss the inefficiency of the publiciy Board)."

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे राजस्थान

(श्री पी. के. चौधरी)

सरकार का जो पब्लिसिटी विभाग है उसकी एक्टीविटिज़ के बारे में, हालांकि मैं इससे परिचित नहीं हूं लेकिन सदन के शुरू होने के करीब आठ-दस रोज पहले पब्लिसिटी विभाग की ओर से, कुछ पेम्फलेट वगैरह मुझको देखने को मिले। ये पेम्फलेट मिलने के बाद इस विभाग के काम-काज में मुझे कुछ दिलचस्पी पैदा हुई। पहली बात यह है कि जो पेम्फलेट कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट के बारे में जनता में प्रचार के लिये निकाला जाता है उस पुस्तिका की ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करूंगा। यह पुस्तक अंग्रेजी भाषा में छपायी गई है और उसकी छपाई आर्ट पेपर पर हुई है। मैं देखता हूँ, उस आर्ट पेपर का स्टेन्डर्ड यू. एस. आई. एस. के यहां से जो पुस्तिकायें निकलती हैं उसी किस्म का है। अमेरिकन इन्फोर्मेशन ब्युरो की तरफ से जिस प्रकार की पुस्तिकायें निकाली जाती हैं और जैसे आर्ट पेपर पर निकाली जाती हैं उसी तरह की यह पुस्तिका है; जिस प्रकार का लिटरेचर प्रचार के लिये अमेरिका से निकलता है यह लिटरेचर भी उसी तरह का छपाया गया है। मेरे कहने का मतलब यह है कि आज राजस्थान सरकार की बुकलेट्स वगैरह क्या विदेशों में भेजने के लिए छपाई जाती हैं या इन्टर स्टेट प्रोपोगेन्डा के लिए छपायी जाती हैं? जो सरकार के विकास का काम है उसका ज्ञान घर घर में पहुंचाया जाय, यह इन पेम्फलेट्स और बुलेट्स का मकसद होता है। इसलिये मैं समझता हूं कि सबसे जरूरी चीज यह है कि ये सब पेम्फलेटस हिन्दी में होने चाहिये ताकि गांव के लोग भी पढ़ सकें। इससे बुकलेट को देखने से पता चलता है कि पब्लिसिटी विभाग का जो इन्चार्ज है वह इनएफीशियेन्ट है, उसको एनसीनुएशन नहीं, उसको आइडिया नहीं कि जो किताबें गांवों में प्रचार के लिये छपवाते हैं वे किस प्रकार की होनी चाहिये और किस भाषा में होनी चाहिये।

दूसरी बात जिसके बारे में मैं स्पेसीमेन पेश करना चाहूँगा और खास तौर से मैं उसे सदन की मेज पर रखूंगा; सब से बड़ा ऑब्जेक्शन इस किताब से मुझे यह है कि यह किताब डेवलपमेन्ट एक्टीविटीज़ के प्रचार के लिये छपाई गई है। किसी खास मजहब के लिये नहीं है। अगर आप इसका मुख पृष्ठ देखें तो आपको पता चलेगा कि इस पर जो फोटो छपा है वह किसी देवता का है। यदि यह फोटो किसी मजहब की किताब पर छपता तो कोई एतराज की बात नहीं होती। इस सेकुलर स्टेट के अन्दर विकास कार्य के प्रचार के लिये कोई पुस्तिका छपती है, उस पर किसी पर्टिकुलर मजहब का फोटो नहीं होना चाहिये। अगर यह बनारस से या किसी रिलीजियस स्थान से उसके बारे में किताब छपती या किसी आर्चियोलोजिकल विभाग द्वारा छपायी जाती तो यह बात मानी भी जा सकती थी कि उस पर इस प्रकार का फोटो दिया जा सकता था और वह ठीक भी होता। विकास के प्रचार के लिये किताब छपे और उस पर पर्टिकुलर मजहब की फोटो देना मैं ठीक नहीं समझता।

श्री उपाध्यक्ष : Hon'ble Member, are you producing ths document!

श्री पी. के. चौधरी : I will place it before you. It is here in my hand, Sir.

इसके बाद में माननीय सदस्यों की दृष्टि इसी किताब के पेज नं० १५ की ओर आकर्षित करूंगा। १५ पेज पर एक नंगी लड़की

Page No.86

(श्री पी० के० चौधरी)

का फोटो दिया गया है और वह इस तरह से दिया गया है कि सेक्स ओर्गन्स डिस्प्ले (Sex orgaus display) होते हैं। यह डिसेन्सी के खिलाफ है। हम यहां के हालात बताना चाहते हैं लेकिन नंगी तस्वीरों द्वारा बताना नहीं चाहते। मैं समझता हूँ, जिन अधिकारी ने यह कार्य किया है उसको फायर करना चाहिये। जब तक सरकार इस प्रकार का एक्शन नहीं लेती इस डिपार्टमेंट की तरक्की नहीं हो सकती।

कुछ माननीय सदस्य: Has it been circulated ?

श्री पी. के. चौधरी: दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के जो इन्चार्ज हैं उनको पब्लिसिटी का ख्याल नहीं। पब्लिसिटी क्या चीज है और किन लोगों में करनी चाहिये, उस बात का उनको कतई ख्याल नहीं है। बेहतर यह होता कि पब्लिसिटी डिपार्टमेंट में इस तरह के ऑफिशियल्स न रख कर कुछ ऐसे ऑफिसर्स लिये जाते जो ट्रेन्ड हों, कभी कोई इकोनोमिक डिपार्टमेंट का हैड बन जाता है तो कभी कोई और हैड बन जाता है, यह नहीं होना चाहिये। पब्लिसिटी का हैड सर्विस क्लास से न आकर रेपुटेड फर्म का होना चाहिये जो एडवर्टाइजमेंट इन्चार्ज रह चुका हो, उसकी इस पोस्ट पर नियुक्ति करनी चाहिये।

इसके अलावा जो मैं सुझाव देना चाहता हूं वह यह है कि ऐसी किताबें आर्ट पेपर पर न छपकर हैन्ड मेड पेपर पर छपनी चाहिये क्योंकि हैन्ड मेड पेपर राजस्थान में पैदा होता है, इससे गृह उद्योगों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। आखिर ये किताबें गांवों में जनता के हाथ में जाती हैं जिनके पास आर्ट पेपर का मूल्य और हाथ के बने हुए पेपर का मूल्य एक है। जो आर्ट पेपर पर छपाई होती है उससे कहीं अधिक अच्छी हैन्डमेड पेपर पर हो सकती है। हमें हैन्डमेड पेपर को डेवलप करना है। जब हम इस प्रकार के कार्य हैन्डमेड पेपर पर करने लग जायेंगे तो हमारी पेपर इन्डस्ट्री को प्रोत्साहन मिलेगा और यह इन्डस्ट्री अच्छी कायम हो सकती है। इससे अनएम्प्लोयमेंट भी मिट सकता है और छोटे उद्योगों को भी प्रोत्साहन मिल सकता है। इस बारे में हमारे पब्लिसिटी विभाग के इंचार्ज दिमाग नहीं लगाते हैं और जो दकियानूसी प्रथा, ट्रेडीशनल प्रथा चली आ रही है उसी के अनुसार चलते जा रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि हमारे इस डिपार्टमेंट के जो इंचार्ज लोग हैं उनका ओरिजिनल थिंकिंग होना चाहिये, उनको सोचना चाहिए कि हम किस तरह से इस प्रान्त की तरक्की कर सकते हैं।

इसलिये मेरा तीसरा सुझाव है कि हैण्डमेड पेपर पर ये किताबें छपनी चाहिये और यह पेपर राजस्थान में बनावें, ताकि कुछ लोगों को इससे रोजी मिले।

एक सुझाव मेरा यह है कि पब्लिसिटी अफसर का रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट द्वारा किया जावे, जिसने किसी एडवर्टाइजमेंट फर्म में काम किया हो, उसके बारे में ज्ञान हो, उसको लाकर बिठाना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि मौजूदा अफसर जो इन सब कामों के लिये रेस्पोन्सिबल हो, उसकी इनक्वायरी करें और इन्क्वायरी में वह गिल्टी साबित हो तो he should be

(श्री पी. के. चौधरी)

fixed, उसे फायर कर देना चाहिये।

इन तीन बातों के साथ में यह कट मोशन पेश करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र। लिस्ट नम्बर ५, सीरियल नम्बर १८० ।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री): Mr. Dy. Speaker, Sir, perhaps these cut-motions have not been received in time They have been received only yesterday at 5. 40 P. M. whereas they should have been received two days before. So I object to their admissibility.

श्री उपाध्यक्ष: Like wise for other cut-motions too. All the cut-motions in the list. were received yesterday at 5. 40. P. M. The objection is as against all of them. The relevant rule is 163.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय ……

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! I am just verifing from the record.

(श्री सचिव से परामर्श के पश्चात्)

Yes, Mr. Satish Chandra, can you explain the position ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रूल १६६ इस प्रकार है :

"Speaker to decide admissibility of cut motions.—The Speaker shall decide wheather or not a cut motion is adimissible under these rules and may disallow any cut motion when in his opinion it is........"

श्री उपाध्यक्ष : What do you say about Rule No. 163. Wheather in the light of the above rule it is within time ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : (जौहरी बाजार, जयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रूल १६३ में एक शब्द आया है :

"Notice of motions to reduce any grant shall be given two clear days before the day on which such item or such grant comes up for discussion."

तो मेरा माननीय उपाध्यक्ष, यह निवेदन है कि एक तो १६३ रूल में जो उल्लेख है उसके अनुसार कोई डे इसके लिए निश्चित होना चाहिये जिस दिन कि यह ग्रान्ट आने वाली हो। इस बारे में मेरा यह निवेदन है कि जो आॅर्डर इस कार्यालय से हमारे पास भेजा गया, जो लिस्ट हमें मिली उसमें यह कहीं स्पेसिफाइ नहीं है कि यह डिमान्ड आज आने वाली है।

दूसरा यह कि इसमें प्रोविज़ो आया है····

"Provided that the Speaker may in his discretion allow a motion to be moved at shorter notice." अगर स्पीकर महोदय चाहें तो उसको अलाऊ कर सकते हैं, शोर्ट नोटिस पर आने के बावजूद भी।

मेरा निवेदन यह भी है कि चूंकि यह कट मोशन सर्कुलेट कर दिया गया है तो

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

इससे माना जावेगा कि स्पीकर महोदय ने इसके शोर्टर नोटिस पर होने पर भी अलाऊ कर दिया है। इसलिये मैं उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करूंगा कि मुझे इस पर बोलने की आज्ञा दी जावे।

श्री उपाध्यक्ष : You mean to appeal to exercise the discretion of the Chair ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Yes, Sir.

श्री दामोदरलाल व्यास : मेरा अर्ज करना यह है उपाध्यक्ष महोदय, कि अगर माननीय सदस्य स्पीकर के डिस्क्रीशन को एक्सरसाइज करने के लिए कहते हैं तो इसके लिए वे कारण बतावें कि क्यों वे यह डिस्क्रीशन चाहते है; वे इसे टाइम में क्यों नहीं पेश कर सके और क्यों डिस्क्रीशन एक्सर्साइज़ करने की प्रार्थना करना चाहते हैं। खास कर ऐसे कट मोशन अभी यहां सर्कुलेट हुआ है इससे यह जाहिर नहीं होता कि यह स्वीकार कर लिया गया है। We never knew it that these matters will be subject of discussion in the House today as the motions have been circulated today,

यह पोसिबल नहीं कि हम इसका जवाब हाउस में दे सकें। इसलिए मैं समझता हूँ कि खास तौर पर इतने शोर्ट नोटिस पर जानबूझ कर जब इसे यहां भेजा गया है तो कोई वजह नहीं हो सकती कि डिस्क्रीशन उनके फेवर में लिया जावे। वे समय के अन्दर आसानी से भेज सकते थे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं शायद आपकी जानकारी....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़ !

श्री दामोदरलाल व्यास : सर्कुलेट हो गया इसलिए मान लिया जावे कि वह एडमिट हो गया, that is not correct. सर्कुलेट तो, जितने भी cut motions आवेंगे हो जावेंगे, पर्टिकुलर कट मोशन किस किस टाइम पर मूव हो जावेगा यह निश्चित नहीं होने से, but that does not mean that this motion is in order, that does not mean that it has been received within time. When it is objected to by the Government or by any Hon'ble member then, of course, that discretion should not be excercised in favour of any member.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, परसों की बात है कि खेतड़ी से आने वाले हमारे एक माननीय सदस्य ने प्रातःकाल प्रस्ताव प्रस्तुत किया था और उसे इसी प्रावधान के अन्तर्गत अनुमति प्रदान कर दी गई थी, हालांकि उसकी कॉपी भी माननीय सदस्यों को सर्कुलेट नहीं की गई थी। पर उस कट मोशन पर अध्यक्ष महोदय ने अपने अधिकारों को उपयोग में लेते हुए १६३ के प्रोविजो में अनुमति प्रदान कर दी थी।

श्री दयाकृष्ण विजय ने भी वैसे ही कट मोशन रक्खा और उस पर विचार प्रकट किए। मैं निवेदन करूंगा कि १६३ में भी अध्यक्ष महोदय को अधिकार है, वे अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए अनुमति प्रदान कर सकते हैं।

और चूंकि दूसरा कारण यह भी इसमें

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

विशेष रूप से है कि इसमें ऐसा कोई दिन निश्चित नहीं था कि जिस दिन कि यह मांग संख्या ३१, मेजर हैड ५७, ली जावेगी इस लिए यह कोई नहीं कह सकता कि क्लियर टू डेज नोटिस किस दिन तक होगा? इसलिए इन कारणों से मैं उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करूंगा कि मुझे इसे पेश करने की अनुमति प्रदान की जावे।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी सेवा में यह सबमिट करना चाहता हूं कि यह कट मोशन अध्यक्ष महोदय ने अपने विवेक से स्वीकार कर लिया है, ऐसा समझा जाना चाहिये क्योंकि इसे लिस्ट में प्रविष्ट कर लिया गया।

इसी तरह से कट मोशन की लिस्ट्स जो हमारे पास आई हैं और रोज आती रहती हैं उनमें कहीं यह नहीं दिखाया गया है कि इनमें अनुमति दी गई है या नहीं दी गई। इसलिये यह आप स्पष्ट करें कि अध्यक्ष ने अनुमति दी है या नहीं दी है। यह हम लोगों पर नहीं है, यह तो चेयर पर है। तीन-चार दिनों से इसी प्रकार कट मोशन भेजे जाते रहे हैं और उनको चेयर ने भी माना है। सकुर्लेट किये जाने का अर्थ हमतो यही मान कर चले हैं कि इसमें अध्यक्ष महोदय की विवेक सम्मत अनुमति निहित है। अब यह विवेक सम्मत अनुमति इसमें निहित है या नहीं; इस प्रश्न के स्पष्टीकरण का भार हम लोगों पर नहीं है, चेयर पर है। हम तो यही मानते हैं कि यह सूची अध्यक्ष की अनुमति से, उनकी विवेक सम्मत अनुमति से आयी है और उनको मूव करने का हमको हक है।

श्री उपाध्यक्ष: You mean to say that this legal poition cannot be raised; whether they are given in time or not.

श्री जनार्दनराय नागर: मेरा यह मकसद नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि अध्यक्ष महोदय की अपनी विवेक सम्मत अनुमति से यह लिस्ट सकुर्लेट हुई है और इस तरह से उन्होंने इसे सदन में प्रस्तुत करने की अपनी अनुमति दे दी है, अब अगर नहीं दी हैं तो इसको तो चेयर स्पष्ट करे। हमारे सामने ऐसा कोई उल्लेख इंगित नहीं है। बराबर इसी तरह से रोज लिस्टें हमारे पास आई हैं और उन पर सदन में बराबर बहस हुई है। आज दिन तक ऐसा कोई उल्लेख नहीं आया कि इस लिस्ट में अध्यक्ष महोदय की अनुमति निहित है या नहीं।

श्री पी. के. चौधरी: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक कट मोशन रक्खा था पर वह लिस्ट में नहीं आया था। मैंने जब ऑफिस में तलाश किया तो उत्तर मिला था कि जो एक्सेप्ट किया गया वह लिस्ट में आया है, जो रिजेक्ट हो जाता है वह लिस्ट में नहीं आता है, जो नहीं एक्सेप्ट होता है उसको लिस्ट में नहीं लेते हैं। जब ऑफिस इस तरह कहता है तो इसका मतलब यह है कि जो लिस्ट में आ गया वह एक्सेप्ट हो गया है। तो यह भी लिस्ट में आ गया है तो माना जाना चाहिये कि यह एक्सेप्ट हो गया है। आप इसके लिए सेक्रेटरी से पूछ सकते हैं।

इसलिए मैं मानता हूं कि यह एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि जब यह लिस्ट में आ गया है तो इसे स्पीकर महोदय ने एक्सेप्ट कर लिया। इस पर डिसकशन होना चाहिये।

श्री जनार्दनराय नागर: On a point of order. For your information Mr. Deputy Speaker, मैंने भी एक कट मोशन दिया था जो असेम्बली सेक्रेटेरियेट

(श्री जनार्दनराय नागर)

ने मन्जूर किया है। वह इस कटमोशन्स की लिस्ट में मन्जूरी प्राप्त करके आया है।

श्री दामोदरलाल व्यास: माननीय उपाध्यक्ष, जो कट मोशन्सरिलेवेन्ट नहीं हैं उनको रिजेक्ट कर दिया जाता हैं। कट मोशन आता है तो टाइम दिया जाता है कि कब रिसीव किया गया। That means the legal position is clear. Every Member has got a right to take an objection under rule 163; and this is a proper opportunity for raising that objection and therefore I have raised that objection.

(विराम)

रावराजा श्री सरदारसिंह : यह क्या हो रहा है, उपाध्यक्ष महोदय ?

श्री उपाध्यक्ष : This question requires thought. It is a serious question.

(विराम)

श्री दयाकृष्ण विजय : उपाध्यक्ष महोदय, यह सीरियस प्रश्न नहीं है। आप अपना इस पर डिस्क्रीशन यूज कर सकते हैं। माननीय सदस्य को इस कट मोशन पर बोलने का अधिकार है। अगर उनको नहीं बोलने दिया गया तो सदन की कार्यवाही में विघ्न पैदा हो सकता है। रूल १६३ के अनुसार आपको डिस्क्रीशनरी पॉवर्स हैं। इसलिए माननीय सदस्य को आप आज्ञा दें बोलने के लिए, ताकि सदन की कार्यवाही में कोई विघ्न पैदा न हो।

श्री रामकिशोर व्यास (विधि मन्त्री) : The question before the House is whether the cut-motions moved by Shri Satish Chandra can be taken up for discussion or not ? The cut-motions were sent yesterday, 15. 5. 57 at 3. 20 P. M. Under Rule 163 of our Business Rules cut-motions shall be sent two clear days before the Demand is to be discussed. Therefore, in ordinary course under the Rule we cannot discuss it.

Now the objection has been raised that when the cut-motions have been circulated it will be presumed that the Speaker has exercised his discretion and has admitted the cut-motions. I think the view is not correct. The circulation does not mean admission. It means only a notice which the office has received, of which notice is given to the Members. It is subject to all the rules of the Rules of Procedure. It does not over-ride the Rules of Procedure. Therefore, it can never mean that the cut-motions sent on 15 th May, 1957, can be discussed under the Rules unless the Speaker exercises his discretion otherwise. So far, the mere circulation does not mean that the Speaker has exercised his discretion. It is for the Speaker to say whether he wants to exercise his discretion or not.

So far as the Government's view is concerned no special reasons are given by the hon'ble members on account of which the discretion of the Chair could be

(श्री रामकिशोर व्यास)

invited to be exercised. Even the Government cannot reply with a shorter notice. Cut-motions have been received in the House and then in a very short time that we had, we cannot reply.

Therefore, I submit that they (cut-motions) should not be admitted.

श्री दयाकृष्ण विजय : माननीय उपाध्यक्षजी, रूल १६३....

(कुछ विराम के अनन्तर)

श्री छोटूसिंह : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री दयाकृष्ण विजय : ठहरिये । माननीय उपाध्यक्षजी, मैं निवेदन करूं ?

श्री उपाध्यक्ष : Yes. go on.

श्री दयाकृष्ण विजय : जहां तक रूल १६३ के प्रयोग का प्रश्न उठता है जब यह क्लेरिफिकेशन कर देते कि मांग संख्या ३१ इस निश्चित तिथि को ली जाने वाली है, तो माननीय सदस्यों को मालूम हो सकता था कि दो दिन पहले कटमोशन समर्पित कर देते । लेकिन कोई तिथि निश्चित नहीं की गई । जब रूल १६३ पर विचार किया जाय और यह कहा जाय कि कटमोशन न रखा जाय तो यह उचित नहीं है । जब तक पर्टिकुलर डेट के लिए अनाउन्स नहीं कर देते तब तक इस रूल का प्रयोग नहीं कर सकते । जब कि इस सदन के सारे सदस्यों को यह सूची मिल चुकी है, इसका सरकुलेशन हो चुका है, अब उनको इस दृष्टि से बाध्य करना कि वे विचार प्रकट न करें, यह ठीक नहीं होगा । १६३ वें रूल में डिस्क्रीशनरी पॉवर्स दी गई हैं और उनका आप प्रयोग कर सकते हैं । इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आप माननीय सदस्य को बोलने की आज्ञा प्रदान करेंगे ।

श्री छोटूसिंह (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, १६३ वें रूल में यह प्रतिबंध भी है ... "Provided that the Speaker may in his discretion allow a motion to be moved at shorter notice." मुझे अर्ज करना यह है कि जो एजेन्डा सर्कुलेट हुआ है उस एजेंडा में भी यह लिखा हुआ है: "Shri Satish Chandra (151) to move" That stage of admission is already over. Your honour has already permitted the hon'ble member to move his cut-motion. The hon'ble member's name has already been called, "Mr. Satish Chandra to move." I think that stage has gone and now the hon'ble member will be permitted to move his cut-motion.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वा. शा. मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान रूल २०८ की तरफ दिलाना चाहता हूँ । वह कहता है, when a motion is given notice of in that case what would happen ? "The Secretary shall circulate to each member a copy of every notice or other paper which is, by these rules, required to be made available for the use of Members."

तो यह जो कटौती प्रस्ताव सेक्रेट्री द्वारा सर्क्युलेट किया गया है उसके बारे में यह कहना कि स्पीकर ने उसे एडमिट कर लिया है, गलत है । It has been circulated

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

by the Secretary. जितने मोशन आते हैं उनको सर्क्युलेट कर दिया जाता है लेकिन जो सर्क्युलेट कर दिये गये हैं उनको एप्रूव करना न करना स्पीकर के अधिकार में है This is for the Speaker to decide when it is being moved. इसका मतलब यह है कि सर्क्युलेट करने ही से वह एडमिट नहीं कर लिया गया।

श्री छोटूसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आपने माननीय मेम्बर को कॉल भी किया है and that discretion has already been exercised knowingly or unknowingly.

श्री जनार्दनराय नागर : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री का यह कहना कि असेम्बली के सेक्रेटरी ने सर्क्युलेट किया है वह ठीक है, लेकिन स्पीकर जो कुछ सदन का एजेन्डा बनाते हैं वह सेक्रेटरी द्वारा ही सर्क्युलेट होता है इसलिए इसको इतना डिस्टिन्क्ट (Distinct) करना फेयर (Fair) नहीं होगा। मैं मानता हूँ कि स्पीकर ने सब बातें अपने विवेक पर सीमित करके तय की हैं।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न इस समय सदन के सामने उपस्थित है उसके बारे में निवेदन करना यह है कि श्री सतीशचन्द्रजी ने इस सम्बन्ध में अपना कटौती प्रस्ताव कल प्रस्तुत किया और उस केबाद इस सदन के माननीय सचिव ने इस प्रस्ताव को सर्क्युलेट कर दिया। माननीय मन्त्रीजी ने यह कहा कि सर्क्युलेट करने का तात्पर्य यह नही निकाला जावे कि अध्यक्ष की उस पर स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। मैं समझता हूँ, यदि हम नियमों का सख्ती से पालन करें तो शायद हम इस निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं कि सर्क्युलेशनों का इस प्रकार तात्पर्य नहीं निकाला जाय। लेकिन पिछले पांच वर्षों में इस प्रकार देखा है और इस वक्त भी देखा है कि कुछ ऐसे कन्वेंन्शन्स बनते है जिनको कवर करने के लिये स्पेसिफिक रूल्स नहीं होते लेकिन कुछ धारणाएं हैं जो काम करने पर बनती हैं। उसके अनुसार जब सचिव महोदय के द्वारा इस प्रकार सर्क्युलेशन हो जाता है तब चाहे नियम में कोई बात न भी हो या नियम में प्रोविजन है या नहीं, यह स्पष्ट है कि वे अध्यक्ष की स्वीकृति प्राप्त कर चुके हैं और इस पर वाद–विवाद होगा। मैं समझता हूँ, हमें यह मान कर चलना चाहिए। सर्क्युलेशन के बाद हम यह प्रिज्यूम करके चलें कि इस पर वाद–विवाद होगा। मुझे यह भी बताया गया कि उपाध्यक्ष महोदय की तरफ से यह कहा गया है कि वे प्रस्ताव प्रस्तुत करें। इसके बाद यह बात भी गुजर जाती है, जिस पर ऐतराज करते हैं कि दो दिन पहले कटौती प्रस्ताव नहीं आया है। मैं समझता हूं, यह कटौती प्रस्ताव वाजिब है। इसे मूव करने देना चाहिए।

श्री श्रीभानसिंह : Mr. Dy. Speaker, may I draw your attention...

श्री उपाध्यक्ष : Yes.

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : Rule 163 is clear that two clear days' notice is required for the cut-motion. The argument that the hon'ble members gave was that once the name has been called the motion is taken as moved. But the Speaker or the Deputy Speaker can call out any name. The objection can only be raised when the motion is moved. Before the member Concrned is asked to move his motion nobody can raise any objection. When that was done the

(श्री श्रीभानसिंह)

Treasury Benches raised an objection that two clear days notice was not given. So the odjection is valid. Now I appeal to your mercy.

श्री उपाध्यक्ष : Is there any element of mercy so far as law itself is concerned ?

श्री श्रीभानसिंह : "Provided that the Speaker may in his discretion allow a motion to be moved at shorter notice."

श्री उपाध्यक्ष : Discretion is different from mercy.

श्री श्रीभानसिंह : This proviso added here means that if the Demand has not been sufficiently debated then only this proviso can be applied and the hon'ble member can be asked to move, otherwise there is no provision which permits the hon'ble member to move his cut-motion.

श्री उपाध्यक्ष : The decision is, circulation of the cut-motions only means that the cut-motions are in order so far as other formalities are concerned, except this legal position. The present point as to its admissibility being a legal one can be raised at any stage. In the present case the notice of the motion as desired under Rule 163 has not been given and, therefore, the cut-motions are disallowed. As to the discretion of the Chair I see no ground to exercise it. Therefore, all the cut-motions......

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ...

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं कट मोशन के लिये नहीं बोल रहा हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : I have not disposd of the objections as yet, therefore, the cut-motions submitted by Shri Satish Chandra on 15. 5. 1957 and received in the office at 3. 20 P. M. are all dis-allowed.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन के माननीय सदस्यों के सम्मुख....

श्री उपाध्यक्ष : Is is a point of order or what ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जो प्रस्ताव कटौती के सदन में प्रस्तुत किये गये हैं उनके समर्थन में बोलना चाहता हूँ, उन पर बोलने का मुझे अधिकार है। मैं उपाध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा कि मुझे बोलने की अनुमति दें।

श्री उपाध्यक्ष : किसी सम्बन्ध में; निरस्त किए गये उसके सम्बन्ध में क्या ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जी नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : Then what is that question.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जो प्रस्ताव सदन के सम्मुख आ चुके हैं।

Page No.94

श्री उपाध्यक्ष : कौन से प्रस्ताव पर बोलना चाहते हैं ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जो प्रस्ताव श्री पी० के० चौधरी ने रखा है। "to discuss in efficiency of the Publicity Board"

श्री उपाध्यक्ष : आप उसके पक्ष में या विपक्ष में बोलने की बात कह रहे हैं ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जी हां।

श्री उपाध्यक्ष : The motion is no wbeeing taken. All the cut-motions have not as yet been moved. श्री मुरलीधर व्यास, आप बोलिये जैसा चाहें।

श्री मुरलीधर : उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री उपाध्यक्ष : I am sorry. I mean you (Shri Satish chandra) hon'ble member.

श्री मुरलीधर व्यास : मैं भी समर्थन में बोलना चाहूँगा।

श्री उपाध्यक्ष : Yours will be the next chance.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं भी एक बात अर्ज करना चाहता हूँ इस सम्बन्ध में।

श्री उपाध्यक्ष : बात क्या है, Whether it is a point of order for a point of information?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ओन ए पोइन्ट ओफ ओर्डर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने इसके लिये टाइम मुकर्रर किया है। १।। घन्टे का टाइम सारी डिमाण्ड पर दिया जाय, इस ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मुझे बोलने की आज्ञा दे दी गई है।

श्री उपाध्यक्ष : सदन के सम्मुख मैं इस बात को रख देना चाहता हूँ कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने डेढ़ घन्टे का समय इसके लिये रखा है। मैंने अनुमति अवश्य दी है आपको बोलने के लिये लेकिन आप इसको दृष्टि में रखते हुए समय लें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बहुत अच्छा साहब, ध्यान में रखेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या ३१, मुख्य शीर्षक ५७ के सम्बन्ध में जो विशेष रूप से कटौती का प्रस्ताव आया है वह पब्लिसिटी बोर्ड से ताल्लुक रखता है। मैं अपने कुछ विचार माननीय सदस्यों के समक्ष प्रगट करना चाहूँगा। मांग संख्या ३१ में हमने ११ लाख ३६ हजार की राशि पब्लिसिटी बोर्ड के नाम से निश्चित की है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक मेरी जानकारी है, राजस्थान में पब्लिसिटी बोर्ड के नाम से कोई भी संस्था, कोई भी विभाग, कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है, यह मेरी जानकारी है। मैं समझता हूँ मन्त्री महोदय इस बात से सदन के माननीय सदस्यों को अवगत करायेंगे, पब्लिसिटी बोर्ड कौन सा विभाग है, कौनसी संस्था है हमारे राजस्थान में ? जहां तक मेरी जानकारी है, उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय है। मैं समझता हूं कि जो यह ग्रान्ट रखी है, उसके नाम से टेक्नीकल पोजिशन खड़ी होती है। जब राजस्थान में पब्लिसिटी बोर्ड के नाम से कोई संस्था नहीं है, कोई डिपार्टमेंट नहीं है, तो किस पब्लिसिटी बोर्ड के नाम

Page No.95

(श्री सतीशचन्द्र)

से, किस संस्था के नाम से यह राशि मन्जूर की जायगी ? यह टेक्नीकल पोजीशन माननीय सदस्यों के सामने है।

आज पब्लिसिटी बोर्ड के नाम से जो राशि प्रस्तुत की गई है, उसके सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने विचार प्रगट किये कि कितना पक्षपात, कितनी अनियमितता इस सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय में होती है। इस सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय के लिए तथा कथित बोर्ड के लिए ११ लाख ३६ हजार की राशि हमने निश्चित की है। परन्तु माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि इस पब्लिसिटी बोर्ड का, सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय का जनता से सम्पर्क करने का कर्त्तव्य होना चाहिए, वह सार्वजनिक सम्पर्क क्या करता है ? ११ लाख ३६ हजार की राशि लेने के बाद वह प्रेस बुलेटिन इश्यू करता है, उन बुलेटीन्स में, माननीय मन्त्री के बारे में कि कहां उन्होंने उद्घाटन किया, कहां कैंची से रस्सी को काटा, धागे को काटा, कहां नुमाइश का उद्घाटन किया, कहां पुलिस का उद्घाटन किया। इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं होता....

श्री उपाध्यक्ष : Even in impr essions the Hon'ble member, you are a little contemptuous.

श्री सतीशचंद्र : मेरा आशय यह नहीं। मेरे कहने का तात्पर्य इतना ही है कि उन उद्घाटनों के सम्बन्ध में केवल प्रेस बुलेटिन में समाचार होते हैं, जो सार्वजनिक कार्यालय द्वारा समाचार पत्रों को भेजे जाते हैं।

इसके अतिरिक्त फोटो सेक्शन है, उसके लिए ३७ हजार की धन-राशि रखी है। मैं निवेदन करूंगा माननीय सदस्यों से कि यह जो फोटो विभाग है, वह फोटो किसकी खींचता है, क्या गरीब जनता की, विकास योजनाओं की, क्या राजस्थान की पंचवर्षीय योजना की हमारे सामने सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय फोटो रखता है ? नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो ३७ हजार की धन-राशि फोटो सेक्शन के नाम पर निश्चित की है वह ३७ हजार माननीय मंत्रियों के चित्र खींचने के लिए बड़ी बड़ी तस्वीरें लेकर, पोज़ेज़ लेकर, उनको एलबम प्रेजेन्ट करने के लिए यह ३७ हजार की धन-राशि खर्च की जाती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गवर्नमेंट का पैसा पब्लिसिटी बोर्ड के नाम पर, सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय के नाम पर केवल मंत्री महोदय के चित्र खिचवाने के लिए, पोजेज लेने के लिए, उनके उद्घाटन के भाषण का प्रेस बुलेटिन अखबारों में पहुंचाने के लिए दिया जाता है; जबकि पब्लिसिटी बोर्ड का उद्देश्य, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिसके लिए इतनी धन-राशि निश्चित की है, जनता से सम्पर्क, पत्रकारों से सम्पर्क, स्थापित करना है। पत्रकार, जो जीवन को आगे बढ़ाने वाले, देश की उन्नति से अवगत कराने वाले, गवर्नमेन्ट की विचारधारा को सही रास्ते पर ले जाने वाले हैं, उन पत्रकारों के बारे में मैं दो शब्द कहना चाहूंगा। आज ८-६ हजार की राशि पब्लिसिटी बोर्ड को पत्रकारों का स्वागत करने के लिए निश्चित की है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आपत्ति नहीं, पत्रकारों का स्वागत होना चाहिये लेकिन हमने एक तरफ राजस्थान में देखा, इस प्रकार के समाचार पढ़े हैं, कि सरकारी उत्सवों में पत्रकारों का अपमान किया जाता है, उनको निमन्त्रण तक नहीं भेजा जाता, उनको बुलाया नहीं जाता, उनको किसी चीज की जानकारी नहीं दी जाती, लेकिन दूसरी तरफ ७-६ हजार की

(श्री सतीशचन्द्र)

राशि पत्रकारों के स्वागत के लिए, बम्बई और कलकत्ता में राजस्थान सरकार की शासन को कायम रखने पर खर्च की जाती है। मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहूँगा कि आप बिल देख लीजिये, उनसे पता लगेगा कि किस प्रकार पत्रकारों को भ्रष्ट किया जाता है. क्या यह सरकार के हाथों शोभा देता है ?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एडवर्टाइजमेंट के लिए काफी धन–राशि रखी है, एडवर्टाइजमेंट के बारे में मैंने आपसे निवेदन किया था जब कि मैंने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अपने विचार रखे थे कि किस प्रकार से एडवर्टाइजमेंट दिये जाते हैं, किस प्रकार से विज्ञापन दिये जाते हैं। एक अखबार को ४० हजार की राशि एक साल में दे दी जाती है; नवयुग, राष्ट्रदूत, संयुक्त राजस्थान और नवजीवन इत्यादि बहुत से अखबार इस प्रकार के हैं, उनको विज्ञापन दिये जाते हैं। लेकिन ऐसे भी अखबार हैं जो विज्ञापन के अभाव में, सरकार के सहयोग के अभाव में आज चल नहीं पा रहे हैं। मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करूंगा कि विज्ञापन की नीति के सम्बन्ध में पब्लिसिटी डिपार्टमेंट से कुछ तय नहीं किया गया, आज इसका कोई मेनुअल नहीं है। सार्वजनिक निर्माण मन्त्री ने अपने विचार प्रगट किये थे कि पी. डब्ल्यू. डी. का मेनुअल है, कोड है लेकिन पब्लिसिटी बोर्ड, जिस पर ११ लाख ३६ हजार की धनराशि खर्च की जा रही है, का कोई मेनुअल नहीं है, कि कौन सा विज्ञापन किस आधार पर देंगे, कितनी राशि का देंगे, किसको देंगे ? मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहूँगा कि पब्लिसिटी बोर्ड की ओर से ब्लॉक्स बनवाये जाते हैं, जब नुमाइश होती है तो उसके टेंडर कॉल किए जाते हैं और टेण्डर कॉल करने के बाद जिसका सबसे कम टेण्डर आता है, उसका सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय से टेण्डर मन्जूर किया जाता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप रिकार्ड को एग्ज़ामिन करके देख लीजिये, एक साल पहले सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय से टेण्डर इन्वाइट किये गये, मेरे पास सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय का पत्र है, उनका भेजा हुआ पत्र है ....

श्री उपाध्यक्ष : Is it a new matter being introbuced

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : नहीं उपाध्यक्ष महोदय, मैं पब्लिसिटी बोर्ड के बारे में बोल रहा हूँ, जो धनराशि इसके लिए रखी गई है उस पर बोल रहा हूं। तो ब्लॉक्स के लिए टेण्डर मांगे गये, टेण्डर आने पर टेंडर मन्जूर किया, टेन्डर मन्जूरी का ऑर्डर दिया, लेकिन भगवान जाने क्या होता है, विभाग जाने क्या हुआ, वह आर्डर कैंसिल करके दूसरे आदमी को आर्डर दिया जाता है, वह ५०० रु० के बजाय १२५० रु० में कराया जाता है, जो तीन दिन का समय रक्खा था, उसके बदले २४ घण्टे में होना चाहिए, यह कह कर अर्जेन्ट किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, समय नहीं है नहीं तो जो टेण्डर मांगा, उसकी कॉपी रखता, ऑर्डर रखता, नोटिफिकेशन रखता। लेकिन अभी ये सारी चीजें रखने के लिए मेरे पास समय नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पब्लिसिटी बोर्ड के विज्ञापन के बारे में, फोटोज़ के बारे में, एग्ज़ीबिशन के बारे में जो एक्सपेंडीचर हुआ........

श्री उपाध्यक्ष : Are you going to be too lengthy ! It is going to be 5.00.

Page No.97

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : मैं ऐसा जल्दी बोल रहा हूँ, जैसे हवाई जहाज चलता है। आप मुझ पर आरोप क्यों लाद रहे हैं? मुख्य मन्त्री जी का आरोप है, रिपोर्टर्स का आरोप है कि मैं बहुत जल्दी बोलता हूँ। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसी आपकी मर्जी वह करें।

मैं समझता हूं कि इन सब पर जो दिल्ली में एग्ज़ीबिशन लगी उसमें करीब १ लाख रुपयों का एक्सपेन्डीचर किया गया। दिल्ली में जो एग्ज़ीबिशन में ५० हजार रुपया म्युनीसिपल बोर्ड, विकास विभाग आदि की ओर से सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय द्वारा एक एक स्टॉल लगाया गया और उसको सजाने के लिए तीन हजार रुपये खर्च किये गये। वहां लोगों ने तूफान खड़ा किया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि उस तूफान के कारण वह धनराशि ८०० रु० कर दी गई। जहां ३ हजार खर्च करने थे, वहां ८०० रु० दिखाये गये, जहां ५०० रु० खर्च हो रहे थे, वहां टेंडर १२५० रु० का मंजूर किया गया। इस प्रकार से सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय को ११ लाख ३६ हजार रु० लेने का अधिकार रखा है।

माननीय उपाध्यक्ष, मैं इस सम्बन्ध में सदन का अधिक समय न लेकर विकास अखबार जो निकलता है, एक माननीय सदस्य ने रखा कि पब्लिसिटी बोर्ड की तरफ से पुस्तिका निकली है, उसके १५ पृष्ठ पर नग्न बहिनों के चित्र थे, इससे ज्यादा शर्मनाक चीज और कोई नहीं हो सकती। पर मन्त्री महोदय ने जानने की कोशिश नहीं की। इस अखबार को निकालने वाले कांग्रेस के उच्च नेता जो इस समय यहां नहीं हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनमें योग्यता देखी जाय तो कुछ नहीं है, सिविल सप्लाईज़ विभाग में क्लर्क थे। राजस्थान की विकास योजनाओं के लिए राजस्थान की डेढ़ करोड़ जनता में से ऐसा व्यक्ति कैसे पहुँचा सकता है? इतना घोर पक्षपात और इतनी घोर अनियमितताएं आज प्रशासन के बारे में हैं।

अतः माननीय उपाध्यक्ष, मैं निवेदन करूंगा कि इस विभाग के सम्बन्ध में, सार्वजनिक संपर्क कार्यालय के सम्बन्ध में जो वह कटौती का प्रस्ताव रखा गया है उसे स्वीकार करेंगे और इस मांग को अस्वीकार करेंगे।

श्री जनार्दन राय नागर : उपाध्यक्ष महोदय,......

श्री उपाध्यक्ष : With the leave of the House may I request the Hon'ble Minister-in-charge to give a reply? Because we are short of time and it is about to strike five, I think we should allow him......

श्री जनार्दनराय नागर : Sir, it is a very important subject and we should be allowed to express our views on this matter.

श्री उपाध्यक्ष : मेरा निवेदन सुन लीजिये, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का संकेत है समय के सम्बन्ध में कि डेढ़ घन्टे का समय दिया जाय और समय उससे अधिक हो गया है।

श्री जनार्दनराय नागर : आप आज्ञा दें तो मैं कुछ निवेदन करूं। बिज़नेस एडवाइजरी कमेटी की बात थी वह आज का सदन शुरू होने से पूर्व सदन के सामने आनी चाहिए थी। जो कुछ निर्णय किया वह सदन के प्रारम्भ में ही मालूम होना चाहिये था।

श्री उपाध्यक्ष : चूंकि उस समय कहा नहीं गया, इसीलिये तो बड़ी नम्रता से कह रहा हूं।

श्री जनार्दनराय नागर : बिज़नेस एडवाइजरी कमेटी का मेन्डेट सदन के सामने

Page No.98

(श्री जनार्दनराय नागर)

दे देना चाहिये था, पर चूंकि हमें यह पहले नहीं दिया गया है इसलिए मुझे बोलने का समय दिया जाय। जिन फोटोग्राफ्स के बारे में यहां बहुत जोरों से कहा गया है उस सम्बन्ध में मुझे कुछ निवेदन करना है।

श्री उपाध्यक्ष : Had this been done, I would have been a little bold. Then we proceed very liberally.

श्री जनार्दनराय नागर : उपाध्यक्ष महोदय, जन-सम्पर्क कार्यालय के बारे में कटौती प्रस्ताव रखा गया है, उसके बारे में बहुत सी बातें कही गई हैं, उनमें मैं नहीं जाना चाहता। हमारे माननीय मित्र चौधरी ने बड़ी दिलचस्प बात रखी है। उन्होंने जन सम्पर्क कार्यालय द्वारा प्रकाशित पुस्तिका के बारे में दो एतराज उठाये कि मुख पृष्ठ पर एक ऐसी तस्वीर दी गई है जो मैं समझता हूँ धन्वन्तरी की तस्वीर है, दूसरा एतराज छोटी बच्ची का दिगम्बर फोटो है उसके बारे में किया है। इसको उन्होंने सौन्दर्य शास्त्र की दृष्टि से बड़ा बदसूरत बताया है।

श्री उपाध्यक्ष : If you would have read the pamphlet you could rightly say.

श्री भैरोंसिंह : माननीय उपाध्यक्ष, मैं यह जानना चाहूँगा कि माननीय सदस्य कौन से कट मोशन का समर्थन या विरोध कर रहे हैं?

श्री जनार्दनराय नागर : जहां तक कहा गया है, किसी धार्मिक महापुरुष, किसी धर्म-संस्थापक की तसवीर देना सेक्युलेरिज्म के खिलाफ नहीं है। सेक्युलेरिज्म का मतलब यह नहीं है कि धार्मिक नेता का, किसी धार्मिक महापुरुष का फोटोग्राफ नहीं दे सके। देने का यह मतलब होता है कि भारत की नागरिकता में धार्मिक महापुरुषों का स्थान ऊंचा मानते हैं। विकास की सूचनाओं में, विकास के कार्यक्रमों में उनके फोटोग्राफ जनता के सामने रखना, इसके माने हैं कि उस फोटो से फायदा उठाना चाहते हैं। जो फोटोग्राफ रखा है वह भगवान् धन्वन्तरी का है। सदियों पहले भगवान् धन्वन्तरी आयुर्वेद के पिता थे, संस्थापक थे, उनसे उनके आयुर्वेद शास्त्रों से कोटि कोटि जनता ने प्राण, प्रकाश और स्वास्थ्य का लाभ किया है। यह पुस्तिका स्वास्थ्य के सम्बन्ध में है और स्वास्थ्य सम्बन्धी पुस्तिका के मुख पृष्ठ पर कोटि कोटि जनता को स्वास्थ्य प्रदान करनेवाले भगवान् धन्वन्तरी का फोटो देकर कोई पाप नहीं किया। यह धन्वन्तरी का फोटो है, हाथ में कलश है। हाथ में कलश हो तो समझ लेना चाहिए कि धन्वन्तरी का फोटो है। दूसरी छोटे बच्चे की तसवीर दी गई है, गांवों के बच्चे कुछ गन्दे रहते हैं उनकी तसवीर खराब होती है, इसलिए उन्हें बताने के लिए ऐसी तसवीर दी गई है। आज दुनियां भर में दिगम्बरवाद की प्रथा बन्द नहीं है। चौधरी साहब को शायद मालूम नहीं कि अमेरिका में नग्नतावाद का, न्यूडिज्म का बड़ा भारी प्रचार है, दिगम्बरवाद वहां एक ultra modern वाद बना हुआ है और दो करोड़ अत्यन्त सभ्य नर-नारी उसके मानने वाले हैं।

श्री भीमानसिंह : Are you starting it here or what?

श्री उपाध्यक्ष : That is still under consideration.

Page No.99

श्री जनार्दनराय नागर : मैं समझता हूं, भारतवर्ष में भी दिगम्बर रहना पाप या अश्लीलता नहीं माना जाता। हमारे देश में दिगम्बर रहना भगवान् का रूप है। इसलिए इस बच्चे की तसवीर को लेकर कहना कि अश्लीलता है, यह उचित नहीं :

श्री अर्जुनदास : Does the Hon'ble Member propose to follow the suit ?

श्री जनार्दनराय नागर : If my friend is ready with me, we can start it here as well.

श्री अर्जुनदास : I mean, here.

श्री जनार्दनराय नागर : इसलिये मैं कहना चाहूंगा कि जहां तक इस तस्वीर का सवाल है, धन्वन्तरी का फोटो छापने का सवाल है उसके लिये कह देना कि अमुक अधिकारी को फायर कर दो, यह उस अधिकारी के इरादे के प्रति न्याय नहीं है। और छोटी-मोटी बातें कही गई हैं उनकी तफसील में नहीं जाना चाहिये। यह एक आवश्यक और अहम बात थी, इसके लिये निवेदन किया। शायद मेरे मित्र चौधरी को मालूम नहीं है कि हिन्दुस्तान के ३३ करोड़ देवी-देवताओं में २२ करोड़ देवता ऐसे हैं जो दिगम्बर रहना पसन्द करते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे माननीय मित्र ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उसके समर्थन में मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

जहां तक इस विभाग का ताल्लुक है हर आदमी महसूस करता है कि यह विभाग खास करके इसलिये है कि राजस्थान के अन्दर राजस्थान सरकार क्या क्या काम करती है, चाहे वे अच्छे काम हैं या बुरे हैं, हर बात का आम लोगों को इन बातों से परिचय करा दे और अपनी बात को लोगों के सामने परिचित कराने के लिये सरकार जिस तरह से काम करती है, उस उद्देश्य की पूर्ति होती है। मैं समझता हूं, इस विभाग में इतना रुपया खर्च किया जाता है, उसका उद्देश्य यह है कि हमारे प्रान्त में होने वाली घटनाओं से खास तौर से सरकार द्वारा किये गये कार्यों से जनता परिचित हो, इसके लिये यह विभाग है।

दूसरा काम भी यह विभाग करता है, तो हर आदमी महसूस करेगा कि जो दूसरा काम यह विभाग करता है, उसके लिये यह विभाग नहीं रखा गया है। इसमें कई फोटो छापे जाते हैं, मन्त्री कहां जाते हैं, कहां क्या काम करते हैं, कहां कहां दौरा करते हैं, इस बात के प्रचार के लिये सरकार इस विभाग का उपयोग करती है, तो यह जनतन्त्र की हत्या है। राजस्थान में जो काम करते हैं उनसे आम लोगों को परिचित कराने के लिये उन कामों को प्रसारित करने की दृष्टि से यह विभाग काम करे तो उससे आम लोगों को ज्ञान होता है। पर इस विभाग से अधिकांश मेटर इंग्लिश में निकलता है जिसको आम लोग समझते नहीं। उन किताबों को देखते हुए स्पष्ट मालूम होता है कि जिस उद्देश्य को लेकर खर्चा किया जाता है, उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है।

दूसरी एक खास बात इस विभाग के बारे में यह है कि यू० पी०, बम्बई आदि प्रान्तों के पब्लिसिटी डिपार्टमेंट्स की ओर से जो इस प्रकार की पुस्तकें, इस प्रकार का मेटर निकलता है उसमें कागजों का खर्चा इस तरह से

(श्री मुरलीधर व्यास)

नहीं होता है। खास तौर से यू० पी० के पब्लिसिटी विभाग की ओर से जो मेटर निकलता है उसमें बहुत पतले और सस्ते कागज़ यूज़ किये जाते हैं, पर यहां हर डिविजन में चले जाइये, हर डिवीजन में पब्लिक रिलेशन्स ऑफीसर और पब्लिसिटी महकमा है....

श्री श्रीभानसिंह : I rise on a point of privilege. It is five O'clock and it is the privilege of the House to rise for the day.

श्री श्रीभानसिंह के औचित्य प्रश्न पर अध्यक्षीय निर्णय

श्री उपाध्यक्ष : The Hon'ble Member will resume his seat, please. Before we rise, I would like to announce the ruling of the chair on the point of order which was raised by Shri Sribhan Singh on 14th May ,' 57

"The statement made by Shri Ram Karan Singh., M. L. A , on 14. 5. 57 during the course of discussion when looked into, in the light of his explanation offered to convey the sense of his expressions do not however warrant a serious view. Parliamentary language is never more desirable than when a member is convessing the opinions and conduct of his opponents in debate. It is, therefore, expected of the Hon'ble Members to be respectful while giving vent to their feelings in future. The point of order so raised by Shri Shribhan Singh is not well taken.

श्री रामकिशोर व्यास : इस डिमान्ड पर दो घन्टे हो गये हैं, आपने १॥ घन्टा मुकर्रर किया था। मैं समझता हूं कि जिस किसी सदस्य को इस पर बोलना हो बोल लें और कल इसका जवाब हो जाए।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की क्या अनुमति है ?

अनेक माननीय सदस्य : समय हो गया है।

श्री उपाध्यक्ष : If the House so allows we may close the debate and the right of the Government may be reserved for the next day. Is it the leave of the House ?

(Yes, yes.)

Thank you.

So we adjourn till tomorrow at 11. 00 A. m.

(सदन की कार्यवाही ५ बज कर २ मिनट पर, दिनांक १७ मई, १९५७, तक के लिये स्थगित हुई)

संक्षिप्त विवरण

(बृहस्पतिवार, १६ मई, १९५७)

श्री लालसिंह शक्तावत द्वारा शपथ-ग्रहण

श्री शक्तावत महोदय ने सदस्यता की शपथ ग्रहण की।

तारांकित प्रश्नोत्तर

ग्राम रसीलपुर (त० रूपवास) के समीप गम्भीर नदी के ऊपर पुल (कल्वर्ट) निर्माण की योजना

न्यू कोलोनी, जयपुर की सड़क का निर्माण कार्य

गत भूस्वामी आन्दोलन में कारावास में लिये गये व्यक्ति

सन् १९५५-५६ में जिला बोर्ड जयपुर में निर्माण किये गये पंचायत व औषधालय भवन

राजस्थान में घोषित वन क्षेत्र

बाड़मेर म्युनिसिपल बोर्ड को १९५० से सहायतार्थ दी गई धन-राशि

तहसील बड़ोदा मंडावरे की खाड़ी के पुल निर्माण का ठेका

उम्मेदवाद (त० जालोर) के सरपंच को पृथक करना

भीलवाड़ा में माइका लेबर वेलफेयर फण्ड की स्थापना

मानस (त० लाडपुरा) में स्थित चन्दलोई नदी के पुल का जीर्णोद्धार

गत वर्ष लघु व मध्यम सिंचाई योजना हेतु धन-राशि

राजस्थान में १०००० जन-संख्या वाली नगरपालिकाएं

बीकानेर डिवीजन में मलेरिया की रोक थाम हेतु शासकीय कार्य

सन् १९५२-५३ में ट्रैक्टरों हेतु दिया गया ऋण

११ मार्च १९५६ को सुजानगढ़ नगर मण्डल में हुये निर्वाचन

पाली नगरपालिका की गत वर्ष आय-व्यय की हुई जांच

सिकन्दराघाट से गीजगढ़ को सड़क का ठेका

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इस वर्ष बनाई जाने वाली सड़कें

पुरः स्थापित विधेयक

निम्नलिखित विधेयक पुरः स्थापित किये गये :

१. राजस्थान सेल्सटैक्स (अमेण्डिंग एण्ड एक्सटेंडिंग) विधेयक, १९५७

२. राजस्थान जनरल क्लॉजेज़ (संशोधन) विधेयक, १९५७

अनुदानों की मांगों पर मतदान

मांग संख्या २४–मुख्य शीर्षक ५०–नागरिक निर्माण-कार्य

मांग संख्या २४-मुख्य शीर्षक ५०–नागरिक निर्माण-कार्य श्री नाथूराम मिर्धा, कृषि व यातायात मंत्री द्वारा प्रस्तावित की गई जिस पर ११ कटौती के प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये। इस मांग पर की गई बहस का उत्तर संबंधित मन्त्री द्वारा दिये जाने पर कतिपय सदस्यों ने अपने कटौती प्रस्ताव वापिस ले लिये और शेष के प्रस्ताव अस्वीकृत हुए। तदुपरान्त उक्त मांग सदन द्वारा स्वीकृत की गई।

मांग संख्या ३१–मुख्य शीर्षक ५७—विविध

मांग संख्या ३१-मुख्य शीर्षक ५७-विविध, श्री रामकिशोर व्यास, गृह मन्त्री, द्वारा प्रस्तावित की गई जिस पर निम्नांकित सदस्यों द्वारा कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये:—

(१) श्री तनसिंह
(२) श्री भैरोंसिंह (१४)
(३) श्री मुक्तिलाल मोदी
(४) श्री जगदीशप्रसाद
(५) श्री मोहनसिंह
(६) श्री लच्छूराम
(७) श्री पी. के. चौधरी

इस पर की गई आलोचनाओं प्रत्यालोचनाओं का सरकार की ओर से उत्तर आगामी तिथि तक स्थगित रखा गया।

श्री श्रीभानसिंह के औचित्य प्रश्न पर अध्यक्षीय निर्णय

श्री श्रीभानसिंह के औचित्य प्रश्न को उचित नहीं माना गया।

दिनांक १७ मई, १९५७ की विषय-सूची

आशासकीय संकल्प

(कृपया प्रश्न संख्या १६१ का उत्तर देखिये)

"क"

List of areas declared resevered in Ajmer Division.

S. N.	Name of blocks.	Name of Range	S. N.	Name of blocks.	Name of Range.
1	2	3	1	2	3
1.	Danta Rajosi.	Ajmer East.	9.	Paranga	„
2.	Rajgarh	„	10.	Golia	„
3.	Shikast Masjid.	„	11.	Geola	„
4.	Srinagar	„	12.	Arwar.	„
5.	Madarpahar	Ajmer West.	13.	Daulatkhera	„
6.	Makarwali	„	14.	Mangaliawas.	„
7.	Hokran	„	15.	Brigchiawas	„
8.	Mohwabir	„	16.	-do-	„
9.	Taragarh	„	17.	Pachmata	„
10.	Nagpahar	„	18.	Baneora	„
11.	Badkochran	Beawar Range.	19.	Sedaria	„
12.	Kotra.	„	20.	Parbatpura	„
13.	Lumba Ajba	„	21.	Ajmer	„
14.	Parade Bir.	„	22.	Mianpur	„
15.	Rodhana	„	23.	Kaklana	„
16.	Sheonagri No.	„	24.	Lachipura	„
17.	Sheopura Ghata I	„	25.	Rajgarh	„
18.	Sheopura Ghata II	„	26.	Rajgarh	„
19.	Siliberi	„	27.	Rajgarh	„
20.	Banjari	Todgarh.	28.	Makhopura	„
21.	Dadola	„	29.	Sedaria	„
22.	Kanat	„	30.	Beer.	„
23.	Todgarh	„	31.	Data	„
	(New Reserves)		32.	Danta	„
1.	Sunderpura.	Ajmer Range East.	33.	Beer	„
			34.	Beer	„
2.	Ghatiali	„	35.	Beer	„
3.	Sawar	„	36.	Tabiji	„
4.	Bhinai	„	37.	Hatundi	„
5.	Rain	„	38.	Rajosi	„
6.	Ratakot	„	39.	Rajosi	„
7.	Singhawal	„	40.	Khwajpura.	„
8.	Mathania	Ajmer Range East.	41.	Mahhupura	„

1	2	3
42.	Jatia	,,
43.	Jatia.	,,
44.	Danta	,,
45.	Danta	,,
46.	Balwanta	,,
47.	Balwanta	,,
48.	Beer	,,
49.	Ganahera	Ajmer West.
50.	Pushkar I	,,
51.	Goela Kishenpura I	,,
52.	-do- II	,,
53.	Banseli	,,
54.	Galti	,,
55.	Pushkar II	,,
56.	Nedlia	,,
57.	Kanas	,,
58.	Nilaseori	,,
59.	Nausar	,,
60.	Pagaran	,,
61.	Jaitgarh	,,
62.	Ararka	,,
63.	Babaicha	,,
64.	Hansiawas	,,
65.	Ajaisari	,,
66.	Kharekri	,,
67.	Surajkund	,,
68.	Bhagwanpura	,,
69.	Picholia	,,
70.	Budhwara	,,
71.	Nooriawas	,,
72.	Bhaonta I	,,
73.	Bhaonta II	,,
74.	Amba Masina I	,,
75.	Amba Masina II	,,
76.	Saradhana	,,
77.	Makrera	,,
78.	Dodiana	,,
79.	Nothuthola	,,
80.	Chachiawas	,,
81.	Padampura	,,

1	2	3
82.	Hokran	,,
83.	Khori	,,
84.	Karel I	,,
85.	Karel II	,,
86.	Makarwali	,,
87.	Tilora	,,
88.	Chawandia	,,
89.	Nand	,,
90.	Gulabbari	,,
91.	Dumara	,,
92.	Ajmer (Balakpura)	,,
93.	Ajmer (Chawandia-Devi	,,
94.	Ajmer Inderkot.	,,
95.	Ajmer Taragarh	,,
96.	Somalpur Ajmer	,,
97.	Jalia (Bara Bir)	Beawar-Range.
98.	Jaila (Datri ka bir)	,,
99.	Jalia (Tehsidar ka-Bir)	,,
100.	Jailia (Jogi-ka-bir)	,,
101.	Jalia (Mata ka Bir)	,,
102.	Bari (Saroli bir)	,,
103.	Ladpura	,,
104.	Ramgarh	,,
105.	Dhanikhera	,,
106.	Ramgarh	,,
107.	Hanwantia	,,
101.	Deopura	,,
109.	Rajpura	,,
110.	Khimpura	,,
111.	Sonachodsia	,,
112.	Masuda	,,
113.	Harrajpura	,,
114.	Moina	,,
115.	Kirap.	,,
116.	Ratongarh	,,
117.	Liri	,,
118.	Lambana	,,

1	2	3	1	2	3
119.	Liri	,,	148.	Lasain Doyam	,,
120.	Mailan	,,	149.	Nayakhera	,,
121.	Nasoon	,,	150.	Jalia Doyam Bas Durga.	,,
122.	Riri	,,	151.	Jalia Doyam Bas Pitha.	,,
123.	Kashipura	,,	152.	Jalia Doyam Bas Rupa.	,,
124.	Sarnia	,,	153.	Jalia Doym Bas Lala	,,
125.	Kharwa	,,	154.	Jawaja	,,
126.	Amargarh	,,	155.	Punera	,,
127.	Kharwa	,,	156.	Punera	,,
128.	Piplaj	,,	157.	Kheranibri	,,
129.	Kharwa	,,	158.	Naikhurd	,,
130.	Sarvina	,,	159.	Kalakhera	,,
131.	Gohana	,,	160.	Naikalan	,,
132.	Atitmund	,,	161.	Biyakhera	,,
133.	Bihar Ratanpura	,,	162.	Chilabar	,,
134.	Bihar Ratanpura	,,	163.	Dadola	,,
135.	Soniana	,,	164.	Merean	,,
136.	Rodhana	,,	165.	Roneana	,,
137.	Soniana	,,	166.	Negorean	,,
138.	Lotiyana	,,	167.	Bhagwanpura	,,
139.	Jagpura	,,	168.	Mewasa	,,
140.	Bhuriakhera Khurd	,,	169.	Banjari	,,
141.	Kalatkhera	,,	170.	Balacharat	,,
142.	Bhagwanpura	,,	171.	Barsawara	,,
143.	Rodhana	,,	172.	Gogela	,,
144.	Dadola	,,			
145.	Taragarh	,,			
146.	Taragarh	,,			
147.	Rawatmal	,,			

List of areas declared reserved in Chittorgarh Division.

S. No.	Name of blocks.	Name of Range.	S. No.	Name of Blocks.	Name of Pange.
1.	2.	3.	1.	2.	3.
1.	Bokdia	Chittorgarh	24.	Pancha Guda	"
2.	Katar Bhawani	Saddi Khurd	25.	Anet.	"
3.	Singoli	Mandalgarh	26.	Gothra	"
4	Kala Magra	"	27.	Boria	"
5.	Bada Magra	"	20.	Manpur	"
6.	Katwada	"	29.	Bagpura	Begun Range.
7.	Tikhi	"	30.	Jambukudi	"
8.	Sarmala	"	31.	Dhavdakuri	"
9.	Damjol	"	32.	Sangwakodia	"
10.	Mangtala	"	33.	Amjaria	"
11.	Undakhola	"	34.	Nandwas I	"
12.	Makra Kalikhol	"	35.	Nandwas II	"
13.	Mahadeojiki dolia	"	36.	Santokpuria	"
14.	Aturda	Bhilwara Range.	37.	Kolgadh	Behrodgarh
15.	Hammir garh	"	38.	Dotra Barkhera.	"
16.	Mangrop	"	39.	Khedli	"
17.	Moda Magra	"	40.	Pirmagra	Adida
18.	Kabra	"	41.	Kala Khate	Hathi-pag.
19.	Kala Satpura	"	42.	Bhoochar	"
20.	Chalania	"	43.	Javda	Kurakheda
21.	Baneda	"	44,	Meemdi	"
22.	Chamarkia	"	45.	Nagpurakanera	"
23.	Karmalia	Dharia Wad Range.	46.	Jamboodi	"
			47.	Champapur.	"

List of areas declared reserved in Udaipur Division.

S. No.	Name of Blocks.	Name of Range.
1.	2.	3.
1.	Banki	Udaipur
2.	Sajjanhgnrh	"
3.	Kheemal	"
4.	Udheshwarji	"
5.	Ambua	"
6.	Keura ki Nal	"
7.	Nainadra	"
8	Mani pol (Kali Ghati)	"
9.	Palodra	"
10.	Maniol	"
11.	Jarga	Bhanpura Range
12.	Katar	"
13.	Ravach	"
14.	Machind	"
15.	Dhoran	"
16.	Sicha	"
17.	Thoria Ghata.	"
18.	Kakarwa	"
19.	Amajmal	"
20.	Relpatlia	Kurawad Range
21.	Jagat	"
22.	Jhamarkotra	"
23.	Amba ka gudha	"
24.	Lodia	"
25.	Kot wala	"
26.	Mendudia	"
27.	Sonigra	"
28.	Miyda	"
29.	Kukda	Salumbar Range
30.	Dai ka Kheda	"
31.	Harvani Band	"
32.	Kabri	"
33.	Pahidi Butwas	"
34.	Ghooga	"
35.	Segri	"
36.	Bana	"
37.	Sari Tada	"
31.	Bamina	"
39.	Unti	"
40.	Khodav	"
41,	Salia	"
42.	Dhuniwala (Chat-puria)	"
43.	Parsad	Parsad Range
44.	Kharvar	"
45.	Pahada	"
46.	Jhanghri	"
47.	Catarwas	"
48.	Bhakhra	"
49.	Jhunthri	"
50.	Ambesh	"
51.	Sobhna Subhri	"
52.	Chanpa ki Nal	Kotra Range.
53.	Nand Kuwa	"
54.	Samoli	"
55.	Kyari	"
56.	Ghadota	"
67.	Baldia	"
58.	Surja wara	"
59.	Khila	"
60.	Piplemal & Jhalara	"
61.	Toran I	"
62.	Toran II	"
63.	Dhermaria	"
64.	Odia	"
65.	Unria	"
66.	Phul Bari	"
67.	Aswada	"
68,	Mamer	"
69.	Khokheri Nal	"

1	2	3	1	2	3
70.	Her	,,	80.	Som II	,,
71.	Ladan	,,	81.	Eklingji	Gogunda Range.
72.	Salar/Askia	Jhadol Range.	82.	Agda	,,
73.	Gorana	,,	83.	Jhamdoli	,,
74.	Mohmahad Falasia	,,	84.	Bhasar	,,
75.	Jhamen	,,	85.	Dhonkatiya	,,
76.	Ram Kund	,,	86.	Bandaawara	,,
77.	Kamal Nath	,,	87.	Barath garh & Gidan-Mata,	,,
78.	Kirll ka Ghata	,,			
79.	Som I	,,			

List of areas declared reserved in Sirohi Division.

1.	Rewada	Siaohi	14.	Pindwara	Pindwara.
2.	Polaliya	,,	15.	Jampur	,,
3.	Paldi	,,	16.	Phoolabai	,,
4.	Kukari Khara	,,	17.	Panpara	,,
5.	Badioan	,,	18.	Nitoda	,,
6.	Oda	,,	19.	Bilar	,,
7.	Sikkonkajor	,,	20.	Rampura	,,
8.	Bada kheda	,,	21.	Siwera	,,
9.	Nawara	,,	22.	Sadalwas	,,
10.	Nala	Sirodi	23.	Dhavta	,,
11.	Maylagod	,,	24.	Drola & Viroli	,,
12.	Balda	,,	25.	Bilwa	,,
13.	Rajal	,,	26.	Rohida	,,

List of areas declared reserved in Banswara Division.

1.	Rampur Bir	Dungarpur.	10.	Antri	,,
2.	Kana Magra	,,	11.	Ghodecha	,,
3.	Chool Khiya	,,	12.	Bhedmata	,,
4.	Ratanpur	,,	13.	Viyoda	,,
5.	Makreda	,,	14.	Badabadi	Sagwara
6.	Pipal Lek (Chakli ki Mal)	,,	15.	Baka Khur	Partabgarh
7.	Rata Pani	,,	16.	Pal	,,
8.	Kunjli	Antri Range	17.	Bhewn	,,
9.	Gatkhana	,,	18.	Sita Mala	,,

List of areas declared Reserved in Kota Division.

1	2	3	1	2	3
1.	Kala Kote	Ladpura Range	18.	Kheda Jagpura	,,
2.	Kolipura	,,	19.	Gadh Wala	Inder Garh Rang
3.	Akael Garh	,,	20.	Matajiwala	,,
4.	Neen ka Khera	,,	21.	Papda	,,
5.	Gordhan pura	,,	22.	Balwan	,,
6.	Burajwala Chowki	,,	23.	Mohanpura	,,
7.	Thalanpur	,,	24.	Bai kalaji	Mandan Range
8.	Loi Dungri	,,	25.	Damodarpura	,,
9.	Bhadkiya	,,	26.	Dolia	,,
10.	Dasatali	,,	27.	Mashal pura. A	Kanwas Range
11.	Aonli Rojri	,,	28.	,, B	,,
12.	Kesna Phoota	,,	20.	Bard kaliji Kishor-Sagar	,,
13.	Radi Dand	,,	30.	Khrootia	,,
14.	Bora Bas	,,	31.	Richi	Modak Range
15.	Prahlad pura	,,	32.	Manoherpura	,,
16.	Dardevi Mataji	,,	33.	Khimach	,,
17.	Bheel Data Chandiaori	,,	34.	Darah	,,

List of areas declared reserved in Bundi Division.

1.	Guda Nim ka khera	Barundhan	13.	Dasalia	,,
2.	Guda Rajpura	,,	14.	Bharupura	Hindoli Range
3.	Dhaneshwer	,,	15.	Vishdhari	,,
4.	Deo Dungri	,,	16.	Umar mata	,,
5.	Laxmi-pura	,,	17.	Nahar garh Bhoj garh	,,
6.	Gawar	,,	18.	Datunda	,,
7.	Amlat Anarkhoh	,,	19.	Khiniya with Seep Beer	,,
8.	Goalpur	,,	20.	Sathur	,,
9.	Gararda	,,	21.	Jharpeer	,,
10.	Maradi	,,	22.	Kanti Ajhili	,,
11.	Banki	,,	23.	Kapran	,,
12.	Karondi	,,	24.	Khatker	,,

List of areas declared reserved in Tonk Division.

1. Bakarwada Tonk Range

List of areas declared Reserve in Jhalawar Division.

S. No.	Name of blocks.	Name of Range.
1	2	3
1.	Khokhanda Dhanwas	Jhalawar
2.	Rampur Balgarh	„
3.	Phils thyar	„
4.	Lotia Jhir	„
5.	Nolakhi ka kila	„
6.	Bhawara sa Bagdar	„
7.	Borda	„
8.	Binda	„
9.	Jawariakhal Tol khara	„
10.	Motipura	„
11.	Urmal Bhilwari	„
12.	Parolia	„
13.	Sarod	„
14.	Misroli Salar Magra	„
15.	Samli Khas	Pidawa Range
16.	Choti Sunal	„
17.	Ram puria	„
18.	Khadakpura	„
19.	Galni	„
20.	Awar	„
21.	Ghogwa	„
22.	Salarya	„
23.	Dag. 1	„
24.	Kalyana pura	„
25.	Chomahla	„
26.	Ganddhar	„
27.	Patloon Manohar	Thana Range
28.	Bamboolia	„
29.	Chachorni	„
30.	Banskhedi	„
31.	Khedi Mawatiyana	„
32.	Manupsir	„
33.	Kolukhadi	„
34.	Bhawanipura	„
35.	Laxmi pura	„
36.	Pindoli	„
37.	Nerala	„
38.	Chitora Chitori	„
39.	Samli Khan puira	Thana Range
40.	Kala Patha	„
41.	Godha Kheda	„
42.	Badgoan Balas	„
43.	Basad	„
44.	Patuta Potuti	„
45.	Bislai	„
46.	Radi Sagoni	„
47.	Kotra Charwargarh	„
48.	Orda	„
49.	Kotra	„
50.	Rinchwa	Bakani Range
51.	Surajpura	„
52.	Teej barda	„
53.	Bera garh	„
54.	Bhalta	„
55.	Umria	„
56.	Govind pura	„
57.	Panch Pipilia	„
58.	Molkya Kalan	„
59.	Bans khora	„
60.	New kheri	„
61.	Badav	„
62.	Radisil garh	Pidawa Range
63.	Mandlawda	„
64.	Kayasara	„
65.	Pawarla	„
66.	Chordungri Naharghti	„
67.	Dobra	„
68.	Jugdishpura	„
69.	Girdhar pura	„
70.	Ratan pura	„
71.	Deogarh	„
72.	Bedla	„
73.	Koria	„
74.	Sakerya	„
75.	Sherpur	„
76.	Thariniya	„

1	2	3	1	2	3
77.	Heri garh	Khanpur Range	107.	Pura Borband Dungri	„
78.	Bhgher	„	108.	Rampuria Kalan	„
79.	Balia	„	109.	Nesh	„
80.	Dhanodha	„	110.	Motha pura	„
81.	Dunggi Kokerda	„	111.	Buranpura Dundri	„
82.	Chitawa	„	112.	Moi Kalan	„
83.	Malan wasa Taraj	„	113.	Lasoodia Gond	„
84.	Bhootraga	„	114.	Devari	„
85.	Mahua Khera Bhutrada	„	115.	Ghatoli	„
86.	Hathola Alawad Khurad	„	116.	Churelia	„
			117.	Lahas kalan	„
87.	Piplan Bara pati	„	118.	Binda	„
88.	Bayawarkalan	„	119.	Chandi pur	„
89.	Bhula Hedi	„	120.	Basoda	„
90.	Radi Kamoler	„	121.	Sankhedi	„
91.	Dabri Kalan	„	122.	Mathoon	„
92.	Radi Khandia	„	123.	Kotra Dayal	„
93.	Jolpa	„	124.	Belwa	„
94.	Bheddi	„	125.	Mawasa	„
95.	Kanwarpura	„	126.	Baodi Kheda	Asnawar Range
96.	Dobada	„	127.	Chapal Davi	„
97.	Radi Jaranga	„	128.	Rata Davi	„
98.	Panwar	„	129.	Mankund	„
99.	Samad khedi	„	130.	Talwadia	„
100.	Hanka Borband	„	131.	Mala Tota	„
101.	Bardri	Aklera Range	132.	Gadia Rinchwa	„
102.	Panth Chawki	„	133.	Hari pura	„
103.	Madanpura	„	134.	Gordhan pura Radi Bhanwaria	„
104.	Devali	„	135.	Ramdi	„
105.	Ametha	„	136.	Mundri	„
106.	Amlavda	„			

List of Forest Ranges in various Forests Divisions ; where Forests areas have been declared as protected.

S. No.	Name of Range.	Name of Devision	No. of Blocks.	S. No.	Name of Range.	Name of Devision	No. of Blocks.
1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Karauli	Bharatpur	44.	25.	Pindwara.	,,	...
2.	Dholpur	,,	18.	26.	Sirodi	,,	...
3.	Bharatpur	,,	8.	27.	Antri	Banswara	...
4.	Bayana	,,	44.	28.	Samalwada.	,,	...
5.	Rajgarh	,,	22.	29.	Sagwara	,,	...
6.	Alwar	,,	10.	30.	Udaipur	Udaipur	...
7.	Sariska	,,	16	31.	Bhanpura	,,	...
8.	Kishangarh	Jaipur Div.	16	32.	Roopnagar	,,	...
9.	Shahpura	Tonk Div.	25	33.	Bhim	,,	...
10.	Jahazpur	,,	31	34.	Gogunda	,,	...
11.	Bundi	Bundi Div.	I	35.	Kurabar	,,	...
12.	Nenwa	,,	6.	36.	Salumbar	,,	...
13.	Jalwada	Baran Div.	12	37.	Bhadesar	Chittorgarh.	...
14.	Shergarh	,,	6	38.	Kenera	,,	...
15.	Chhipa Barod	,,	11	39.	Gangrar	,,	...
16.	Kishanganj	,,	10	40.	Sadri Khurd	,,	...
17.	Shahbad	,,	20.	41.	Bansi	,,	...
18.	Manohar Thana	Jhalawar	23.	42.	S-Ghatol	,,	...
19.	Aklera	,,	25	43.	Lassadia	,,	...
20.	Bakani	,,	12.	44.	Dhariawad	,,	...
21.	Asnawar	,,	11	45.	Bijaipur	,,	...
22.	Khanpur.	,,	24.	46.	Begun	,,	...
23.	Pidawa	,,	15	47.	Bhilwara	,,	...
24.	Sirohi	,,	...	48.	Mandalgarh	,,	...

Page No.113

'ख'

सूची फोरेस्ट टोंक डिस्ट्रिक्ट

१. भँवर सो
२. बावड़ी
३. देवली
४. सोहेला
५. कच्चा बन्दा
६. विछारसा
७. नदी बनास गीलोद
८. सन्देड़ा
९. बामली
१०. सीबोलिया
११. गोबड़ी
१२. टोटड़ी
१३. इन्कोदा
१४. निवाई
१५. टोडारायसिंह
१६. मालपुर
१७. नांवा देहड़
१८. बेनपा राजकोठ नं० १
१९. बेनपा राजकोट नं० २
२०. बेनपा राजकोट नं० ३
२१. गोठड़ा कला नं० १
२२. गोठड़ा नं० २
२३. सीतापुरा नं० १
२४. सीतापुरा नं० २
२५. गेरोटा
२६. कोटडा
२७. ककोडा बनेड़ा
२८. रूपवास
२९. भारवेड़ा
३०. मूड़िया
३१. डोड़वाड़ी
३२. तुरकी डायड़ा
३३. पीपलू
३४. साहरवाड़ा
३५. ठीकरया
३६. सोरन
३७. परनिया केदार
३८. छान
३९. पालड़ा
४०. अरनिया नील
४१. वजीरफरमोलाई पुर
४२. फिमावड़ी
४३. सरवरा बाद

परिशिष्ट २

(कृपया प्रश्न संख्या १६८ का उत्तर देखिये)

निम्न नगरपालिकाओं की जन-संख्या १०,००० से कम है

१. आमेर
२. लालसोट
३. बसवा
४. फुलेरा
५. जोबनेर
६. नरायना
७. बैराठ
८. सरवाड़
९. लोसल
१०. नीम का थाना
११. खन्डेला
१२. श्री माधोपुर
१३. मन्डावा
१४. मुकुन्दगढ़
१५. बिसाऊ
१६. सूरजगढ़
१७. बगड़
१८. खेतड़ी
१९. टोडाभीम
२०. निवाई
२१. मालपुरा
२२. टोड़ारायसिंह
२३. उनियारा
२४. तिजारा
२५. राजगढ़ (अलवर)
२६. खेडली
२७. कुम्बेर
२८. नगर
२९. कामां
३०. बयाना
३१. नदबइ
३२. वैर
३३. भुसावर
३४. राजाखेड़ा
३५. गंगाशहर
३६. मीनासर
३७. नापासर
३८. नोखा
३९. रतननगर
४०. राजलदेसर
४१. छापर
४२. बीदासर
४३. हिन्दुमल कोट
४४. सिंहपुर
४५. श्री करनपुर
४६. रायसिंह नगर
४७. अनूपगढ़
४८. सूरतगढ़
४९. हनुमानगढ़
५०. सांगरिया
५१. भादरा
५२. पोकरण
५३. नांवा
५४. मेड़ता
५५. बाली
५६. जालौर
५७. भीनमाल
५८. बालोतरा
५९. शिवगंज
६०. पिंडवाडा
६१. जैसलमेर
६२. देवगढ़
६३. राजसमन्द
६४. डूंगरपुर
६५. सागवाड़ा
६६. गलियाकोट
६७. कपासिन
६८. छोटी सादड़ी

Page No.115

६६. गंगापुर (भीलवाड़ा)
७०. कुशलगढ़
७१. रामगंज मण्डी
७२. छबड़ा
७३. इन्दरगढ़
७४. केशोरायपाटन
७५. नैनवा
७६. लाखेरी
७७. झालरापाटन
७८. भवानीमन्डी
७६. पिंडावा
८०. बांदीकुई
८१. चाकसू
८२. उदयपुर वाटी
८३. चैंगू
८४. सलूम्बर
८५. परबतपर
८६. दांता

निम्न नगरपालिकाओं के चुनाव गत दो वर्षों में १-१-५५ से ३१-१२-५६ में करवाये गये हैं :

१—जयपुर
२—सरवाड़
३—चौमूं
४—दौसा
५—नरायना
६—कोटपुतली
७—बसवा
८—फुलेरा
९—जोबनेर
१०—बांदीकुई
११—सीकर
१२—लक्ष्मणगढ़
१३—फतेहपुर
१४—खंडेला
१५—लोसल
१६—श्री माधोपुर
१७—दांता
१८—झुंझुनू
१९—सूरजगढ़
२०—मन्डावा
२१—मुकुन्दगढ़
२२—बिसाऊ
२३—बगड़
२४—चिड़ावा
२५—उदयपुरवाटी
२६—सवाई माधोपुर
२७—गंगापुर (जयपुर)
२८—हिन्डौन
२९—टोडाभीम
३०—निवाई
३१—मालपुरा
३२—टोडारायसिंह
३३—भरतपुर
३४—कुम्भेर
३५—नगर
३६—नदबई
३७—बीकानेर
३८—गंगाशहर
३९—चुरू
४०—रतनगढ़
४१—सुजानगढ़
४२—मीनासर
४३—राजलदेसर
४४—तारानगर
४५—छापर
४६—रतननगर
४७—गंगानगर
४८—श्री करनपुर
४९—सूरतगढ़

५०—हनुमानगढ़
५१—नोहर
५२—भादरा
५३—हिन्दुमलकोट
५४—अनूपगढ़
५५—पोकरण
५६—नागौर
५७—डीडवाना
५८—लाडनूं
५९—मकराना
६०—कुचामन सिटी
६१—पाली
६२—बाली
६३—सौजत
६४—भीनमाल
६५—बाड़मेर
६६—सिरोही
६७—पिंडवाड़ा
६८—उदयपुर
६९—नाथद्वारा
७०—राजसमन्द
७१—देवगढ़
७२—चित्तौड़गढ़
७३—छोटी सादड़ी
७४—बैंगू
७५—शाहपुरा
७६—गंगापुर (भीलवाड़ा)
७७—कुशलगढ़
७८—कोटा
७९—छबड़ा
८०—बूंदी
८१—लाखेरी
८२—पिडावा
८३—भवानीमण्डी

निम्न नगरपालिकाओं के चुनाव एकल निर्वाचन क्षेत्र (सिंगल मेम्बर कॉन्सीट्यु एन्सी बेसिस) के आधार पर कराये गये हैं:

१. नरायना
२. कोटपुतली
३. फुलेरा
४. बांदीकुई
५. लोसल
६. मन्डावा
७. बिसाऊ
८. जगगड
९. चिड़ावा
१०. उदयपुरवाटी
११. निवाई
१२. कुम्भेर
१३. नगर
१४. भीनमाल
१५. तारानगर
१६. छापर
१७. रतननगर
१८. हनुमानगढ़
१९. बाली
२०. मीनासर
२१. बाडमेर
२२. पिंडवाडा
२३. राजसमन्द
२४. गंगापुर (भीलवाड़ा)
२५. कुशलगढ़
२६. गंगाशहर

निम्न नगरपालिकाओं के चुनाव वार्डवाइज् करवाये गये

१. जयपुर
२. सरवाड़
३. चौमूं
४. दौसा
५. बसवा
६. सीकर
७. लक्ष्मणगढ़
८. फतहपुर
९. खन्डेला
१०. श्री माधोपुर
११. टांता
१२. झुंझुनूं
१३. सूरजगढ़
१४. मुकुन्दगढ़
१५. सवाई माधोपुर
१६. गंगापुर (जयपुर)
१७. हिन्डौन
१८. टोडाभीम
१९. मालपुरा
२०. टोडारायसिंह
२१. भरतपुर
२२. नदबई
२३. बीकानेर
२४. चूरू
२५. रतनगढ़
२६. सुजानगढ़
२७. राजलदेसर
२८. श्रीं गंगानगर
२९. श्री करनपुर
३०. सूरतगढ़
३१. नौहर
३२. भादरा
३३. हिन्दुमलकोट
३४ अनूपगढ़
३५. पोकरण
३६. नागौर
३७. डीडवाना
३८. लाडनूं
३९. मकराना
४०. कुचामनसिटी
४१. पाली
४२. सौजत
४३. सिरोही
४४. उदयपुर
४५. नाथद्वारा
४६. देवगढ़
४७. चित्तौड़गढ़
४८. छोटी सादड़ी
४९. बेंगू
५०. शाहपुरा
५१. कोटा
५२. छबड़ा
५३. बूंदी
५४. लाखेरी
५५. भवानी मन्डी
५६. पिंडावा
५७. जोबनेर

परिशिष्ट ३

(कृपया प्रश्न संख्या १७४ का उत्तर देखिये)

Roads provided in 2nd Five Year Plan in Chittor Distts. showing the total length, mileage, cost & the amount provided in the plan. The roads which are to be constructed this year 1957-58 are those which have been provided funds under the year 1957-1958.

S. No.	Name of Works.	Estimated cost upto 31-3-56. (Cost in thousands).	Mileage.	Amount for Second Plan. In thousands District Chittor.		Provision during 1957-58 In thousands Cost.	Compled. Mileage.
1.	Metalled road from Singoli to Bichore.	150	4½ M	12	—	—	—
2.	-do- to Bhainsrurgarh.	400	16 M	100	4	—	—
3.	Gravolled road from Mangalwar to Ninbahera.	200	24 G	76	14	34	4
4.	M/R from Chhoti Sadri to Bari Sadri.	400	16 M	242	12	100	4
5.	P/G & P/M road from Pratapgarh Arnod Pipalda.	200	30 M and G	115	11	50	6
6.	Approach road from Lasrawan Village to Nimbahera Mangalwar Road.	110	4½ M	110	4½	90	3½
7.	M/R from Chittorgarh to Kapasin (P. I.)	200	10 M	173	10	80	5
8.	Constg. remainig miles of Begun to Katunda.	50	2½ M	19	11	—	—
9.	M/R from Chittor to Kapasin (remaining miles.)	200	63 M	200	8	—	—
10.	Metalled link road from Bhadasar to Chittor Nimbahera road.	300	12 M	50	2	—	—
11.	M/R from Basai to Gwalior.	480	12 M	20	—	—	—
12.	M/R from Rashmi to Kapasin.	400	16 M	50	2	—	—
13.	M/R from Bacra Rly. Stn. to Bansi town.	120	6 M	120	6	30	2
14.	M/R from Udaipur to Chittor.	650	27 M	256	16	—	—
15.	-do- Nasirabad to Nimbahera.	810	41½ M	338	23	125	5
16.	M/R from Bundi to Chittor (to be revised)	450	20 M	210	15	—	—
17.	G/R from Banswara to Pratapgarh.	320	16 G	20	1	—	—
18.	M/R from Nimbahera to Pratapgarh.	1320	44 M	20	—	—	—
19.	M/R from Bundi to Chittor. (remaining M)	300	12 M	300	12	20	1
20.	B/T of Udaipur Chittor Road.	343	29 P	212	29	40	5
21.	B/T Nasirabad Nimbhera Road.	504	42 P	504	42	40	3
22.	M/R from Bhariabad to pratapgarh.	300	12 M	20	1	—	—
23.	M/R from bungla to Kanon.	60	3 M	60	3	3	—
24.	Tarred road from Mangalwar Village to Udaipur Chittor Road.	20	1 p	20	1	—	—
25.	F. M. from Jhalawari to Dippura with improvement of Dip-pura ki Ghati.	50	5 F	50	5	40	4
			414	33.07	182½	6.52	42½

२४६६ परिशिष्ट ५

(वह प्रश्न जो प्रश्नकाल में न लिया जा सकने के कारण सदन की मेज पर रखा गया)

१५०. (३७१ एच. एम.) श्री तनसिंह. एम. एल. ए., डिविजन नम्बर १६७—क्या मन्त्री विद्युत विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :

द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत किन किन जिलों में कितने स्थानों पर बिजली लगाने की सरकारी योजना है ?

उत्तर

सूची संलग्न है :

(a) In the Second Five Year Plan the following places are proposed to be electrified (in the districts mentioned against each) :-

GROUP		NAME OF PLACE.	NAME OF DISTRICT
I.	1.	Jodhpur.	Jodhpur.
	2.	Bilara.	Jodhpur.
	3.	Sojat.	Pali.
	4.	Pipar Road.	Jodhpur.
	5.	Kaparda.	Jodhpur.
	6.	Bhilwara.	Bhilwara.
	7.	Shahpura.	Bhilwara.
	8.	Bharatpur.	Bharatpur.
	9.	Deeg.	Bharatpur.
	10.	Mica Mines near Shahpura.	Bhilwara.
II.	1.	Kishangarh.	Jaipur.
	2.	Jhalawar.	Jhalawar.
	3.	Hindaun.	Hindaun.
	4.	Karauli.	Hindaun.
	5.	Newai.	Tonk.
	6	Tonk.	Tonk.
	7.	Dungarpur.	Dungarpur.
	8.	Sagwara.	Dungarpur.
	9.	Dholpur.	Bharatpur.
	10.	Bairi.	Bharatpur.
	11.	Gundaria.	-do-
	12.	Kesarbag.	-do-
	13.	Bhilgawan.	-do-
	14.	Nibhi.	-do-
	15.	Kund.	-do-
	16.	Salimabad.	-do-
	17.	Jaisalmer.	Jaisalmer.
	18.	Alwar.	Alwar.

	19.	Bharatpur.	Bharatpur.
	20.	Jaipur.	Jaipur.
	21.	Bikaner.	Bikaner.
	22.	Kotah.	Kotah.
	23.	Jamsar.	Bikaner.
	24.	Dausa.	Jaipur.
	25.	Lalsot.	Jaipur.
	26.	Didwana.	Jaipur.
	27.	Bamanwas.	Sawai Madhopur.
	28.	Gangapur.	-do-
	29.	Phulera.	Jaipur.
	30.	Kuchaman City.	Nagore.
	31.	Kuchaman Road.	-do-
	32.	Sambhar.	Jaipur.
	33	Makrana.	Nagore.
		BHAKRA NANGAL BY 1958.	
III.	1.	Sri Ganganagar.	Sri Ganganagar.
	2.	Hanumangarh New Township.	-do-
	3.	Hanumangarh Fort.	-do-
	4.	Chautala Road.	-do-
	5.	Pilibanga.	-do-
	6.	Suratgarh.	-do-
	7.	Sadulshahr	-do-
	8.	Sarpusar.	-do-
	9.	Jetsar.	-do-
	10.	Bijeynagar.	-do-
	11.	Raisinghnagar.	-do-
	12.	Gajsinghpur	—do—
	13.	Karanpur.	—do—
	14.	Kesrisinghpur.	—do—
	15.	Prithvirajpur.	—do—
	16.	Rajgarh.	Churu
	17.	Nohar.	Sri Ganganagar.
	18.	Bhadra.	—do—
	19.	Pilani.	Jhunjhunu.
	20.	Jhunjhunu.	-do-
	21.	Chirawa.	-do-
	22.	Surajgarh.	-do-
	23.	Khetri.	-do-
	24.	Ratangarh.	Churu.
	25.	Sardarshahar.	Churu.

26.	Churu.	Churu.
27.	Ratangarh.	Churu.
28.	Ramgarh.	Sikar.
29.	Bisau.	Jhunjhunu.
30.	Fatehpur.	Sikar.
31.	Lachmangarh.	Sikar.
32.	Sikar.	Sikar.
33.	Nawalgarh.	Jhunjhunu.
34.	Rajaldaar.	Churu.
35.	Momasar.	-do-
36.	Farsneu.	-do-
37.	Talchhapar.	-do-
38.	Sujangarh.	-do-
39.	Bidsar.	-do-
40.	Sandwa.	-do-
41.	Janswantgarh.	Nagore.
42.	Ladnun.	-do-
43.	Bikaner.	Bikaner.
44.	Nal.	Bikaner.
45.	Kodamdesar.	Bikaner,
46.	Gajner.	-do-
47.	Kolayat.	-do-
48.	Gangashahar.	-do-
49.	Bhinsar.	-do-
50.	Udramsar.	-do-
51.	Palana.	-do-
52.	Deshnoke.	-do-
53.	Surpura.	-do-
54.	Himatsar.	-do-
55.	Nokha.	-do-
56.	Devikundagar.	-do-
57.	Napasar.	-do-
58.	Dulchasar.	Churu.
59.	Sudsor.	-do-
60.	Dungargarh.	-do-
61.	Jamwar.	Bikaner.

CHAMBAL BY 1960-61

IV

1.	Kotah.	Kotah.
2.	Bundi.	Bundi.
3.	Lakheri.	Bundi.
4.	Sawai Madhopur.	Sawai Madhopur.

	5.	Newai.	Tonk.
	6.	Banasthali.	-do-
	7.	Tonk.	-do-
	8.	Gangapur.	Sawai Madhopur.
	9.	Hindaun.	Hindaun.
	10.	Karauli.	-do-
	11.	Jaipur.	Jaipur.
	12.	Phulera.	Jaipur.
	13.	Sambhar.	Jaipur
	14.	Nawa.	Nagore.
	15.	Makrana.	Nagore.
	16.	Dausa.	Jaipur.
	17.	Kuchaman.	Nagore.
	18.	Bhilwara.	Bhilwara.
	19.	Kishangarh.	Jaipur.
V.	1.	Bilara.	Jodhpur.
	2.	Sojat.	Pali
	3.	Nagore.	Nagore.
	4.	Jaipur.	Jaipur.
	5.	Chittorgarh.	Chittorgarh.
	6.	Jalore.	Jalore.
	7.	Alwar.	Alwar.
	8.	Jaipur.	Jaipur.
	9.	Reengus.	Sikar.
	10.	Siwana.	Alwar.
	11.	Jilots.	-do-
	12.	Nimbahera.	-do-
	12.	Patan Newan.	-do-
	14.	Shyamaka.	-do-
	15.	Iamailpur.	-do-
	16.	Khairtal.	-do-
	17.	Dantla.	-do-
	18.	Nangal Doongar	-do-
	19.	Nangal Manjia.	-do-
	20.	Lassana.	-do-
	21.	Noornagar.	-do-
	22.	Baskirpalnagar.	-do-
	23.	Kishangarh.	-do-
	24.	Gunj.	-do-
	25.	Tehnoli.	-do-

26.	Jhirandia.	-do-
27.	Sirmoli.	-do-
28.	Milakpur.	-do-
29.	Karoli.	-do-
30.	Baldeobas.	-do-
31.	Chikani.	-do-
32.	Bhadurpur Taraf Phari.	-do-
33.	„ „ Joria.	-do-
34.	„ „ Katra.	-do-
35.	„ „ Kanungoan.	-do-
36	„ „ Meran.	-do-
37.	Kithor.	-do-
38.	Rata Khurd.	-do-
39.	Rata Kalan.	-do-
40.	Basi Jagta.	-do-
41.	Basai Balan.	-do-
42.	Nasirabad.	-do-
43,	Sumerpur.	Pali.
44.	Deedwana.	Sirohi.
45.	Daulatpura.	-dc-
46.	Toda Bhim.	Hindaun.
47.	Rajsamand.	Udaipur.
48.	Kankroli.	-do-
49.	Hundarsa.	-do-
50.	Dectri.	-do-
51.	Baran.	Kotah.
52.	Sawai Madhopur.	Sawai Madhopur.
53.	Taranagar.	Churu,
54.	Jhunjhnu.	Jhunjhnu.

SHEET NO. 4.

(b) The towns mentioned in Group III and IV will be supplied Hydro Electric Power from the Multipurpose River Valley Development Scheme.

शुद्धि-पत्र

(कार्य-विवरण बृहस्पतिवार, दिनांक १६ मई, १९५७)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
२२६६-२२७०	२	२४ वां दिवस	२३ वां दिवस
२३१६	६	(एक्सेटेरिंडग) विधेयक	एक्सटेरिंडग) विधेयक
२३२०	१	तारांकित प्रश्नोत्तर	जनरल क्लॉज़ेज़ (संशोधन) विधेयक
,,	२६	the Hon'bls	the Hon'ble
,,	अंतिम पंक्ति	On this Demard	On this Demand
२३२३	१	नागरिक निर्गाण कार्य	नागरिक निर्माण कार्य
२३६५-२३६६	१	मांग २९	मांग २४
२३७२	१६	इंजीनियर के सेटिस्केक्शन	इंजीनियर के सेटिस्फेक्शन
२३७४	अंतिम पंक्ति	तो को सुनता नहीं	तो कोई सुनता नहीं
२३८३	१	निर्माण कार्य नागरिक	नागरिक निर्माण कार्य
२३८४	१३	कटोटती प्रस्ताव वापिस	कटौती प्रस्ताव वापिस
२३८८	१	नागरिक निमाण कार्य	नागरिक निर्माण कार्य
२३८९-२३९०	१	१ मई, १९५७	१६ मई, १९५७
२४१५-२४१६	१	मांग ९-सामान्य प्रशासन	मांग ३१-विवध
२४१८	२०	Hon'ble member	Hon'ble member,
२४१८	२१	altention to be	attention to the
२४५७	१९	श्री उपाध्ज्ञ	श्री उपाध्यक्ष
२४६५	६	discuss in efficicncy	discuss inefficiency
२४८६	२६	Kurakheda	Kuakheda